रभिषदी सं. जी पल-33001/99



इस माग में भिन्न बुध्ठ संख्या बी जाती है जिसते कि बह जलग संकलन के रूप में रक्षा आ सकि। (Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate complication)

PART III-SECTION 4]

सिविधिक निकामों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनार्थ सम्मिलित हैं।

[Miscellancous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय रिजर्ज बॉक कॉन्द्रीय कार्यालय (बॉकिंग परिषालक और विकास विभाग) विदय व्यापार कॉन्द्र, स^{न्}टर 1,

कफ परेड, कौलाबा

गम्बई-400005, दिनोंक 22 मई 1999

वर्षिकवि रां आईबीएस 2823/23 13 089/98-99---भारतीय रिजर्व बर्क अधिनियम 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप-धारा (6) के खंड (ख) के अनुसरण म भारतीय रिजर्व बर्क इसके द्वारा निदंश व ता है कि उक्त अधि-नियम की दूसरी अनुसूची से निम्नलिफिश का नाम निकाल दिया जाब,

"दि एमगिएल बीक आफ कोरिया लि."

चिजर अहमद कार्यपालक निर्वदेशफ बर्णपवितिः सं, आईबीएन 2824/23 13 089/98-99 - बकिकारी विनियमन अधिनियम, 1949 को धारा 36 (ए) को उप-धारा (2) के अनुसरण म² भारतीय रिजव वक्त इसके ब्तारा अधिसूचित करना है फि दि कमर्पियल बक्त आफ **सरीरवा** लि. उका अधिनियम के अर्थ के अंतर्गन अब ब्रांकिंग कम्पनी नहीं है ।

> रिहजर जहनव कार्यपालक निवरेशक

ेभारसीय स्टेट बैंक ⊸केन्द्रीय कार्यालय सुम्बई, दिनॉक 21 मई 1999

सं० एस० की डी क 5/1999:---इसके द्वारा सर्वसाधारण को मुचित किया जाता है कि भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी

1

बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 25 की उपधारा (1) के अनुच्छेद (घ) के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के साथ विचार विमर्श के बाद भारतीय स्टेट बैंक प्रो० करम सिंह के स्थान पर डा० जे० डी० अग्रवाल, बी० 3/83, अगोक विद्यार II, दिल्ली, को स्टेट बैंक आफ पटियाला के निवेशक पद पर तीन वर्ष की अवधि दिनांक 1 जून 1999 से 31 मई, 2002 (दोनों दिन सम्मिलित) तक के लिये नामित करता है।

> जी० **जी० मैथ**, अध्य**क्ष**

स्टटेट बैंक आफ त्रावणकोर (भारतीय स्टटेट बैंक का सहयोगी) प्रधान कार्यालय

रिरजननन्तपुरम, विनाम 31 मई 1999

स्टोट भ के आफ त्रावणकार के कोयरधारियों की उनतालौरणी सार्विक सामान्ग दैठक ए. को. जी. गंभारियल हाल, गंस हाउस जेक्शन, पालयस, तिरज्वनन्तपुरम-695 034 के सभा भवन में बुधवार विनांक 07 जुलाई 1999 को प्रविहन 11.30 बजे _(मानक समय) निम्नलिखित कार्य होते संपन्न होगी :---

> ''31 सार्थ 1999 को समाप्त अवधि के लिए निदंशक बोर्ड की रिपोर्ट, बैंक का त्लन पत्र एवं लाभ-हागि लेखा और बैंक के सुलन पत्र एवं क्षेक्षां पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट प्राप्त करना ।''

> > चेपा कार्मशन प्रबन्ध निवदेशक

बैंक आफ इण्डिया सामाम्य विनियम 1999

बैफकारी कम्पनी (उपकमों का अर्जन व अन्तरण) अग्निनियम 1970 की धारा 19 में प्रत्यायोजित शक्तियों का अग्निनियम 1970 की धारा 19 में प्रत्यायोजित शक्तियों का अपयोग करते हुएं बैंक आफ इण्डिया का बोर्ड भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात और केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुयति के अनुसार निम्नलिखित जिनियमों को बनात। हू---यबा

अध्याय – 1

परिषय

- 1. सक्षिप्त नाग और प्रारम्भ
- (i) इन विमियमों को बैंक आफ इण्डिया सामान्य विनि-यम 1999 कहा जायेगा।
- (ii) ये विनियम सरकारी राजपक्ष में प्रकाशन की तारी का से लागूं होंगे।

2. परिभाषाए

इन विनियमों में जबनक्त कि विषय या सन्दर्भया उपमके निहितार्थं से अन्यया विपरीत न हो ।

- (क) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन व अन्तरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) है।
- (व) ''बैंक'' से अभिप्रेत अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत गठित निगमित निकाय ''बैंक आफ इण्डिया'' है।
- (ग) "बोई" से अभिप्रेत अधिनिमम की भारा 9 के अन्तर्गत गठित बोर्ड है।
- (भ) "अध्यक्ष" से अभिन्नेत बोर्ड का अध्यक्ष है।
- (क) ''समिति'' से अभिप्रेतवोर्ड द्वारा गठित समिति ते है ।
- (भ) ''कार्यंकारी निदेशक'' से अभिप्रेत पूर्णकालिक निवेशक है, जो प्रबन्ध निदेशक न हो ।
- (छ) "महाप्रबन्धक" से अभिप्रेंत बैंक के महाप्रमम्बक से है।
- (ज) "प्रबम्धन समिति" से अभिप्रेत गोजना के उपबन्ध 13 के अस्तर्गंत गठित समिति मे है।
- (डा) "प्रबन्ध निदेशक" से अभिप्रेत बैंच के प्रवन्त निवेशक से है।
- (ट) "रजिस्टर" मे अभिप्रेस शेयरधारकों का रजिस्टर, जो भैंक की एक या एक से अधिक बहियों में रखा गया हो और इसमें अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2 जी) के अस्तर्गत कम्प्यूटर पलापियों एवं डिस्केट्स के रूप में रखा गया शेयरधारकों का रजिस्टर भी शामिल है।
- (ठ) ''रजिस्ट्रार'' से अभिप्रेत निम्नलिखित के लिबे बैक द्वारा नियुक्त व्यक्ति से है।
 - (i) इश्यू से संबधित सिबेशकों में आवेदनीं पत्नों को प्राप्त करना।
 - (ii) निवेशकों से प्राप्त आवेदन पत्नों और धन-राशियों था प्रतिभू सियों के विकेता को भुगतान की गई ूँधनराशि का विधिवत रिकॉर्ड रखना।
 - (iji) निम्नलिखित कार्यों में बैंक की सहायता भरना-
 - (क) स्टॉक एक्सवेंज से परामर्श करके प्रतिभूतियों के आबंटन का आधार निर्धारित करना ।

1772

(खा) प्रतिभूतियों के आबंटन के लिये पास व्यक्तियों की सूची को अन्तिम रूप देना।

(ग) इष्यू से संबंधित आधंटन पत्नों, धन जापसी आदेशों या प्रसाणपत्नों और अन्य संबंधित वस्तावेजों को सैयार करना और भेजना।

(iv) बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित इसी प्रकार के अन्य कार्य।

(1) ''योजना'' से अभिप्रेत राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रथम्बन और विविध प्रावधान) योजना 1970 से है।

(ण) ''सेयर'' से अभिप्रेत बैंक के गोयर पूंजी में सेवर से है।

(ड) ''ग्रेयर अग्तरण एजेंट'' में निम्नलिचित शासिल है:---

- (i) कोई व्यक्ति जो बैंक की ओर से बैंक द्वारा जारी प्रतिभूतियों के धारकों का रिकाई रक्षता हो और इसकी प्रतिभूतियों के अन्तरण और मोचन से संबंधित सभी मामलों पर कार्ब करता है, या
- (ii) उप-बन्ध (i) उष्लिखित गतिषिधियों को निष्पादित करने वाला बैंक का कोई विभाग या प्रभाग .(च/हे इसे जिस भी लाग से जाना आए)

(ण) अध्याय (iii) में प्रयुक्त होने वाली शब्दावली और अभिव्यक्तियों, जिन्हें इन विमियमों में परिभाषित नहीं किया गया है किन्तु जिन्हें डिपाजिटरीज अधिनियम 1996 (1996 का अधिनियम 22) में परिभाषित किया गया है, उनमें उपर्युक्त अधि-मियम में दर्शाये गये सम्बद्ध अर्थ का समावेग होगा।

(त) प्रयुक्त होने वाली अन्य अभिव्यतियों और जिन्हें इन षिनियमों में परिभाषित नहीं किया गया है, किन्तु अधिनियम या योजना प्रयुक्त किया गया है, उनमें अधि-नियम या योजना निर्धारित सम्बद्धअर्थों का समावेश होगा।

अध्याय-11

गोयर और मोयर रजिस्टर

3 शोयर का स्वरूप

बैंक के शेयर, इन विभियमों में उष्टिलखित प्रावधानों के अनुरूप चल संपत्ति एन अन्तरणीय होंगे। 4. शैयर पूँजी के प्रकार

(i) अधिमानी शेयर पूंजी से आषय बैंक की शेवर पूंजी के एक भाग से है जो कि निम्न धोनों शर्तों को पूरा करती हो —-

(म) जहां तक लाभांश का प्रथन है, इसमेनिर्धारित वर से गिमे गये या निर्धारित राशि मा भुगतान करने के अधिमानी अधिकार होते हैं जो कि या तो आयकर से मुक्त हो सकते हैं या उसके अध्य-धीम हो सकते हैं।

(ख) जहां तक पूंजी का प्रथन है, परिसमापन या पूंजी का पुनर्भुगतान करना होता है या होगा, को चुकता पूंजी का चुकला मानी गई पूंजी की राशि से अधिमानी अधिकार का घुनर्भुगतान होना चाहिए चाहे भुगतान का अधिमानी अधिकार निम्नलिखित धनराशि में से हो या न हो इसमें से एक हो या बोनों हो यथा—–

कः. उपयंध (कः) में उल्लिखित राशि से सर्वधित परिसमापन को तारीख या पूंजी पुनर्भुगतान की तारीज तक जकाया शेव कोई भी राशि और

च. केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति से कोर्ड द्वारा निर्धारित कोई भी निष्चित प्रीमियम या किसी निक्षित दर से प्रीसियम ।

(ii) ''इक्विटी लेगर पूंजी'' का अभिप्राय सभी सेथर पूंजी से हैं जो कि अधिमान्य शेयर पुंजी नहीं हैं ।

(iii) ''अधिमास्य पोयर'' और ''इविवटी प्रोयरू'' अभिण्यवितयों का अर्थ तदेनुरुप सिया जाए ।

5. रणिस्टर में दर्ज किए जाने वाले विवरण

(i) अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 2 (एफ) के अनुरुप योयर रजिस्टर बनाकर उसका रखरण्यात्र किया जाएगा और उसे अधतन किया जाएगा।

(ii) अधिनियम की धारा 3 उग्धारा 2 (एफ) में उल्लिखित विवरणों के अतिरिक्त बोर्ड द्वारा निर्धारित अन्य विवरणों को रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा ।

(iii) किसी ग्रोयर की संयुक्त धारिता के मामले में; उप विनियम (i) के अनुरुप उनके नामों और विवरणों को इस प्रकार की सयुक्त धारिता को पहले नाम के तहत सामूहिक रुप में लिखा जाएगा ।

(iv) अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 2 (डी) के प्रावधानों के अनुरुप, भारत से बाहर रहने वाले शेयर-धारक, भारत में अपने पते की सूचना बैंक को दे सकते हैं और ऐसे पते को रजिस्टर में दर्ज किया जाना चाहिए और अधिनियमों और इसके विनियमों के लिए इस पते को उसका पजीहत पता समझा जाना चाहिए।

(v) किसी विश्वास अभिव्यक्ति, अंतनिहित या परि-लक्षिस के नोटिस को बैंक रजिस्टर में दर्ज नहीं किय। जाए अथवा बैंक द्वारा प्राप्त न माना आए ।

ग्रेयरों और रजिस्टरों पर नियंत्रण

अधिनियम और इसके विनियमों के प्रावधानों और समय-समय पर बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप बैंक के प्रधान कार्यालय में रजिस्टर रखा जायेगा और वहीं उसका रखरखाव किया जाएगा और इसे बोर्ड नियंत्रण में रखा जाएगा और शेयर की धारिता के रूप में पंजीकृत की पालता से संबंधित बोर्ड का निर्णय अंतिम माना जाएगक।

७. बेंपार्टियों जो गोयरधारक के रूप में पंजीक्वत नहीं हो सकसीं

(i) जब तक इन विनियमों में अन्यथा उल्लिक्कित न हो, के सभी क्यकित जो संविदा करने के पात्र न हों, शोयरधारक के रूप में पंजीइत होने के पात्र नहीं है और इस सर्वध में बोर्ड का निर्णय निष्क्षपत्मिक और अंतिम होगा।

(ii) फर्म के मामले में, शेयर वैयक्तिक भागीवार के नाम से दर्ज होने चाहिए और इसलिए किसी भी फर्म की शेयरधारक के इरप में दर्ज होने की पात्रता नहीं है।

8, कम्प्यूटर पदाति आदि में शेयर-रॉजस्टर का रख-रखाव

(i) अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा 2 (एफ) के अंतर्गत रजिस्टर में दर्ज किए जाने वाले आवश्यक विवरण जिन्हें विनियम 5 में उल्लिखित के साथ पढ़ा आए, अधिनियम की धारा 3 की उप धारा 2 (जी) के अनुसार प्रधान कार्यालय में रखे जाने वाले कम्प्यूटर मुंबकीय/आप्टिकल/मेगनेटो--आप्टिकल मीडिया में डिस्केट्स प्रस्तपी, कार्ट्रिज या अन्य प्रकार से (इसके बाद मीडिया कहा जाएगा) के रूप में रखे जाएं और इनका बैंक अप ऐसे स्थानों पर जिसे; समय समय पर अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक द्वारा या अध्यक्ष व प्रबध निदेशक द्वारा इस कार्य के लिए महाप्रबंधक स्तर के पदनामित अधिकारी द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार विया जा सकता है (जिसे बाद में ''पदनामित अधिकारी'' कहा जाएगा ।)

(ii) अधिनियम की धारा 3 (बी) के अंतर्गत शेयर रजिस्टर में दर्ज किए जाने वाले आवश्यक विवरण, डिपा-जिटरी अधिनियम 1996 की धारा 11 के साथ पढ़ा जाए जिसे इलेक्ट्रानिक प्रारूप में या उसमें उल्लिखित स्वरूप में रखे जाएं।

9. कम्प्यूटर पद्धति की सुरक्षा के लिए उपाय

(i) विनियम 8(i) में उल्लिखित पद्धति, जिसमें आंकड़े संग्रहित किए गए हैं, तक पहुंच, ऐसे स्वमितयों, जिम्हें इण्यूका रजिस्ट्रार और/या णेयर अंतरित करने वाले एजेस्ट्स जैसा भी अध्यक्ष या प्रबंध निवेशक या पदनामित अधिकारी द्वारा और पासवर्ड द्वारा यदि कोई हो प्राधिक्रुल किया गया हो, तक सीमित रखी जाए और इलैक्ट्रानिक सिक्यूरिटी नियन्नण सिस्टम को उपयुक्त व्यक्ति की अभि-रक्षा में गोपनीय रखा आए ।

(ii) प्राधिक्वत व्यक्तिकी पहुच को कम्प्यूटर सिस्टम के माध्यम से लाग पुस्तिका में दर्ज किया जाएगा ब्रीर इस पुस्दिका को अध्यक्ष और प्रयध निदेशक या पदनामित अधिकारी द्वारा इस उद्देश्य के लिए पदनामित अधिकारियों क्यक्तियों के पास मुरक्षित रखा जाए ।

(iii) अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक या पदनामित अधि-कारी द्वारा निर्धारित नियमित अंतराल पर शेयर द्वारक के रजिस्टर में परिवर्तन करते हुए अतरणीय माध्यम पर बैंक अप की प्रतियां ली जाएं, इनमें में कम में कम एक प्रति उस परिसर के सिवाय अन्य जगह रखी जाए जहां पर प्रोसेसिंग का कार्य होता है । यह प्रति आग से सुरक्षित वातावरण में ताले की व्यवस्था में और उपयुक्त नापमान के तहत रखी जाए । इन दोनों जगहों पर पहूँच, अध्यक्ष एवं प्रबध निदेशक या पदनामित अधिकारी द्वारा नामित कृधिचारी तक ही सीमित रखा जाए । प्राधिकृत व्यक्ति जगह पर रखे जाए मैन्युअल रजिस्टर में अपनी पहंच दर्ज करें ।

(iv) प्राधिक्कत व्यक्ति का यह दायित्व होगा कि बह बैक अप के आंकड़ों का मिलान आंकड़ों की सत्यता के लिए उपयुक्त साफ्टवेयर का उपयोग करके कम्प्यूटर सिस्टम के आंकड़ों से करें। इस परिचालन के परिणाम को इस उद्देश्य के लिए रखे रजिस्टर में दर्ज किया जाए।

(v) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के लिए यह उपयुक्त होगा कि वे तकनीकी विकास की ध्यान में रखते हुए ब्रोर/या स्थितियों की आवश्यकताओं के कारण या अम्म किसी कारणों से कम्प्यूटर सिस्टम में शेयरधारकों के रजिस्टर को रखे जाने की गोपनीयता का अनुपालन करने की दृष्टि से विशिष्ट या सामान्य आदेश द्वारा इस संवन्न मे जारी अनुदेशों को संशोधित करें या उनमें और अनुदेश शामिल करें।

10. संयुक्त धारक के अधिकारों का उपयोग

यदि कोई शेयर दो या अधिक व्यक्तियों के नाम पर है तब रजिस्टर में जिसका नाम प्रथम है उस व्यक्ति को शेयर के अंतरण को छोड़कर मतदान, लाभांश प्राप्त करने, नोटिस भेजे जाने या बैंक से संबद्ध अन्य मामलों में उसका एकल धारक समझा जाएगा ।

11. रजिस्टर का निरीक्षण

(i) जहां रजिस्टर रखा जाना है वहां विनियम 12 के तहत उसे बंद किए जाने के मामले को छोड़कर अन्य स्थिति में कारोबार के घंटों के दौरान किसी भी ग्रेथर-

1774

धारक द्वारा निःशुरूक निरीक्षण हेतु चुला रहेगा । परन्तु बोर्ड उचित प्रतिबंध लगा मकता है । फिर भी, प्रत्येक कार्यविवस में कम से कम दो घंटे तक के समय हेतु निरीक्षण की अनुमति दी जाएगी ।

(ii) कोई भी गेयरधारक बाहे तो रजिस्टर में प्रस्मेक प्रबिध्टि का सारांग निःशुल्क ले मकता है या कम्प्यूटर प्रिंट ले सकता है या यदि वह उसकी प्रति चाहे या रजिस्टर का कम्प्यूटर प्रिंट अथवा उसका कोई भाग चाहे तो आवश्यक प्रति हेतु प्रत्येक 100 गब्ध या उसके भाग के लिए ६० 5 की दर मे राशि का पूर्व भुगतान करने पर उन्हें यह दिया आएगा।

(iii) ऊपर विनियम (ii) में जो कुछ कहा गया है उससे असम्बद्ध रहते हुए सरकार को किसी भी विधिवत प्राधिकृत अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह रजिस्टर की किसी भी प्रबिष्टि की प्रति ने या रजिस्टर की प्रति या उसका कोई भाग उसे प्रस्तुत किया जाए ।

12. रजिस्टर बंद करना

बैंक जब अपनी राय में यह आवस्यक समझे तब कम से कम 7 दिनों पूर्व सूचना देने के बाद भारत में प्रसारित न्यूनतम 2 अखवारों में विज्ञापन देने के बाद सेयरधारकों का रजिस्टर प्रतिवर्ष कुल 45 दिनों परग्तु किसी एक समय अधिकतम 30 दिनों तक की अबधि या अबधियों के लिए बंद कर सकता है।

13. शीयर प्रमाणपत्न

1

(i) प्रत्येक शेयर प्रमाणपत्र पर शेयर प्रमाणपत्न संख्या, विशिष्ट संख्या, जिसमे शेयरों हेतु प्रमाणपत्न जारी किमः गयाहै, वह संख्या तथा जिसे यह जारी किया जाता है उस शेयरधारक का नाम, बोर्ड द्वारा निर्धारित रूप में होंगे ।

(ii) प्रत्येक घोयर प्रमाणपत बोर्ड के संकल्प के अनुसरण में सामान्य सील के तहत जारी किया जाएगा और उस पर दो निदेशकों तथा बोर्ड ढारा इस प्रयोजन मे नियुक्त अन्य अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे ।

परन्तु निदेशकों के हस्ताक्षर मुद्रित अंकित, लिथोग्राफित होंगे या उसकी छाप होगी या बौर्ड द्वारा इस दृष्टि से दिए गए निदेशानुसार अन्य योझिक प्रक्रिया से अंकित किए हुए हो सकते हैं।

(iii) इस प्रकार मुद्रित, अंकित, लिथोग्राफित या अन्य ढंग सं अंकित हस्ताक्षर उसी प्रकार वैध होंगे जैसे कि हस्ताक्षरी ने उचित ढंग से अपने हस्ताक्षर किए हों।

(iv) कोई भी घेयर प्रमाणपत्न तब तक बैध नहीं होंगे,ज़ब लक उम पर इस प्रकार से हस्ताक्षर न किए गए हों । इस प्रकार हस्ताक्षरित, घेयर प्रमाणपत्न बैध होंगे और उसी प्रकार इस बात से आसंबंध रहते हुए बाध्यकारी होंगे कि उनका जारी किए जाने से पहले कोई भी ब्यक्ति जिसके हस्ताक्षर उन पर हों वह बैंक की ओर से णेयर प्रमाणपत्नों पर हस्ताक्षर करने हेतु प्राधिक्तन ब्यक्ति नहीं रहता है।

(v) इस प्रकार किए गए प्रमाणपन्न जिन पर उपबंध (ii) में दर्शाए गए अनुसार प्राधिक्वत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर हों और प्रभाणपन्न जारी किए जाने समय उसकी मृत्यु हो जाए तब बैंक जो उसे सर्वाधिक उचित प्रतीत हो ऐसी किसी पद्धति से प्रमाणपत पर ऐसे व्यक्ति के हस्ताक्षर को रद्द कर देगा और अन्य किसी प्राधिक्वत व्यक्ति के हस्ताक्षर उस पर चिपका देगा । इस प्रकार जारी किए गए प्रमाणपत्न मैध होंगे ।

14. गेयर प्रमाणपत्न जारी करना

(i) किसी मेयरधारक को मेयर प्रमाणपत जारी करने समय बोई के लिए वह उपयुक्त होगा कि वह मेयर धारक के नाम से किसी एक अजमर पर दर्ज प्रत्येक 100 मेयर अवना इनके गुणकों के लिए प्रमाणपत जारी करे तथा इससे अखिक बावरों की संख्या लेकिन जो सो से कम डूंगे के लिए एक असिरिक्त मेयर प्रमाणपत जारी करे।

(ii) यदि वर्ज किए जाने वाले मेयरों की संख्या 100 से मन्म है तो सभी मेयरों के लिए एक प्रमाणपत्र जारी किना जाए।

(iii) यदि कई क्यक्तियों द्वारा एक अववा अधिक शेयर संयुक्त रूप से रखे गए हैं तो मैंक एक में अधिक शेयर प्रमाणपत्न जारी करने के लिए बाध्य नहीं होगा तथा शेयर के लिए एक प्रमाणपत्न की डिलीवरी संयुक्त शेयरबारकों मैं से किसी एक को पर्याप्त होगी।

1.5. ग्रेयर प्रमाणपक्षों का नवीकरण

(i) यदि कोई शेयर प्रमाणपत कट-फट गया हो अथवा बराब हो गया है तो बोर्ड अथवा बोर्ड के दारा गठित समिति इस प्रकार के प्रमाणपत्न प्रस्तुन किए जाने पर इसे रद्द करने का आदेश दे सकती है तथा इसकी एवज में नया प्रमाणपत्न जारी कर सकती है।

(ii) यदिकोई शेयर प्रमाणपत्न खो गया हो अथवा नण्ट हो गया हो तो बोर्ड अखवा इसके द्वारा गठित समिति ऐसी क्षतिपूर्ति के लिए जमानत सहित अथवा जमानत के बिना औसा बोर्ड या समिति उचित समझे तथा दो समाचारपत्रों में उक्त सूचना के प्रकाणन एवं बैंक को लागत प्रभार एवं व्ययों के भुगतान पर खो गए अथवा नण्ट हो गए प्रमाणपत्नों की एवज में पाझ व्यक्ति को डुप्लिकेट प्रमाणपत्न आरी कर सकती हैं।

16. ज्ञीयरों का समेकन एवं उप विभाजन

शेषरधारक/पोयरधारकों के लिखित आवेदन पर बोर्ड / अववा उसके द्वारा गठित समिति उसे समेकन/उप विभाजन के लिए प्रस्तुत गेयरों को यथास्थिति समेकित अथवा उप विभाजित कर सकती है तथा इनकी एवज में नए प्रमाणपत्न जारी कर सकती है, इसके लिए बैंक को इसकी लागत, प्रभार तवा क्ययों का भूगतान करना होगा ।

17. शेयरों का अंतरण

(i) बैंक के शेयरों का प्रत्येक अंतरण एक लिखत— संलग्न फार्म "ए" अथवा बैंक द्वारा समय-समय पर अनुमोदित ऐसे अन्य प्रारूप/फार्म के द्वारा होगा तथा यह संबद्ध शेयर प्रमाणपत्न संलग्न करते हुए अंतरणकर्ता और अंतरिती द्वारा अथवा की ओर से निष्पादित किया जाएगा जो कि विधिवत स्टांपयुक्त एवं दिनांकित होगा ।

(ii) अंतरण लिखत तथा शेयर प्रमाणपत्न बैंक के प्रधान कार्यालय को प्रस्तुत किए जाएंगे तथा अंतरणकर्ता को तब तक ऐसे शेयरों का धारक माना जाएगा जब तक कि अंतरिती का नाम शेयर में दर्जून कर दिया जाए ।

(iii) बैंक को अंतरण लिखत तथा णेयर प्रमाणपत्न अंतरण दर्ज करने के अनुरोध महिन प्राप्त होने पर बोर्ड अववा बोर्ड के ढ़ारा गठित समिति उक्त अंतरण लिखत तथा शेयर प्रमाणपत्न रजिस्ट्रार तथा/अथवा शेयर अंतरण एजेंट को इस आगय के सत्यापन के उद्देश्य से भेज वेंगे कि तकनीकी अपेक्षाओं का पूर्णतया अनुपालन किया गया है । रजिस्ट्रार तथा/अथवा शेयर एजेंट अंतरण लिखन तथा शेयर प्रमाणपन्न यदि हो, को पुनः प्रस्तुत करने के लिए अंतरिती को लौटा देगा, बगर्ते:

- (क) अंतरण लिखत बैंक को विधिवत स्टांपयुक्त तया यथोचित रूप से निष्पादित कर रजिस्ट्रेशन के लिए प्रस्तुत की गई हो तथा इसके साथ गेयर प्रमाणपत्र जिससे कि यह संबंधित हैं संलग्न किया गया हो एवं बोर्ड द्वारा मांगे जा सकने वाले ऐसे अंतरणकर्ता के अधिकार को दर्शाने वाले अन्य प्रमाण जिससे अंतरण किया जा सके, विलेख प्रमाणपत्न प्रस्तुत किया गया हो ।
- (च) रजिस्ट्रार इस आशय से संतुष्ट हो कि अंतरिती ब्यक्ति लिखत में अंकित शेयरों के लिए बैंक का शेयरधारक के योग्य है।

() बोर्ड अथवा बोर्ड द्वारा गठित समिति द्वारा यदि उक्त अंतरण को तदनंतर विनियम संख्या 19 के तहत रजिस्टर करने से मनान करने की दशा में अंतरण को रजिस्टर किया जाना चाहिए ।

18. अंतरण आस्थगित (सस्पेंड) करने का अधिकार

बोर्ड अथवा बोर्ड द्वारा गठित समिति रजिस्टर अम्ध रहनेकी किसी अवधि के दौरान अंतरण वर्ज महीं करेगी । 19. जोई का घेपरों के अंतरण को दर्ज करने से मना क**रने का** अधिकार

(i) बोर्ड निम्नलिखित में से किसी एक अथवा अधिक कारणों में न कि किसी अन्य कारण में अंक्षरिक्षी के नाम से किसी शेयर को अंतरित करने से भना कर सकता है।

- (क) शेयरों का अंतरण अधिनियम अथवा विनियमों के तहत अथवा किसी अन्य नियम के विरुद्ध हो अयवा इस प्रकार के अंतरणों को दर्ज करने संबंधी नियम की किसी धर्न का अनुपालन न किया गया हो।
- (का) बोर्ड की राय में गेयरों का अंतरण बैंक के हितों अथवा जनहित के विरुद्ध हो ।
- (ग) भेयर के अंतरण पर न्यायालय, न्यायधिकरण अथवा किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा किसी नियम के तहत प्रभावी आदेश जिस पर अभी रोक लगी हो ।
- (भ) भारत से बाहर स्थित कोई कंपनी या ग्याकित अथवा ऐसे नियम जो भारत में लागू नहीं हैं के तहा संस्थायित कोई कंपनी अथवा ऐसी कंपनी की कोई शाखा भले ही बह भारत से बाहर स्थित हो या नहीं अंतरण की अनुमति मिजने पर बैंक के शेयर प्राप्त या अर्जित कर सकेगी तथा इस प्रकार का कुल निवेग प्रदत्त पूजी के 20 प्रतिगत से अधिक अथवा केन्द्र सरकार द्वारा राजकीय गजट में अधिसूचना जारी कर यथानिर्दिष्ट किया जाएगा।

तथापि, उपरोक्त उप विनियम (i) (सी) के तहत मना करने संबंधी उल्लिखित अधिकारों का उपयोग बोर्ड द्वारा गठित समिति कर सकेगी ।

(iⁱ) बोर्ड बैंक के ग्रेयर अंतरण संबंधी लिखत अंतरण दर्जकरने हेनु उसे प्रस्तुत किए जाने पर अपनी राय देगा कि इस प्रकार का रजिस्ट्रेशन उप विनियम (i) के तहत किसी कारण से मना किया जा सकता है अथवा नहीं।

- (क) यदि इसके द्वारा यह राय व्यक्त की गई हो कि **ऐसा** रजिस्ट्रेशन मना नहीं किया जाए, रजिस्ट्रेशन **दर्ज** कर दिया जाए तथा
- (ब) यदि इसके द्वारा यह राय व्यक्त की गई हो कि ऐसा रजिस्ट्रेगन उल्लिखित उप नियम (i) के तहत किसी कारण से मना किया जाए तो अंतरणकर्ता तथा अंतरिती को अंतरण फार्म प्राप्त होने की तारीख से 60 दिनों में लिखित रूप में नोटिस दिशा जाए ।

20. मृत्यु, दिवालियापन आदि की स्थिति में ग्रेयरों का प्रेषण

(i) किसी णेयर के मृतक णेयरघारक के निप्पा**दकों** अथवा प्रशासकों अथवा इच्छा पन्न (प्रोबेट) घारक अ<mark>थवा</mark> यसीवत्तनामे के साथ या **इसके वि**ता प्र**शासन पद्मीं अयना** भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के भाग 4 के तहत जारी उत्तराधिकार प्रमाणपत अथवा किसी कानूनी प्रति-वेदन के धारफ अथवा किसी ऐसे व्यक्ति जिमके पक्ष में मुतक ढारा अपने जीवितकाल में अंतरित वैध प्रलेख निर्धारित किया गया, को ही बैंक ढारा ऐसे शेयर का हुक अधिकार होने की मान्यता दी जाएगी ।

(ii) दो अयवा अधिक णेयर धारकों के नाम से रजिस्टर्ड शेयरों के मामले में, एक अभवा अधिक उत्तरजीवी तथा अंतिम उत्तरजीवी की मृत्यु के बाद उसके निप्पावक अथवा प्रशासक अथवा कोई अन्य व्यक्ति जिसके पास ढच्छा (प्रोबेट) पत्न अथवा वसीयन सहित अथवा इसके बिना प्रणासनिक पत्न अथवा उत्तराधिकार प्रमाणपत्न अथवा शेयर के लिए उत्तरजीबियों के संदर्भ में कोई अन्य कानूनी प्रतिवेदन अथवा वह ब्यक्ति जिसके पक्ष में शेयर अंतरण संबंधी बैच प्रलेख ऐसे व्यक्ति जासके पक्ष में शेयर अंतरण संबंधी बैच प्रलेख ऐसे व्यक्ति द्वारा निष्पादित किया गया हो तो तथा मृतक ब्यक्ति के जीवनकाल के बौरान रहे ऐसे उत्तरजीवी ब्यक्ति को हो, बैंक ढारा ऐसे शेयर का हक अधिकार होने की मान्यता दी जाएगी।

(iii) बैंक ऐसे निष्पादकों अलमा प्रशासकों को तब तक मांस्मता देने के लिए बाध्य नहीं होगा जब तक कि वे सक्षम अधिकार क्षेत्र के न्यायालय से समास्थिति प्रोवेट अभवा प्रशासनीय पद्य अथवा उत्तराधिकार प्रमाणपत्न प्राप्त न कर लें।

तथापि यदि वोर्ड किसी मामले में अपने विवेक के अनुरूप डचित समझे तो बोर्ड प्रोवेट अथवा प्रशासन पत्न अथवा उत्तराधिकार प्रमाणपत्न अथवा कोई अन्य कानूमी प्रतिवेदन प्रस्तुत करने से छूट दे सकता है, इसके लिए क्षतिपूर्ति अथवा अस्व गर्ते जो बोर्ड उचित समझे लगा सकता है।

(iv) ऐसे किसी व्यक्ति जो शेयरधारक की सृक्ष्यु के बाद शेयर के लिए पात्न हुआ हो तथा ऐसे किसी व्यक्ति, जो शेयरधारक के दिवालियापन धनणोधन अक्षमता अथवा परिसमापन के फलस्य रुप णेयर के लिए पात्न हुआ हो को बोर्ड द्वारा अपेक्षित प्रमाणपत्न प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होंगे.-

- (क) ऐसे शेयर के लिए शेयर धारक के रुप में रजिस्टर करना।
- (ख) इस प्रकार के क्षेयर जिससे कि अखिकार प्राप्त किंवा गया है, अंतरित करना ।

21. बोबरधारक रजिस्ट्रेशन के लिए अयोग्व होता

ब्यक्तिगत रूप से अथवा अन्य/अन्यके सःभों संयुक्त रूप में रजिस्टर्ड ग्रेयरधारक का यह दायित्व होगा कि किसी ग्रेयर के संबंध में रजिस्ट्रेशन के लिए अयोग्यता की सूचना बोर्ड को देदी जाए।

22. घोगरों के संदर्भ में धनराणि की मांग

कोर्ड समय-समय पर शेगरधारकों से उनके पास पड़े शेगरों की बकाया राशिकी, जब भी उपयुक्त समझे मांग कर सकता है तथा प्रस्पेक घेयरधारक प्रत्येक मांगकी राधि का घोई ढारा नियत व्यक्ति राथा नियत स्थान पर भुगतान करेगा । सांग राशि का जिस्तो में भुगतान हो सकता है ।

23. संकल्प--दिनांक मे राणि की मांग

धनराशि के लिए मांग उस समय से मानी जाएगी जब से कि बोर्ड ने इस प्रकार की मांग के लिए अधिकृत करने का संकल्प पारित किया हो तथा इस दिनांक को अववा बोर्ड के विवेकानुसार नियन फिसी आगामी दिनांक को दर्ज बेबर-धारकों की इस राशि का भगतान करना होगा।

24. राणि की मांग हेतु नोटिस

प्रत्येक मांग के लिए न्यूनतम 30 दिन का नोटिस दिवा जाएगा जिसमें भुगतान----समय का उल्लेख हो लेकिन इस प्रकार की मांग के भुगतान समय से पूर्व बोर्ड शेयरबारकों को लिखित नोटिस देते हुए इसे वापस भी लेसकेगा।

25. राशि की मांग के भुगतान के समय की अवधि बढ़ाना

बोर्ड समय-समय पर एवं अपने विवेक से सभी अववा किसी भी शेगरधारक का उनके निवास स्थल की दूरी अववा किसी अन्य कारण से भुगतान के लिए नियत समय की अवधि बढ़ा सकेगा। लेकिन किसी भी शेयरधारक को इस प्रकार अवधि बढाए जाने हेतु पालनाका कोई अधिकार नहीं होगा।

26. संयुक्त धारकों के उत्तारवायित्व

शेयर के संयुक्त धारक मांग राशि के भुगतान के लिए संयुक्त रुप से अथका अलग अलग उत्तरदायी ब्रोंगे।

27. नियत समय पर अथवा किस्तों द्वारा मांग राशि का भुगतान

यदि किसी णेयर निगम की णतौं अथवा अन्य कारणों से कोई राणि किसी नियत समय पर अथवा नियत समय पर किस्तों द्वारा देय है तो ऐसी प्रत्येक राणि अथवा किस्त का भुगतान बोर्ड द्वारा विधिवत की गई मांग के रुप में की जाएगी। जिसके लिए कि उपयुक्त नोटिस दिया गया हो मांग राणि संबंधी सभी प्रावधान संबद्ध राणि अथवा किस्त के अनरूप होंगे।

28. जन मांग राशि अववा किस्त पर क्याज देव हो

यदि निसी मांग अथवा किस्त भुगतान संबंधी राशि का भुगतान के लिए नियत विनांक को भुगतान न किया गया हो तो विद्यमान धारक अथवा घेयर आर्थटिसी (जिसके लिए कि राशि की मांग की गई है अथवा घेयर किस्त देय होगी) बोर्ड ट्वारा समय समय पर नियत दर से इस राशि पर भुगतान के लिए नियत दिनांक से वास्तविक भुगतान की विनांक तक की अवधि के लिए व्याज का भुगतान करेगा, लेकिन बोर्ड को इस प्रकार के ब्याज की पूरी राणि अथवा उसके अंग में छट का विवेकाधिकार होगा।

9. प्रीयरधारकों ढारा सांग राशि का भुगतान न करना

किमी भी णेयरधारक द्वारा उसके पास व्यक्तिगत रुप में अथवा किमी व्यक्ति के साथ संयुक्त रुप में प्राप्त झेवर पर समस्त मांग राणि प्रभारित क्ययों एवं क्याज राशि वदि कोई हो का पूर्णतया भुगतान न कर दिए जाने तक उसे 'किसी प्रकार का लाभांश देय नहीं होगा तथान ही उस पर शेमर-खारक का कोई अधिकार हो सकेगा।

30. मांग राणि अथवा किस्त भुगतान न होने पर नोटिस

यदि कोई घेयरधारक किसी शेयर की समस्त आंधिक राशि अववा किस्त अथवा देय कोई अन्य राशि-मूल अथवा ब्याज का भुगसान के लिए नियत दिनांक तक भुगतान नहीं कर पातान तो बैंक तस्पश्चात ऐसी किसी भी समय अवधि अर्थात मांग राशि अथवा किस्त अथवा किसी आंधिक राशि का भुगतान बकाया रहने अथवा संबद्ध कोई निर्णय (जजमेंट) अथवा किंकी पूर्णतया अथवा आंधिक रुप में बकाया रहने पर ऐसे शेयरधारक अथवा हस्तांतरण के फलस्वरुप शेयर के अधिकार प्राप्त व्यक्ति को मांग राशि अथवा किस्त अथवा इसका अंश अथवा अन्य राशि जो कि बकाया हो का अर्थित क्यांज तथा सभी व्यय (कानूनी अथवा अन्य) जो कि भुगतान न होने के कारण बैंक ढारा किए गए हों, के लिए नोटिस जारी कर सकता है ।

31. जन्ती (फोरफीट) का मोटिस

जन्ती के नोटिस में किसी एक दिन जो कि नोटिस की दिनाक से 14 दिन से कम नहीं होगा तथा स्थान जिस/जन पर कि इस मांग रागि अथवा किस्त अथवा आंशिक राशि अथवा अन्य राशि एवं उपरोक्त ज्याज का भुगतान किया जाना है का उल्लेख होगा। नोटिस पर इस बात का भी उल्लेख होगा कि नियत समय एवं स्थान पर भुगतान न होने की स्थिति में शेयर जिसके लिए रागि मांगी गई की अथवा किस्त देय थी को जब्त किया जा मकेगा।

32. जुक होने पर जम्त किये जाने वाले शेयर

यदि उपरोक्सानुसार ऐसे किसी नोटिस की आवश्यकता पूरी नहीं की जाती है तो जिनके बारे में ऐसा नोटिस दिवा गया हो ऐसे किसी भी ग्रेयर को उसके वाद इस आगय के बोर्ड के संकस्प के द्वारा जब्त किया जा सकता है णिससे संबंधित कोई भी बकाया राणि का भुगतान न किया गया हो, ऐसी जब्ती में जब्त किये गये घोयरों से मंबंधित सवाम बोषित किये गये लाभांश का समावेश होगा परस्तु अच्ती से पहुले धास्तव में अदा कर दिये गये लाभांश का समावेश नहीं होगा।

33. रजिस्टर में जम्ती की प्रविष्टि

जब विशियम 32 के सहत किसी शेवर को जरूस किंग जाता है तब इसे जब्सी की सारीख के साथ रंजिस्टर में दर्ज किया जाना चाहिये। 34. जब्त किये गये ग्रेयर बैंक की संपक्ति होंगे जिन्हें केचा जा मकेगा।

इस प्रकार जब्त किया गया घोयर बैंक की संपत्ति समक्षा जायेगा और उन्हें उन घतों पर और उस तरीके से बेचा जा सकेगा, पुनः आवंटित किया जा सकेगा या किसी व्यक्ति को बोर्ड द्वारा निर्धारित पद्धति के अनुरूप दिया जामकेगा।

35. जस्ती को रह करना

विनियम 32 के तहत इसप्प्रकार जब्त किये गये होवरों को बेच देने, पुनः आवंटित करने या किसी अस्य प्रकार मे निपटाने से पूर्व बोर्ड उसके द्वारा निर्धारित कर्तों के सहत इस जब्ती को रह कर सकता है।

36. शैयर धारक जन्ती के समय बकाया राशि और व्याज के भुगतान के लिये जिम्मेदार होगा।

जिनके शेयर जब्स किये हैं ऐसे कोई भी शेयरधारक चाहे जब्दी हुई हो या नहीं, बैंक की सभी काल राशि, किस्तें आय एवं ग्यय जब्ती के समय ऐसे शेयर से संबंधित अन्य राशि या वकाया राशि तथा बोर्ड ढारा निर्धारित कर्य राशि या वकाया राशि तथा बोर्ड ढारा निर्धारित कर पर उस पर ब्याज के साब भुगतान करने के लिये जिम्मे-धार होगा और तत्काल भुगतान करेगा और बोर्ड पूरी राशि या उसके किमी भाग के भुगतान को प्रवर्तिन कर सकता है।

37. आझिक भुगतान अस्ती को नहीं रोकेगा।

किसी घोयर के बारे में काल राशियों या बकामा अन्य राशियों के लिये बैंक के पक्ष में निर्णय या बिक्री अखवा कोई भी भुगतान या उसके तहत की सन्तुष्टि अयवा शेयर धारक से समय समय पर बकाया राशि का मूल राणि के रूप में या ब्याज के रूप में या किसी हिस्से में भुगतान अववा बैंक द्वारा ऐसी किसी राशि के भुगतान के बारे में दी गई छूट इस बिनिमय के तहत घेयरों की ऐसी जब्ती को नहीं रोकेगा।

38. ग्रेयरों की जन्ती से बैंक के विरूद सभी दावे समाप्त हो जाते हैं।

ग्रेयरों की जब्ती के समय ग्रेयर में संबंधित बैंक के विरूद्ध के सभी हित तथा सभी दाओं और मांगों तथा ग्रेयर से सम्बन्ध सभी अन्य प्रासगिक प्राधिकारों की जब्दी का समावेग हो जाता है परन्तु इन अधिकारों में ऐसे अधिकार शामिल नहीं होंगे जिन्हें स्पष्ट रूप में छोड़ दिया गया ही ।

39. जम्स हो जाने पर बिक्री पुनः जारी करने, पुनः आबंटन या निपटान पर मुल शोयरों का अमान्य हो जाना।

पूर्ववर्ती विनियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत शेवरों की बिक्री पुनः आबंटन या अन्यथा निपटान होने पर सम्बन्ध शेवरों के सम्बन्ध में मूल रूप में जारी किये गऐ प्रमाण पक्ष रहू हो जायेंगे और अमान्य बन जायेंगे और प्रकाबी महीं रहेंगे (सिवा इसके कि बैंक द्वारा मांग किये जाने पर चक-कर्त्ता मदस्य ने पहले में ही उन्हें वापिस कर दिया हो) और

1778

बोर्ड ने इन ग्रोयरों के सम्बन्ध थें उसके लिये पात्र व्यक्ति या व्यक्तियों को नये प्रसाण पत्न जारी करने के लिये अधिकत होगा।

जब्ती के प्रावधान लागू होन।

41. शेयरों पर ग्रहणाधिकार

 (i) बैंक का निम्नलिखित ग्रेयरों पर प्रथम और सर्वी-परि ग्रहणाधिकार होगाः

- (क) ऐसे प्रत्येक गोयर (जो पूर्ण प्रदत्त शोयर नहीं हैं) के सम्यन्ध में कॉल की गई या निर्धारित समय पर देय सभी राशियां (चाहे वर्तमान में देय हो या नहीं)।
- (ख) किसी व्यक्ति ढारा वर्तमान में बैंक को देय सभी राणियां या उसकी सम्पत्ति में से देय राणियों के लिये उसके नाम पर पंजीकृत सभी खेयरों के लिये (जो पूर्ण प्रदत्त खेयर नहीं है)।
- (ग) प्रत्येक व्यक्ति के नाम पर (चाहे एकल रूप में) या अन्य के साथ संयुक्त रूप में) सभी शेयरों के रजिस्टर्ड हो जाने पर तथा उसकी बिक्ती की प्राप्तियों पर बैंक के साथ उसके उधार, देयतायें और जिम्मेदारियां चाहे एकल रूप कें या अन्य के साथ संयुक्त रूप में चाहे उसके भुगतान, पूर्णतया विमोचन का समय वास्तव में आया हो या नहीं तथा किसी भी शेयर में सम्पर्फ हिन बैंक बारा उसके ग्रहणाधिकार से अधिक मान्य नहीं होगा। वोर्ड चाहे तो किसी भी मभय किसी भी शेयर को पूर्णत: या अज्ञतः इस खण्ड के प्रावधानों से मुक्त कर सकता है।
- (ii) बैंक का किसी शेयर पर कोई ग्रहणाधिकार होगा तो वह उस परदेय सभी लाभाशों पर भी लाग होगा।
- 42. शेयरों की बिक्री द्वारा ग्रहणाधिकार प्रवर्तित करना :
 - (i) बैंक अपने ग्रहणाक्षिकार वाले किसी भी शेयर को, जिसे वोर्ड उचित समझता हो, ऐसे तरीके से बेचसकता है:
 - (क) ऐसी राशि जिसके सम्बन्ध में ग्रहणाधिकार है यदि वर्तमान में देय हैं और
 - (ख) झेयर के वर्तमान रजिस्टर्ड धारक या उसकी मृत्यु या दिवालिमेपन के कारण प्रेयरों के हरूदार व्यक्ति को 14 दिल की लिखित गोटिस जिसमें राशि के उस भाग के बारे में कहा गया हो और यांग की गई हो, जिस पर ग्रहणाधिकार होता हो, और वर्तमान में देय हो।

(ii) ऐसे किसी विक्रय को प्रभावी करने के लिये बोर्ब उसके खरीददार को बेचे गये शेवर अन्तरित सरने के लिये कुछ अधिक।रियों को प्राधिकृत कर सकना है।

43. जेयरों की विकप-प्राप्तियों का विनियोग

शेपरों के विकय को प्राप्तियों की प्रयोज्यता विनियम-42 के अन्तर्गत किसी शेयर की विक्री पर शेयर की लागत को काटने के याद णुद्ध प्राप्तियों को उससे सम्बन्ध वर्तमान में देय राशि को ग्रहणाधिकार ण संबधित देयता, उधार श जिम्मेदारी की सन्तुध्टि के पेटे जगा किया जायेगा और यदि कोई राशि बचती है तो उले इस प्रकार वेचे गये शेयर के अन्तरण ढारा प₀ल शेपर धारक या व्यक्ति को भुगतान किया जायेगा।

44. जब्तीका प्रमाणपत्न

शेपर के वारे में काल कि सा गना और बोर्ड द्वारा पारित इस आशय के संफला बारा शेयर जब्त किया गया, इस प्रकार में किसी निदेशक या इस हेतु विधिवत प्राधिकृत बैंक के किसी अन्य अधिकारी बारा दिया गया प्रमाण, उसमें दर्शाए गये तथ्य का ऐसे शेयरों के लिये पात सभी व्यक्तियों के विरूद्ध अन्तिम साक्ष्य होगा।

45. जब्त शेयरों के खरीददार और आबंटिती का हक

किसी भी गेयर की बिक्री, पुनः आबंटन या अन्य निपटान पर दिया गया कोई प्रतिफल बैंक को प्राप्त होता है और जिसे वे गेयर बेचे ताते हैं, पुनः आबंटित किये जाते है गा निपटान किया जाता है उसे गेयर के धारक के रूभ में पंजीकृत किया जा सकना है और उसके लिये प्रतिफल यदि कोई हो, की प्रयोज्यता देखना बाध्यका लिये प्रतिफल यदि कोई हो, की प्रयोज्यता देखना बाध्यकारी नहीं होगा, न ही उसका गेयर का हरू गेयर की बण्दी बिक्री, पुन आबंटन या अन्य निपटान के संडर्भ में प्राप्तियां प्राप्त होने पर कोई अनियमितता या अवैधता से प्रधालित होगा और बिक्री से जिसे हामि पहुंची है ऐने व्यक्ति का उगत्य केवल हरात्मा होगा और सिर्फ बैंक के विरूख ही होगा।

- 16. ग्रेप्ररधारकों को नोटिस या दस्तावेज जारी करना :
 - (i) बैंक कियी भी प्रेयर धारक को व्यक्तिगत रूप से या सामान्य डाक से उसके पंजीकृत पते पर या यदि भारत में उसका पंजीकृत पता न हो तो उसके ढारा नोटिस देने हेतु बैंक को विये गये भारत में ही कियी पद पर नोटिस या वस्तावेज भेज सकता है।
 - (ii) जब नोटिंग का दस्तावेज डाक द्वारा भेजे जाते हैं तब इस प्रकार नोटिंस या दस्तावेज भेजने के सम्बन्ध में यह राप्तका जायेगा कि वह दस्तावेज या नोटिंस वाला पत्र उचित ढंग से पता लिखकर, डाफ व्यय पहले में अद। करने हुए डाक में भेजा गया है।

परग्सु जहां गोयरधारक मैंक को पहले से ही सूचिस करता है कि दस्ताबेज डाक प्रमाणपत्न के साथ अथवा पंजीकृत डाक से प्राप्ति सूचना के साथ या बिना प्राप्ति सूचना के भेजी जाये और ऐसा करने सम्बन्धी पर्याप्त व्यय बैंध: में जमा करा देता है, तब वह नोटिस या दस्तावेज तब तक प्रभावी ढंग से भेजा गया नहीं माना जायेगा जब तक कि वह शेयरधारक ढारा दर्शाए गए तरीके से न भेजा जाये, इस प्रकार नोटिस भेजना बैठक की सूचना भेजने के मतमले में वह पत डाक में प्रेषित करने से 48 घण्टे समाप्त होने के बाद तथा अन्य मामलों में उस समय से प्रभावी हुआ समझा जायेगा जिस पर मामान्य डाक से एन प्राप्त हो जाता।

- (iii) जब नोटिस या दस्तावेज भारत में व्यापक रूप से प्रसारित किसी अखवार में विज्ञापित किया जाता है तब वह विज्ञापन प्रकाशित होने के दिन बैंक के उन सभी येयरधारकों को विधिवत भेजा गया समझा जायेगा जिसका भारत में कोई पंजीकृत पता नहीं है और जिल्होंने बैंक को नोटिस भेजे जाने हेतु भारत में कोई पता उपलब्ध नहीं कराया है।
- (iv) किसी शेयर के संयुक्त धारकों के मामले में बैंक द्वारा कोई नोटिस या वस्तावेज शेयर से संबंधित पंजीकृत प्रथम नाम वाले संयुक्त धारक को प्रभावी ढंग से भेजा जाता है तब इस प्रकार दिया गया नोटिस उपरोक्त शेयर धारकों के लिये पर्याप्त नोटिस होगा।
- (v) शेयर के किन्हीं पात व्यक्तियों को उनकी मृत्यु हो जाने पर या शेयरधारक के दिवालिया हो जाने पर उनके नाम पर या मृतक अथवा दिवालिया के समनुदेशिती के नाम पर या इस प्रकार की स्थिति में इस प्रकार की पात्रता का दावा करने वाले व्यक्तियों द्वारा इस प्रयोजन से उपलब्ध कराये गये पत्ते पर बैंक द्वारा नोटिस या वस्तावेज भेजे जायें या जब तक ऐसा पता उपलब्ध नहीं कराया जाता है उसी प्रकार नोटिस या वस्तावेज भेजे जायें जिस प्रकार मृत्यु या दिवालिएपन की घटना घटित ही नहुई हो।
- (vi) बैंक बारा दिये जाने वाले किसीभी नोटिस पर हस्ताक्षर लिखित या मुद्रित हो सकते हैं।

अध्याय-III

डिपोजिटरी में रखी गई बैंक की प्रतिभूतियां

47. बैंक एवं डिपोजिटरी के बीच अनुबंध

बैंक अपने ढारा जारी की गई प्रतिभ्तियों के सम्बन्ध में किसी एक या अधिक डिपोजिटरी की सेवायें लेने हेतु उनसे अनुबन्ध कर सकता है। 48. डिपोजिटरी एवं सहभागी के बीच अनुबन्ध

7/D/T # 15 ----

(i) कोई भी सहभागी डिपोजिटरी का एफोंट बनने हेंगु उससे अनुबन्ध कर सकता है, जिस डिपोजिटरी से अनुबन्ध किया जाता है वह वही डिपोजिटरी होगा जिसके साथ बैंक ने विनियम 47 के तहन सेवाएं लेने का अनुबन्ध किया है।

(ii) बैंक का कोई भी गेयरधारक बैंक ढ़ारा जारी की गई प्रतिभूति के सम्बन्ध में सहभागी के माध्यम से किसी डिपोजिटरी की सेवायें प्राप्त करने हेतु उनके ढ़ारा निर्धारित फार्म में उनसे अनुबन्ध कर सकता है।

49 प्रतिभूति के प्रमाण पत्न वापिस करना

(i) बैंभ के कोई भी शेयरधारक या प्रतिभूति धारक जिसने उक्त विनियम 48 के तहत अनुबन्ध किया है वह जिन प्रतिमूति प्रमाणपत्नों के सम्बन्ध में बैंक के डिपोजिटरी की सेवायें प्राप्त करना चाहता है, उन प्रतिभूति प्रमाणपत्नों को बापिस कर देगा।

(ii) बैंक उपरोक्स उप-विनियम (i) के अंसर्गत प्रतिभूति के प्रमाण पत्न प्राप्त होने पर उन्हें रद्द कर देगा और प्रतिभूति के सम्बन्ध में डिपोजिटरी का नाम अपने रिकार्ड में पंजीकृत स्वामी के रूप में लिख देगा तथा डिपोजिटरी को तदनुरूप अवगत कराएगा ।

(iii) डिपोजिटरी उपरोक्त उपविनियम (ii) के तहन सूचना प्राप्त होने हर उपर उप-थिनियम (i) में दर्शामे गये क्यक्ति का नाम लाभार्थी स्वामी के इरूप में अपने रिकार्ड में ढर्ज करेगा।

50 प्रतिभूति के अंतरण का डिपोजिटरी के पास पंजीकरण

प्रत्येक डिपोजिटरी बैंक की ओर से अंतरण होने सम्बन्धी सूचना प्राप्त होने पर प्रतिभूतियों का अंतरिती के नाम पर अंतरण दर्अ करेगा।

51. प्रतिभूति प्रमाणपत्न प्राप्त करने था डिपोजिटरी के पास प्रतिभूति को रखने का विकल्प

(i) बैंक द्वारा प्रस्तावित प्रतिभूतियों में अभिदान करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिभूति प्रमाणपत्र प्राप्त करने अथवा प्रतिभूति को डिपोजिटरी के पास रखने का विकल्प उपलब्ध होगा।

(ii) जब कोई व्यक्ति प्रतिभूति डिपोजिटरी के पास रखने का विकल्प चुनता है तब बैंक उस डिपोजिटरी को प्रतिभूति के आबंटन का क्यौरा सूचित करेगा और ऐसी सूचना प्राप्त होने पर डिपोजिटरी आबंटिती का नाम प्रतिभृति के लाभार्थी स्वामी के रूप में अपने रजिस्टर में ढर्ज करेगा।

52. डिपोजिटरी में रखी गई प्रतिभूतियां समरूप हों

जिपोजिटरी ढारा रखी गई सभी प्रतिभूतियां क्रिमेटी-रिलाइज रूप में होगी तथा समरूप में होगी।

- 🗼 -

A

53 ल।भाषीं स्वामी के अधिकार

लाभार्थी स्वामी डिपोजिटरी के पास रखी गई अपनी प्रसिभूतियों के तम्बन्ध में सभी अधिकारों और लाभों का पाल होगा और सभी देवताओं के लिये जिम्मेदार होगा।

54 लाभार्थी स्वामी का रजिस्टर

(i) प्रत्येक डिपोजिटरी के लिये यह आवश्वक होगा कि वह डिपोजिटरी द्वारा रखी गई बैक की प्रतिभूतिमों के सम्बन्ध में डिपोजिटरी अधिनियम, 1996 या ''सेबी'' ढाग निर्वारेत इंग से एक रजिस्टर रखे और लाभाषी——स्वामियोंको कमानुसार दर्ज करें।

(ii) डिराजिटरी, बैंक ढारा निर्धारित ऐसे अन्तरालों पर अगने पास रखे लाभार्भी---स्वामियों के रजिस्टर एवं अनुसूची की अद्यतन प्रति बैंक को भेजेगी।

55 फिसी भी प्रतिभूति के संबंध में अलगहोने का विकल्प

(i) यवि किसी भी प्रतिभूति के संबंध में लाभधारक स्वामी डिपोजिटर से अलग होना चाहता है तो उसे तदनुसार डिपोजिटरी को सूचित करना होगा।

(ii) डिपोटिरी को उपरोक्त उपविनियम (1) के अंतर्गत इस प्रकार की सूचना प्राप्त होने पर वह अपने रिकार्ड में समुचित प्रवृष्टियों करेगा एवं बैंक को सूचित करेगा ।

(iii) बैंक डिपोजिटरी से इस प्रकार की सूचना प्राप्त होने पर 30 दिनों (तीस) के भीतर झौर इस प्रकार की शतों के पूरा होने पर तथा ऐसे शुल्क का भुगतान किए जाने पर जैसा कि सेवी डिपोजिटरीज एवं पार्टीसिपेंट्स विनियम 1996 और/ अथवा डिपोजिटरी अधिनियम 1996 में विनिर्दिष्ट किया गया हो, लाभधारक स्वायी अथवा अंतरिती को जैसा मी मामला हो, को प्रतिभूति का प्रमाणपत्न जारी करेगा ।

अध्याय-4

ग्रोयरघारकों **की** बैठकें

56. वार्षिक सासाम्य सभा बुलाने की सूचना

(i) अध्यक्ष एवं प्रबंध निवेशक अथवा कार्यपालक निवेशक अथवा क्षैंक के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित वार्षिक सामान्य सभा बुलाने की नोटिस भारत में विस्तृत प्रसार वाले कम से कम दो समाचारपत्नों में 21पूर्ण दिवसों पहले प्रका-शित की जायेगी।

(ii) इस प्रकार की प्रत्येक नोटिस में इस प्रकार के बैठक के स्थान, समय एवं तारीख का तथा इस प्रक्रार की बैठक में किए जाने वाले कारीबार का उल्लेख किया जाएगा।

(iji) इस प्रकार की बैठक का समय एवं तारीख निदेशक मण्डल द्वारा तय किये गये अनुसार होगी । बैठक अँक के प्रधान कार्यालय के स्थान पर होगी ।

57. असाधारण सामान्य सभाः

(i) अध्यक्ष एवं प्रबंध निवेशक अवत्रा उनकी अनुपस्थिति

में बैंक के कार्यपालक निदेशक अथवा उनकी अनुपस्थिति में बैंक के निदेशकों में संकोई निदेशक, यदि निदेशक मंडल ऐसा निर्देशित करे अथवा ऐसी बैठक बुलाने की मांग केन्द्रीय संरकार अथवा बैंक के शेयर धारकों में यदि अन्य कोई झेयर धारक से जिसके पास शेयर धारकों के वोट देने के कुल अधिकार की 10प्रतिशत भाग से कमन हों, के मॉग करने पर, शेयरधारकों की असाधारण सामान्य सभा बुला सकता है।

مصافية ومعتقبته والمتشاب ومتعت

(ii) उपवितियम (i) में उहित्रखिन मांग में असाधारण सामान्य सभा की बैठक बुलाये जाते के उद्देश्य का उल्लेख किया जाता चाहिए । किन्तु इसमें तर्ई दस्तावेजों का समावेण होने पर प्रत्येक पर एक या उसने अधिज मांग करने वालों के हस्ताक्षर होने चाहिए ।

(iⁱⁱ) ऐसे मामलों में जहां दो या अधिक व्यक्ति किसी शेयर के संयुक्त स्वामी हों वहां इस प्रकार की मांग पर अथवा नोटिस जिसके द्वारा बैठक की मांग की गयी है उस पर यदि एक के अथवा कुछके हस्ताक्षर हों तो भी इस विनियम के लिए उसका वही प्रभाव होगा जैसे उस पर सभी ने हस्ताक्षर किये हों।

(iv) अमाधारण सामान्य सभा का समय, स्थान एवं तारीख का निर्धारण निदेशक मंडल द्वारा किया जायेगा । वशतें, असाधारण सामान्य सभा केन्द्रीय सरकार की मांग पर अथवा शेयर धारकों की मांग पर बैठक बुलाने की मांग प्राप्त होने के 45 दिनों से अनधिक पर बुलायी गयी हो ।

(v) यदि बैंक के ग्राठयक्ष एवं प्रबंध निदेशक अथवा उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक, जैसा भी मामला हो, उप-विनिथम (i) में वाछित बैठक उपविनियम (iv) में उल्लिखित प्रावधानों में निर्धारित समय में बैठक नहीं बुलाते हैं तब बैठक की मांग करने वालों द्वारा बैठक की मांग किये जाने की तारीख से तीन महीने के भीतर बैठक बुलायी जा सकंगी।

बंशर्ते, इस उपविनियम में ऊपर उल्लिखित 3 महीने की अवधि के समाप्त होने के पहले बुलायी गयी बैठक तथा उस अवधि की समाप्ति के बाद कुछ दिनों के लिए स्थगित करने के विरुद्ध रोका न माना जाये ।

(vi) मांग करने वालों के द्वारा उपविनियम (v) के अंत-गैत बुलायी गयी बैठक को उसी ढंग से बुलाया जाएगा जैसा कि निवेशक भडल द्वारा अन्य सामान्य सभाओं के मामले में किया जाता है।

58. सामान्य सभा की गण पूर्ति कोरम

(i) एयरधारकों की किसी भी बैठक में तब तक कोई भी कारोबार नहीं किया जा सरुंगा जब तक कि इस प्रकार की बैठक में इस प्रकार का कारोबार प्रारंभ करने से पहले वोट देने का अधिकार रखने वाले कम से कम पॉच गेयरधारक व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहों।

(ii) बैठक के लिए निर्धारित समय से आधे घंटे के भीतर कोरम मौजूद न होने पर यदि बैठक केन्द्र सरकार की मांग के अलावा बोयर धारकों की मांग पर बुलायी गयी हो तो बैठव समाप्त हो जायेगी ।

भाग III---खण्ड 🔺

(iii) दूसरे अन्य मामलों में बैठक के लिए निर्धारित समय के आधे घंटे के भीतर यदि कोरम मौजूद न हो तो बैठक अगले सप्ताह के उसी दिन, उसी समय और उसी स्थान के लिए अयथा उसी प्रकार के किसी अन्य दिन समय और स्थान के लिए जैसा अध्यक्ष निर्धारित करें, स्थगित हो जायेगी। यदि स्थगित बैठक के लिए निर्धारित समय, स्थान एवं तारीख पर आधे घंटे के भीतर क़ोरम मौजूद नहीं होता है तब वे शेंधर धारक जो स्वयं उपस्थित हों अथवा परोक्षी के रूप में उपस्थित हों अथवा उनके विधिवत प्राधि इत प्रतिनिधि इस बैठक में उपस्थित हों वे कोरम माने आयेंगे और वह कारोबार कर सकोंगे जिनके लिए बैठक बुलायी गयी हो।

परन्तु अधिनियम की धारा 10ए (i) की गतों के अनुरूप वार्षिक सामान्य समा के लिए निर्धारित तारीख से बाद की किमी तारीख के लिए कोई भी वार्षिक सामान्य समा स्थणित नहीं को जायेगी किन्तु यदि बैठक को आणामो सन्ताह को स्थणित करने का प्रभाव यह हो तो आधिक सामान्य सभा स्थणित नहीं की जायेगी बल्कि बैठक की कार्ययाही निर्धारित समय से 1 घंटे के भीतर, यदि कोरम मौजूद है, शुरू होगी अयवा एक घंटे के समाप्त होने के तत्काल बाद प्रार्म्भ होगी और वे शेयर धारक जो व्यक्तिगत रूप से मौजूद हों अथवा उनके परोक्षी उपस्थित हों अथवा उनके विधिवत प्रतिनिधि उपस्थित हों वे इस बैठक के कोरम माने जायेंगे ।

59. सामान्य सभा के अध्यक्ष

(i) अध्यक्ष एव प्रबंध निदेगक अथवा उनकी अनुपस्थिति में कायंपालक निदेगक अथवा उनको अनुपस्थिति में ऐसे कोई निदेगक जिल्हें सामान्यतः अथवा किसी विशेष बैठक के सम्बन्ध में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा अथवा उनकी अनुपस्थिति में इस मामले में कार्य-द्वारा अथवा उनकी अनुपस्थिति में इस मामले में कार्य-पालक निदेशक द्वारा प्राधिकृत किना गया हो बैठक के अध्यक्ष होंगे । यदा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अथवा कार्यपालक निदेशक अथवा इस सम्बन्ध में प्राधिकृत कोई अन्ध निदेशक उपस्थित नहीं हो तो बैठक में उपस्थित किसी अन्ध निदेशक को सभा, बैठक का अध्यक्ष चुन सकती है ।

(ii) सामान्य मना के अध्यक्ष मामान्य सभा को कार्यबाही को विनियमित करेंगे विशेष रूप में उनको यह अधिकार होगा कि वे यह तय करें कि शेगर धारक सभा को किन कन में संबोधित करेंगे उनके भाषण की अवधि भी तय करेंगे तथा यदि ने यह समझे कि किसी मामले पर पर्याप्त चर्चा हैं। चुकी है तो वे बैठक को समाप्त घोषित कर सकेंगे ।

60. सामान्य सभा में भाग लेने के लिए पाल व्यक्ति

ं(i) उपविनियम (iⁱ) के प्रावधानों के अनुसार सभी निदेशक एवं भेयरधारक मामान्य सभा मैं भाग लेने के पाल होंगें । (ii) कोई मेवर धारक केन्द्र सरकार नहीं असवा निवेशक जो लामान्य सभा में भाग ले रहा हो उसे पहनान एवं उसके वोट देने के अधिकारों का विनिर्धारण भरने के लिए निम्नतिखित विवरणों के साथ अध्यक्ष द्वारा निर्धारत कार्म ने हस्ताक्षर करके प्रस्तुत करना होगा।

क. उलका पूरा नाम व पंजीकृत डाक पता।

- ब उनके शेयरों की विशिष्ट सखया ।
- ग. बभा उन्हें बोट देने का अधिकार है । यह स्वमं ब्थक्तिगत रूप से अयवा परोक्षी के माध्यम से अयवा विधिवत प्राग्निकृत प्रतिनिधि के माध्यम म फितने बोट देने के लिए पाल है ।

61. सामान्य सभा में मतवान

(i) किसो भी मामान्य घना में कोई भी संकल्प जिसे सभा के बोट के जिए प्रस्तुत किया जाता है; जब तक मतदान को मांग न क्री गई हो उसका निर्णय हाथ उठाकर सहमति के आधार पर तथ माना जायेगा ।

(ⁱⁱ) अधिनियम नें दिने गये प्रावधानों के अलावा सामान्य सभा के प्रस्तुत प्रत्येक मामले को बहुमत के आधार पर तय किया जायेगा ।

(jii) जब तक कि उपविनियम (i) के अन्तर्गत मतदान की मांग न की गया हो तब तक बैठक के अध्यक्ष द्वारा यह घोषणा कि संकल्प, हाथ उठाने से पारित किया गया/नहीं किया गथा या तो एकमत से अथवा विणिष्ट बहुमत से एवं इस आणय की एक प्रविष्टि उन बहियों में जिसमें कार्यवाही का कार्यवृत्त दिया गया हो वह इस तथ्य का इस प्रकार के संकल्प के पक्ष विपक्ष में डाले गये मतों को संख्या/अनुपात के प्रमाण के खिना भी निर्णायक सक्ष्य होगा ।

(iv) किसी भी संकल्प पर हाथ उठाकर मतदान का परिंगाम घोषित करने में पूर्व अथवा परिंगाम घोषित करने पर सभा का अध्यक्ष उनके अपने प्रस्ताव पर मतदान के लिए आदेश दे सकता है और इस मामले में किसी शैयरधारक अथवा उनके परोक्षों ढारा जो सभा में स्वयं उपस्थित हो अथवा उनके परोक्षों के माध्यम से जिनके पास बैंक की शेयर धारिता है, जिसके ढारा उन्हें संकल्प पर मतदान करने का अधिकार प्राप्त होता है, जो कि किसी संकल्प पर कुल मताधिकार के पांचवे भाग से कम नहीं, के ढारा गांग करने पर बह आदेश प्राप्त करेगा ।

(v) मतदान को मांग को मतदान की मांग करने वाले व्यक्ति/क्यक्तियों द्वारा किसी भी समय बापस लिया जा नकेगा ।

(गं) स्थगन अथवा सभा के अध्यक्ष के चुमाथ के मामले में मतदान की मांग को तुरन्त हाथ में लिया जायेगा । भाग III--- शण्ट 4]

(vii) किसी अन्य मामले पर मतदान की मांग को ऐसे समय के भीतर लिया जायेगा जो मांग किये जाने में 48 घंटे से अधिक नहीं हो जैसा कि बैठक के अध्यक्ष निर्देणित करें।

(viii) किसी व्यक्ति के मताधिकार की पावता तथा मतदान के मामले तथा कोई व्यक्ति कितने वोट देने के लिए सक्षम है कि मागले में लभा-अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा ।

62. सामान्य समा का कार्यवृत्तः

(i) बैंक सभी कार्यवाहियों का कार्यवृत्त इस आशय हेसु बनायी गयी पुस्तर्को में दर्ज करेगा ।

(ii) इस प्रकार का कोई भी कार्यवृत्त जिस पर बैठक की कार्यवाही के अध्यक्ष के हस्ताक्षर करने हों अथवा आगामी बैठक के अध्यक्ष के हस्ताक्षर हों वह कार्यवाह का साक्ष्य होगा ।

(iii) जब तक की अन्यया प्रमाणित न हो, कार्य-वाहियों के सम्बन्ध में जिनके कार्यवृत्त तैयार किये ये हैं यह माना जायेगा कि ऐसी त्रैठकें बुलायी गयी और हुई हैं और उससे सम्वन्धित सभी कार्यवाही विधिवत् सम्पन्न हुई है।

अध्याय--V

निदेशकों का चयन

63. निदेशकों का चयन सामान्य सभा में होगा:

(i) अधिनियम की धारा 9 के अनुष्छेद 3 के खण्ड (i) के अनुसार किसी निदेशक का जयन केन्द्र सरकार के अलावा रजिस्टर दर्ज शेयरधारकों द्वारा बैंक की सामान्य सभा में उनके बीब में से किया जायेगा।

(ii) जबकि किसी निदेशक का चयन सामान्य सभा में किया जायेगा ६स आशय की सूचना सामग्न्य सभा बुलाने की सूचना में दी जायेगी। इस प्रकार की प्रत्येक नोटिस में चुने जाने वाले निदेशकों की संख्या तथा रिक्तियां जिनके संबंध में चनाथ किया जाना है, उनके विवरण विनिर्दिष्ट किये जायेंगे।

64. शैयरधारकों की सूची :

(i) इन विनियमों के विनियम 55 के उपविनियम (i) के अंतर्गन ग्रेयरधारकों की एक सूची रजिस्टर पर तैयार की जायेगी जिसके ऊपर से निदेणकों का चुनाव किया जायेगा।

(ii) इस सूची में झेयर धारकों के नाम, उनके पंजीकृत डाक पसे उनके द्वारा धारित में यरों की संख्या तथा उनके लिखिस विझिष्ट कमांक और उनके झैंयरों के पंजीकृत किये जाने की तारीख तथा चुनाव किए जाने की निर्धारित तारीख को, जिसकी बैठक होने वाली है, उनके मतों की संख्या आदि णानिल होंगे। इस सूची की प्रसियां निदेशक मंडल या प्रबंधन समिनि द्वारा तथ किए गए मूल्य पर प्रधान कार्यालय में बिकी के लिए आवेदन पर निर्धारित तारीख से कम से कम तीन सप्ताह पूर्व उपलब्ध होनी वाहिए ।

65. च्नाव के लिए प्रत्याशियों का नामांकन :

 (i) किसी भो प्रत्याशी का कोई भी नामांकन निदेश क के रूप में चुनाव हेनुन अन्तक निधिमान्य नहीं होगा जब तक कि

- (क) वह बैंक के एक गोयर का गोयर धारक नहीं हो ।
- (ख) उसे अधिनियम के अंतर्गत अथवा योजना के अंतर्गत नामौकन प्राप्त होने की अंतिम तारीख तक निदेशक होने के लिए अपोग्य घोषित न किया गया हो ।
- (ग) उसके नाम परधारित चत्हे संयुक्त रूप से अन्य के नाथ या एकल नाम पर बैंक के समी बेयरों की मांग राणियों का निर्वारित तारीख के पहले भुगतात तकर दिया गया हो ।
- (घ) नामांकन लिखित होना जाहिए और अधिनियम के अप्तर्गत निदेशक चुनने के निए पान कम में कम 100 शेअपधारकों के हस्ताक्षर नामांकन पर होते नाहिए अथवा इन सेथरवारकों के विधिवत नियन अटनी के हस्ताक्षर होने वर्धिवत किया जे कोई कंग्नी हो उनके निदेशको दारा पारित संकल्प के तहत किया जाना चाहिए और जहां ऐसा किया गरा हो वहाँ पर बैठक के अध्यक्ष द्वारा उसको सत्य प्रति-लिपि के रूप में प्रमाणित करके इसकी एक प्रति बैंक के प्रधान कार्यान्य को भेज दी जानी चाहिए और इन्न प्रति को उस कंपनी के ब्रारा किया गया नामांकन माना जाएगा।
- (इर) न्यायधोश, मजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार अथवा उप रजिस्ट्रार अथवा अन्य राजपत्रित अधिकारी अथवा भारतोग रिजर्व बैंक के अधिकारी के सामने की राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी के सामने की गई यह घोषणा नामांकन के साथ सलग्न अथवा शामिल होनी चाहिए कि वह नामांकन स्वीकार करना है और चुनाव के लिए खड़ा होना चाहता है और उसे अधिनियम अथवा योजना के अन्तर्गत अथवा इन विनियमों के अन्तर्गत निदेशक चुने जाने के लिए अयोग्य घोषित नहीं किंगा गया है।

(ii) कोई भा जाभांकत तब नह विधिमान्य नहीं होगा जब तक कि यह इंसरें। प्रंबंधित सभी दस्ताबेजों के माथ सभी रूप में पूर्ण होकर बैंक के प्रधान कार्यालय में बैठक के लिए तथ तारीख पे कम से कम 1.4. पूर्ण दिनों के पहले प्राप्त न हो जाए।

66. नामांकनों की संवीक्षा (आंच) : -

 (i) नामांकनों की जांच नामांकनों के प्राप्त होने की निर्धारित तारोख के आगामी कार्यवित को की जाएगी और यदि किसी नामांकन को विधिमान्य नहीं पाया जाता है तो उसे निरस्त कर दिया जाएगा और इस पर उसके निरस्त करने का कारण दर्ज कर दिया जाएगा। यदि किसी विशिष्ट रिक्ति के लिए केवल एक ही नामांकन होता है तब इस प्रकार से नामित व्यक्ति को तुरन्त चुना गया मान लिया जाएगा और उसका नाम और पता इस प्रकार के चुने जाने के लिए प्रकाशित किया जाएगा। इस प्रकार की स्थिति में इस आशय के लिए बुलाई गई बैठक में कोई चुनाव नहीं होगा और यदि बैठक पूर्ण रूप से इसी कार्य के लिए बुलाई गई हो तो यह रद्द हो जाएगी।

(ii) ऐसी भ्स्थति में जब चुनाव हो रहा हो तथा जब विधिमान्य नामांकनों की संख्या चुने जाने वाले निदेशकों से अधिक हो तो वह प्रत्याशी जिसे बहूमत प्राप्त होगा उसे चुना हुआ माना जाएगा ।

(iii) वह निदेशक जिसका चयन किसी रिक्ति को भरने के लिए किया गया है उसने अपना पदभार उस तारीख से संभाल लिया माना जाएगा जिस तारीख को इसका चयन किया गया अथवा जिस तारीख से उसका ज्युनाव किया गया माना गया है।

67. च्नाव-विवाद

(i) यदि कोई संदेह अथवा विवाद किसी व्यक्ति की योग्यता अथवा अयोग्यता के बारे में उठता है जिसका चयन हुआ है अथवा जिसे चयनित माना गया है अथवा जुना घोषित किया गया है अथवा उसे चुना घोषित किया जाना है तो निदेक चुने जाने की वैधता रखने वालाकोई ऐसा व्यक्ति जो प्रत्याणी होने में रुचि रखता ही अथवा शेंयर धारक जो इस प्रकार के चुनाव में मतवान करने के लिए पात है, उसे इस प्रकार के चुनाव में मतवान करने के लिए पात है, उसे इस प्रकार के चुनाव की घोषणा के 7 दिनों के भीतर बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध के निदेशक को इसकी लिखित सूचना देनी चाहिए और उक्त सूचना में चुनाव की वैधता और विवाद अथवा संदेह के सभी आधारों का विवरण देना चाहिए ।

(ii) उपवनियम (i) के अंतर्गत इस प्रकार की सूचना प्राप्त होने पर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अथवा उनकी अनुपस्थिति में बैंक के कार्यपालक निवेशक इस प्रकार के संवेह या विवाद को निर्णय के लिए उस समिति को भेज देंगे जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अथवा उनकी अनु-पस्थिति में कार्यपालक निदेशक और कोई दो निदेशक होंगे जिन्हों अधिनियम की धारा 9 के अनुच्छेद 3 के उपखण्ड ख और ग के अन्तर्गत नामित किया गया है।

(iii) उपविनियम (ii) में उल्लिखित समिति ऐसी जांच करेगी जैसा वह ठीक समझे और यदि उनके सामने यह आता है कि चुनाव विधि मान्य चुनाव हैं तब वह घोषित चुनाव की पुष्टि कर देंगे अपवा यदि उनके समक्ष ऐसा पाया जाता है कि चुनाव विधि मान्य नहीं या तव वह जांच प्रारंभ होने के 30 दिनों के भीतर ऐसे प्रादेश देंगे और नया चुनाव कराने अथवा जैसे समिति परिस्थितियों के अनुरूप ठीक समझे, सहित निर्देश जारी करेगी ।

(i∨) इस विनियम के अनुरूप समिति द्वांरा दिया गया आदेण व निर्देण निर्णायक होगा ।

अध्याय VI

शेयरधारकों का मताधिकार

68. मताधिकार का निर्णय

(i) अधिनियम के अनुच्छेद 3 (2ई) में दिए गए प्राध-धानों के अनुरूप सामान्य सभा की तारीख के पहले रजिस्टर बन्द होने की तारीख पर जिसे ग्रेयर धारक रजिस्टर में दर्ज किया गया है ऐसे प्रत्येक ग्रेयर धारक को हाथ उठाकर एकमत देने का अधिकार और यदि चुनाव होता है तो उनके नाम पर दर्ज प्रत्येक ग्रेयर के लिए उसे एक मत देने का अधिकार है।

(ii) अधिनियम के अनुच्छेद 3 (2ई) में दिए गये प्रावधानों के अधीन प्रत्येक शेयर धारक जो कम्पनी नहीं है, जो स्वयं अथवा परोक्षी के माध्यम से उपस्थित हो उसे हाथ उठाकर वोट देने की दशा में एक मत देने और चुनाव की स्थिति में उपविनियम (i) में यहां ऊपर उल्लिखित उसके द्वारा धारिन प्रत्येक शेयर के लिए एक मत देने के लिए पाल होगा।

स्पष्टीकरणः इस अध्याय के लिए ''कम्पनी'' से सार्स्पर्य ''कारपोरेट निकाय'' मे 8ै ।

(iii) बैंक के ग्रेयर धारक सामान्य सभी में भाग लेने एवं वोट देने के लिए पात होंगे तथा वे किसी अन्य ब्यक्ति (शेयर-धारक हो अथवा नहीं) उसके स्थान पर बैठक में भाग लेने एवं वोट बेने के लिए परोक्षी तिनुक्त कर सकेंगे, परंतु किसी परोक्षी को इन प्रकार की बैंठक में बोलने की अधिकार नहीं होगा।

69 विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से मतवान :

(i) कोई ग्रेयर धारफ, वह केन्द्र सरकार हो अथवा फम्पनी एक संकल्प के द्वारा जैसा मामला हो, अपने फिसी अधिकारी को अथवा किसी अन्य व्यक्ति को ग्रेयरधारकों की समाान्य सभा में अपने प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने हेतु प्राधिक्वत कर सकेगा और इस प्रकार से प्राधिक्वत व्यक्ति (जिन्हें इन विनियमों में "विधिवत प्राधिक्वत व्यक्ति" कहा गया है) केन्द्र सरकार की झोर से अथवा कम्पनी की ओर से जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है जैसे कि वह स्वयं बैंक का ग्रेयर धारक हो, उनके अधिकार का प्रयोग कर सकेगा, उस प्रकार दिया गया प्राधिकार विकल्पतः दो व्यक्तियों के नामों में हो सकता है और ऐसे मामलों में इनमें सेकोई व्यक्ति केन्द्र सरकार कम्पनी के विधिवत प्राधिक्वत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करसकेगा ।

(ii) बैठक के लिए निर्धारित की गयी तारीख से कम से कम जार दिन पहले बैंक के कार्यालय में विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि नियुक्ति किए जाने संबन्धी संकल्प की उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि न जमा कराने की दशा में कोई भी क्यक्ति न तो किसी बैठक में भाग ने सकेगा और नहीं मतदान कर सकेगा।

1784

भाग III--- सण्ड 4]

70. परोकी :

(i) परोक्षी के लिए कोई भी प्रपन्न तब तक विधि मान्य नहीं होगा जब तक कि वह किसी व्यक्तिगत ग्रेयरधारक के मामले में उसके ढारा हस्ताक्षरित न हो अथवा सयुक्त धारकों के मामले में यह रजिस्टर में नाम वाले धारक ढारा अथवा लिखित रूप में विधिवत अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित न हो अथवा कारपोरेट निकाय के मामले में इसके अधिकारी अथवा किसी विधिवत प्राधिकृत अटर्नी ढारा हस्ताक्षरित न हो ।

ब सतें, परोक्षी का कोई प्रपन्न किसी मेयर धारक द्वारा पर्याप्त रूप से हुस्ताक्षर किये गये हों, जो यदि किसी भी कारण से अपना नाम लिखने में असमर्थ हों और उसके अंगूटे के निमान इस पर अकित किये गये हों तो न्यायाधीम अथवा मजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार अथवा एग्योरेंन्स के उप रजिस्ट्रार अथवा सरकार के अन्य राजपत्नित अधिकारी अथवा बैंक के किसी अधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित किया गया हो ।

(ii) कोई भी परोक्षी तब तक विधिमान्य नहीं होगा जब तक कि इस पर विधिवत स्टाम्प न लगाया हो और इसकी एक प्रति बैंक के प्रधान कार्यालय में अथवा किसी अन्य स्थान पर, जिसको बैंक ने इस आशय हेतु विधिवत अधिसूचित किया हो, बैठक के लिए निर्धारित तारीख से कम में कम 4 दिनों पहले मुख्तारनामे के साथ अथवा अन्य प्राधिकार (यदि कोई हो) जिसके अन्तर्गत इस पर हस्ताक्षर किये गये हैं अथवा मुख्तारनामे की प्रति अन्य प्राधिकारी द्वारा जिसे सत्य प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित किया गया हो अथवा सुदतारनामा अथवा प्राधिकार पत्र जिसको नोटरी अथवा मजिस्ट्रैट द्वारा इसे प्रमाणित किया गया हो, और इसे बैंक के पास पहले से इस प्रकार के मुख्तारनामें को अथवा प्राधिकार को जमा न कराया गया हो ।

(iii) परोक्षी का कोई भी प्रपटन तभी मान्य होगा जब कि यह फार्म ''बी'' में हो ।

(iv) बैंक के पास जमा कराया गया परोक्षी का प्रपत्न अ-विकल्पी और अन्तिम होगा ।

(v) ऐसे मामलों में जहां परोक्षी दो व्यक्तियों के पक्ष में विकल्पतः प्रदान किया हो, एक फार्म से अधिक को निष्पादित नहीं किया जायेगा ।

(^{vi}) इस विनियम के अन्तर्गत परोक्षी के प्रपन्न को प्रदान करने वाला स्वयं व्यक्तिगत रूप से उस बैठक के मत नहीं दे सकेगा, जिसके लिए उसने इस प्रकार की परोक्षी प्रदान की है।

(vii) ऐसे किसी भी व्यक्ति को प्राधिकृत प्रतिनिधि अथवा परोक्षी नियुक्त नहीं किया जा सेकता है जो कि बैंक में अधिकारी अथवा कर्मचारी है।

> वी० एन० काम। सहाप्रबग्धक विधि इन्ते बैंक भाफ इडिया

बैंक ऑफ इंडिया

फार्म ''ए''

गेयर अन्तरण फार्म

(विनियम 17 का उप-विनियम (1) देखें)

निम्नलिखित के प्रतिफल स्वरुप लिखित नाम के अंतरणकर्ता/अंतरणकर्ताओं द्वारा लिखित नाम के अंतरिती/अंतरितियों को निम्नलिखित वर्णित अंकित ग्रेयरों को अंतरणकर्ता/अंतरणकर्ताओं द्वारा इन ग्रेयरों की अपनी विद्यमान धारित गर्तों के अध्यधीन अंतरण करता है/करते और एतदद्वारा अंतरिती/अंतरितियों ने उल्लिखित गर्तों के अध्यधीन इन ग्रेयरों को स्वीकार और धारित करना है/करते हैं ।

| कम्पनी का पू | रा नाम | | गप्त स्टॉक एक्सचेंज का नाम,जहां हे हुई है, यदिकी गई हो : | | |
|----------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--|--|
| ईक्विटी ग्रेयरों का विवरण | | | | | |
| अंकों में संख्या | शब्दों में संख्या | प्रतिफल रागि (अंकों में) | प्रसिफल राणि (गब्दों में) | | |
| विशिष्ट सं० | | | | | |
| तदनुरुपी प्रमाण पत्न अंतरणकर्ता (ओं) (विषरण | | पंजीक्रुत कोलियो सं | हस्ताक्ष र | | |
| पूरा नाम | | 2 | 1. 1. 2. 1. 3. 1. 4. 1. | | |

_____ अनुप्रमाणन

| गैंयहां वर्णित अंतरणकर्ता (ओं) | नाक्षी के हस्ताक्षप |
|--------------------------------------|----------------------|
| के हस्ताक्षर को अनुप्रमाणित करता हूं | ~ |
| हस्त(क्षर | साक्षी का नाम और पता |
| नॉम | |
| पता/सील | |
| | |
| | पिन |

नोट: उपयुक्त होगा यदि नाम की रखड़ मोहर सीधी लाइन में लगाई गई हो । वर्णानुक्रम को बनाए रखा जाए । जब समगोधन सदस्य द्वारा गेयरों की सुपुर्दगी की जाए तो क्रोकर की समशोधन संख्या दी जाए ।

| मुपुर्दगी देने वाले क्रोकर या समाग्रोधन सदस्य का नाम | विनांक | (क्रोकर के हस्ताक्षर (आद्यक्षर नह बैंक कपनी या स्टॉक एक्सचेज सम जमा कराने वाले का नाम पूरा पता शेयर प्रमाणपत्न वापस किए जार (उस व्यक्ति का नाम और पता ठ | दिनॉक ही) नाशोधन गृह) |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| | श्रेयर अंतरण स्टाम्प | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| अंतरिती (अंतरितियों) का/के पूरा/पूरे नाम | 1 2 | दवार (रों) के विवरण | हस्ताक्षर 1 |
| व्यवसाय | میں ہے ہے۔ جب سے میں ہے ہے۔ ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک | | पिता/पति का नाम |
| 1. | | | |
| 2. | | | ya, jao 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10 |
| 3. | | | ورور و و و و و و و و و و و و و و و و و |
| अंतरिती (अंतरितियों) का वर्तमान कोलियो, यदि कोई हो , नामों के अनुुक्रम में | | • | लगाई गयी मोहरों का मूस्य रु० |

| भाग 111- खण्ड 4] भारत का राजपत, जुम 5. | 1999 (ज्येष्ठ 15, 1921) 1787 |
|----------------------------------------|---------------------------------------|
| आज दिनॉक एक हजार नौ सौ. स्थान | |
| केवल कार्यालय प्रयोगहे <u>त</u> ु | |
| जांचकर्ता, | फोलियो कम्पनी कोड |
| हस्ताक्षर मिलनकर्ता | अंतरिती (अंतरितियों) के नमूना हस्यासर |
| | 1 |
| रजिस्टर में दर्ज | 2 |
| अल्रिण संख्या | 3 |
| अनुमोदन संख्या | |
| अनुप्रमा णन के लिए अनुदेश . | |

अनुप्रमाणन जहां, अपेक्षितहो (अंगूठेंका निगान चिह्न हस्ताक्षर अंतर आदि) मजिस्ट्रेट, नोटरी पब्लिक या विशेष कार्यपलक मजिस्ट्रेट ¹ का सरकारी कार्यालय का प्राधिकार प्राप्त क्योंक्ति या उसके कार्यालय की सील का उपयोग करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति या प्राधिकृत स्टाक एक्सचेज का ऐना सदस्य जिसके माध्यम ने गोयर लाए जाते हैं या अंतरणकर्ता बैंक का प्रबंधक ।

फार्म ''जी''

परोक्षी फार्म

(विनियम 70 का उप विनियम (iii) देखें)

| | | लियो मं० |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| | (छे | यर होल्डर द्वा रा भरा जाए) |
| मै/हम | | |
| | | n हूं/हैं और मेरे/ह्मारे पास वैंक के होय र |
| धारक रजिस्टर में दर्ज विशिष्ट सं० | मे | तक के शेयर 虔 । |
| में/हम एतद्द्वारा श्री | निवासी | |
| (अभवा उनके स्थान पर) को मेरे/हमा | श्री | निवासी |
| औंफ इंडिया के शेय रधा रकों की बार्षिक सामान्य बैठक में वोट देने | <mark>के लिए परोक्षी के रुप में नियुक्त कर</mark> त | ग हं/करते हैं । |
| दिनांक | | |
| दिनांक | . को हस्ताक्षरित | या जालीस पैसे का |
| नाम | . को हस्ताक्षरित . हुप | या जालीस पैसे का |
| | . को हस्ताक्षरित . हुप | |
| नाम | . को हस्ताक्षरित . हुप | या जालीस पैसे का |

क्ही॰ एन॰ कामा महाप्रबन्ध्-क (बिधि) विजया बैंक

प्रधान कार्यालय 41/2, एम०जी० रोड बेंगलूर--1, दिनांक 4 मई 1999

सं० कार्मिक/स्थापना/2282/99----जैंकिंग कम्पनी (उप-

कमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम 1980 की धारा 12, उप धारा (2) के साथ पठित धारा 19 द्वारा प्रदत्त मक्तियों का उपयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्भ तथा केन्द्र

में पूर्व अनुमति के साथ विजया वैक का निवेशक मंडल निम्न लिखित विनियम बनाता है:

. सक्षिप्त नाम व प्रायंभ

 ये विनियम विजया बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधित) विनियम 1998 कहलाए जाएंगे।

2. ये राजपत्न में प्रकाणित होने की तारीख से लागू होंगे।

II विजया बैंभ (अधिकारी) सेवा विनियम 1982 के विनियम 38 के एवज में निम्नलिखित विनियम होंगे ।

38---इसके नीचे यथा उपबंधित अधिकारी द्वारा अजित सभी प्रकार की छुट्टी, उनके पदत्याग, सेवानिवृत्ति मृत्यु, सेवामुक्ति/ बरखास्तगी या किसी अन्य कारण के लिए सेवा समाप्त होने से व्यपगत होगी। }

परन्तु जहां अधिकारी द्वारा इन विनियम के विनियम 19 की शतों के अनुसार बैंक की सेवाओं से मेवानिवृत्ति होने या विजया बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम 1995 की शतौं ∜के अनुसार 1 नवम्बर, 1993 के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने पर संचित छुटटी के आधार पर जिसकी अधिकतम सीमा 240 दिनों तक है, साधिकार छुट्टी की समतुल्य परिलब्धियां पाने का पात्न होगा ।

परन्तु यह और कि यदि संवाकाल के वौरान अधिकारी की मृत्यु हो जाती है तो उनके विधिक प्रतिनिधि को, अधिकारी के जीवित होने की स्थिति में मृत्यु तक संचित सावधि छटटी जिसकी अधिकतम सीमा 240 दिन है, की समयुख्य राणि देय होगी। यी० श्रीवर गेट्टी महाप्रबंधक (कार्मिक)

वि कास्ट एंड वर्ष्स एकाउन्टेंटस संस्थान

कलवज्ता-700016, दिसांक । जून 1999

दि कास्ट एंड दक्स एकाउन्टेंटम अधिनियम 1959 (1959 का 23वां) की धारा 39 की उपधारा (1) की उपधारा (3) को साथ मिले अधिकार का प्रयोग करने ह**ुए परिषद,** केन्द्रीय सरकार के अनुमोधन से कास्ट एंड वर्क्स एकाउन्टेंटेस अधिनियम 1959 में निम्नलिसिन संशोधन करसी है ।

कास्ट एंड बर्क्स एकाउन्टर्टेस अधिनियम 1959, अधि-नियम 21 की निम्नान्सार पढ़ा जाए:---

2.1 पंजीकरण शुल्कः :---पंजीयन को लिए आवेदन करने वाला प्रस्थेक व्यक्तिः 300/- रुठः का विद्यार्थी पंजीकरण शल्कः दोगा ।

(उपराक्ति अधिनियम 1 जुन, 1999 से प्रभावी हॉग) । उदयन राम

मिन्न

कर्मं चारी मविष्य निधि संगठन (केन्द्रीय कार्यालय) भविष्य निधि भवन, 14-भीकाजी कामा प्लेस नई विल्ली----110066, विनांक : 10 मई, 1999 से सं संबंध के ज्या जनि ज्या ग 1(4)/डी ज्एल ग (1699)/720---केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहां प्रतील होता है कि निम्ज-लिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत बात से सहमत हैकि कर्सचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जायें।

| क ०सं ० | | स्थापना का नाम व पता | ध्याप्ति की सिवि |
|----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| ~ 1 | 2 | | 4 |
| 1. | डी ०एल ०/16804 | मैं ७ इंडो मोबिल लि ०, स्यूट नं ० 405, 408, चौथी मंजिल, पहारपुर, बिजनेश सेंटर, 2122, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली | 1~1-95 |
| 2. | डो ॰ए)ल ॰/17726 | मै०ली एण्ड फंग इंडिया प्रा०लि०, 8, बालाजी इस्टेट, गुरू रविदास मार्ग, कालकाजी, नई दिल्ली~11,0019। | 1 -4-9 6 |

Hiq: 111-408 4]

4

| 1 | 2 | 3 | 4. |
|--------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 3. | डी ०ए ल ० 1896 3 | मै० शिया बिल्डर्स, 23/3, इंडस्ट्रीयल एरिया, आनन्ध पर्वत, नई दिल्ली—110005 । | i– 1–97 |
| 4. | डी ०ए ल ० /1898 8 | म० सकरे ड कॉस्ट्र्स्ग्नंस प्रा० लि०, ए० सी—1/141—बी, णालीमार बाग, दिल्ली——110052 । | 1~1 -97 |
| 5. | क्षी ०एल ०/19015 | मै० विद्यामं विर म् लासिज प्रा० लि०, 12/37, लोवर ग्राऊड, पंजाबी बाग (वैस्ट)., नई विल्ली—-110026 । | 1-7-97 |
| 6. | डी ॰एल ० /1903 2 | म ० कादिमों इंटरनैशनल प्रा ० लि ०, काशी हाऊस, १–ए, कनाट प्लेस, नई दिल्ली110001 । | 1 6 9 7 |
| 7. | डी ०एल ० /1905 1 | मै ० नादन इंस्ब्यूट फार इंटेग्रेटिङ लरनिंग इन–मैनेअमेंट, बी–11/66, शेर शाह सूरी मार्ग, मथुरा रोड़, बदरपुर, नई विल्ली––110044 । | 1-4-97 |
| 8. | श्वी ०एल ०/1905 6 | मै० प्रभा कौसट्रक्शंस, 81, प्रिया एग्क्लेथ, विल्ली——110092 । | <u>1-4-97</u> |
| 9. | डी ०एल ० /190 65 | मै० एल्बे इंजीनियरिंग सर्विसिज, 1/5289ए, गली नं० 10, बलकीर नगर, क्षाहवरा, विल्ली— 110032 । | 1-1-97 |
| 10. | डी ०एल ० /190 66 | मै० सुपरटैक कंसट्रक्यांस प्रा० लि०, 525/2, वजीराबाद रोड़, मीत नगर, (नियर रेलवे कासिंग), दिल्ली— 110094 । | 1— 1 7, 96 |
| 11. | डी ∘ए ल ० 19 067 | मै० पावर प्वांछट्, ए—60/10) शाप न [े] ० 44, सरपंच मार्किट, न्यु अ शोक नगर, दिल्ली—110096 । | · 1 497 |
| 12. | डी ०एस ० /1907 0 | ःमै० निम्बले सिक्योरिटी सर्विसिज प्रा० लि०, सी—1/77, क्रुष्ण विहार, विल्ली⊶—110041 । | 15-`€7 |
| 13. | डी ०एस ० / 1 90 9 0 | मँ०एस० के० सिक्योरिटी सर्विसिज, सी–54, एम० बी० रोड़, खानपुर, नई विल्ली–110062 । | 1-4-96 |
| 14. | डो ०एल ० / 19098 | मैं े दि मुगर टैक्नालोजिस्टस् एसोसिएमन आफ इंडिया, 21, कम्प्युनिटी सेंटर, ईस्ट ऑफ कैलाग, नई दिल्ली—–110065 । | 1- 7 - 9 7 |
| L 5 . | जी ०एस ०/19099 | म ⁷ ० प्रसोनल एड, ए11/ <i>3,</i> वसन्स विहार, मई दिल्ली110057 । | 1- 8-97 |
| 16 | डी ः एल ०/19106 | म ० इन्नोवेटिव टक्सटाईस प्रा ० लि ०, 807, रोहित हाऊस, ३, टॉल्सटॉय मागं; नई विल्ली110001 । | 1- 7 - 97 |

| 1 | 2 | 3 | 4 - |
|---------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 17. | डी ॰एल ॰ / 19119 | म ० मेनारिनी रोनक फार्मा लि ०, इलाहाबाद बैंक बिल्डिंग, 17, पालियाजेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली110001 । | 1-3-97 |
| 1 . | जी॰एस/19124 | मै० जापान ट्रावेल सर्विसिज, एन42, कनाट सर्कस, कनाट प्लेस, नई दिल्ली110001 । | 1- 7-9 7 |
| 19. | बी उएल/19148 | म० बेगई कसट्रम्शन प्रा० लि०, 16,ए, रूम नं० 105, उदय पार्क, मस्जिव मोठ, नई दिल्ली 110049 । | 54-07 |
| 20 . , | जी ०एल ०/ 191 88 | मै० पॉयनीर कॉरपोरेगन, 3344, पुसा गेट, साऊथ पटेल नगर, नई दिल्ली–110008 । | 1-11-97 |
| 21. | धी ०एल०/19191 | मै० इंडियन स्कूल ऑफ फाईनेंस एष्ड मैनेजमेंट त्रा० लि०, हमदर्व कॉवेन्शन सेंटर, हमदर्व नगर, (नियर ग्रेटर कैलाश-II), नई दिल्ली110062 । | 2 4- 6 - 9 7 |
| 22 | ৰ্মা ০एল ০/19206 | मै० बटर वोर्थस इंडिया, सी71ए, मालवीय नगर, नई दिल्ली110017 । | 1-6-87 |
| 29. | ज्री ०एल ०/19207 | मै० गंगा राम एण्ड संस, बी–2/282, सैक्टर3, डा० अम्बेद्रकर नगर, नई दिल्ली–110062 । | . 1-1-96 |
| 24. | ु श्री ०एल०/19208 | मै० एस० एण्ड एस० इकोटेक़ इंजीनियर्स प्रा० लि०, 304, डोहिल चैम्बर्स, 46, नेहर प्लेस, नई दिल्ली—110019 । | 1-9-9.7 |
| 25. | ষ্ঠাঁ ৩ দুল ঁ০ / 19215 | मै० मल्टीप्लाई, 54, अर्जुन नगर, कोटला सुवारिकपुर, नई दिल्ली–110003 । | 1-10-97 |
| <u>2</u> 6. | भी ०एल ०/ 19218 | मै० नारर्दन टेलीकाम लि०, ए—8, कुग्रुब इस्टीटयूशनल एरिया, यू० एस० ओ० रोष्ड, नई दिल्ली—110067 । | 1-3-96 |
| 27- | ধ্বা ০ যুল ০/ 19261 | मै० सुविधि साईन स्टूडियोज प्रा० लि०, 92/3, ब्लाक–2, कीर्ति नगर, नई दिल्ली110015 । | 1-4-97 |
| 28- | डी॰एल॰/1926 4 | मै० हुमाताज इंटरनैशनल, 485/6, जीनत वारी, हमिल्टन 'रो ड , कशमीरी गेट, दिल्ली–110006 । | 1-8-97 |
| 2 9 - | ষ্টা ৩ হল ০/19265 | मै० आधुनिक टैक्नोलोजी प्रा० लि०, 102–बी, एम० सी० भवन, 11/56, डी० बी० गुप्ता रोड, करोल बाग, नई दिल्ली–110005 । | 1-10-97 |
| (30) | ধ্রীঁ ৩ হল ৩/19267 | मै० डब्ल्यू० के० एच० इडिया प्रा० लि०, डी–55, ईस्ट आफ कॅलाग, नई विल्ली–110065 । | 1-6-97 |

| -1 | 2 | 3 | .4 |
|------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 31. | জী৹एল০/19282 | मै० विन्रॉक इंटरनैशनल, 7, पूर्वी मार्ग, वसन्त विहार, नई दिल्ली–110057 । | 1-4-9 |
| 32. | डी ०एल०/19322 | मै॰ घनप्रयाम लाल गोआमा, 270, जनता फ्लैंट, नन्दनगरी, दिल्ली—110093 । | 2 2 5 9. |
| 33. | अी०एल०/ 19328 अ | मँ० खूबसूरत बियूटी पारलर्स, सी–26, ग्रेटर कैलाग पार्ट-1, नई दिल्ली–110065 । | 1-10-91 |
| 34. _. | জী৹एল৹/ 19333 | मै० अनापुर्णा कार्गो मूथर्स त्रा० लि०, जो–151, कालकाजी, नई दिल्ली–110019 । | 1-4-97 |
| 35. | जी०ए ख०/ 19365 | मै० यू० पी० एयरवेज लि०, ए2, डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली110024 । | 1-10-97 |
| 36. | बी•एल.०/19366 | मै० भारद्वाज औटोमोबाईल्स (रजि०), 83/2, अधचीनी, श्री अरबिन्दो मार्ग, नई दिल्ली–110017 । | 1 3- 1 0- 9 7 |
| 37. | र्ज्वा०एल०/ 19368 | मै० चेन्नई पावर जनरेशन लि०, जे–66, पहली मंजिल, साऊथ एक्सटेंशन पार्ट], नई दिल्ली–110049 । | 1-3-97 |
| 38. | ধী৹एল০/19393 | मै० ई० डी० गलगोटिया एण्ड संस, 17—बी, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली→110001 । | 1-6-97 |
| 39. | डी॰एल०/19400 | मै० श्री श्रींगेरी शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ मैंनेजमेंट, शंकारा विद्या केन्द्रा, पश्चिमी मार्ग, वसन्त विहार, नई दिल्ली–110057 । | 1-1-97 |
| 10. | জী৹एল৹/19411 | मै० ए० पी० जे० आर० कंसलटेंसी सर्विसिज प्रा० लि०, सी–4/5, सफदरजंग डेवलपमेंट एरिया, नई विल्ली–110016 । | 1-10-96 |
| 1 . | ষ্ঠা৹एল০/19413 | मै० केडिया पॉवर लि०, जे66, दूसरी मंजिल, साऊथ एक्सट्रेंशन पार्ट-1, नई दिल्ली110049 । | 1-3-97 |
| 2. | डी०एल०/19459 | मै० सिक्योर वरुर्ड, एफ3/631, बीर बाजार, देवली हाई स्कूल रोड, संगम विहार, नई दिल्ली110062 । | 1 49 6 |
| 3. | खी ०एल ः /19463 | मै० सुपर हाऊसकीपिंग एण्ड सिक्योरिटी र्सावसिज, 122–ए/21, गौतम नगर, नई दिल्ली–110049 । | 1 1 0 9 6 |
| 4 | ৰ্বা ০হল ০/ 19464 | मै० राम निवास बिस्डिंग कंद्रक्टर, 6/318, दक्षिण पुरी एक्सटेंग्रेन, नई दिल्ली—-110062 । | 1-5-98 |

| 4 | 3 | 2 | 1 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
| 1-1-9 | मै० इन्वेस्टीगेशन एण्ड सिक्योरिटी सिस्टमन, 221, डिफेंस कालोनी फ्लाईओवर, जंगपुरा साईड, नई दिल्ली–110024 । | डी०एल०/19504 | 45. |
| 1-2-9 | पद्व पिल्लाम् 110024 । मै० कुणवाहा सिक्योरिटी सर्विसिज ए∽118, पंचणील बिहार, बिहांईड, मालबीय नगर पी० एस०, नई दिल्ली−110017 । | डी०एल०/19513 | 48. |
| 1-8 - 9 | मै० एमके ट्रेडिंग कं० ए–46, बापू पार्क, कोटला मुबारकपुर, नई बिल्ली–110003 । | डी०एल०/19517 | 47. |
| 1-4-9 | मै॰ मेयर सिक्योरिटीज प्रा० लि० मेयर हाउस, 2/16 अंसारी रोड, दरिया गंज, नई दिल्ली110002 । | बी०एस० 19782 | 48. |
| 1-11-9 | मै० दिल्ली वक्फ बोर्ड, 5028, वरिया गंज, नई दिल्ली110002 । | बी॰एल॰/19813 | 49 |
| 1-10-9 | मै० के० जी० टैक्नीकल सर्विसिज, 120, एल०आई०जी० फ्लैट्स कॉॅम्पलैक्स, सूरजकुण्ड रोध, पुल प्रहलादपुर, बदरपुर, नई दिल्ली110024 । | डी०एल०/1988 6 | 50. |
| I-4-9 | मै० सीनर्जी सोफ्टवेयर्स लि० सी–99 दूसरी मंजिल, लाजपत नगर–II, नई दिल्ली–110024 । | बी॰एल॰/ 19895 | 51. |
| 1-7-9 | मै० मैजिक गिफ्ट्स एण्ड स्टेशनरी प्रा० लि०, 9/54, कीर्ति नगर, इंडस्ट्रीयल एरिया, नई दिल्ली110015 । | ৰ্জা ৩ एল ০/19901 | 52. |
| i - 1 2 - 9 | मै० स्नोवी मांऊन्टेन्स इंजीनियरिंग कॉॅंरपोरेशन लि०, 205, गोल्फ लिक्स, नई दिल्ली–110003 । | डी०एल०/19921 | 53. |
| 1-7-9 | मै० बी० एस० इलैक्ट्रिकल एण्ड रेफ़ीजिरेशन, आर–302/19, स्वतंन्न नगर, नरेला, दिल्ली–110040 । | बी०एल०/ 19926 | 54. |
| 111-9 | मै० आर्ट इंडिया, 121–ए, बॉकर नगर, नई दिल्ली–110051 | ৰা ৩হল ৩/19950 | 55. |
| 1 6 9 | मै० ए० टी० कीअर्नी लि०, ताज महल होटल, स्यूट नं० 10011, मान सिंह रोड; नई दिल्ली—110011 । | জী ৹एল॰/ 19972 | 56. |
| 1-4-9 | मै० स्टेट बैंक आफ इंडिया एम्पलाईज एसोसिएमन को-आपरेटिव थिपट एण्ड केडिट सोसायटी लि०, गली नं० 19, रंजीत नगर, नई दिल्ली110008 । | ষ্বী ৩ ছল ০ / 20006 | 57. |

सागः मागः 4]

Thrus I I I I

| | 2 | 3 | 4 |
|------|-----------------------|--------------------------------------------------|---------|
| 58. | डी०एल०/20024 | मै० वी० के० कार्गो एजेंसी, | 1-12-97 |
| | | यू० जी०−22, सोम दत्त चैम्बर्स−! ¹ , | |
| | | 9, भीकाजी कामा प्लेस, | |
| | | नई दिल्ली~110066 । | |
| 59. | डी ०एल०/20027 | मैं०फार्माचेम एक्सपोर्टम, | 1-12-97 |
| | | 524, अंसल चैम्बर्स–II | |
| | | नई दिल्ली-110066 । | |
| 60., | डी ०एल०/20068 | मै० पेल्होरा कंमद्रक्शन कं० | 1-5-95 |
| | | ए−62, जाया नगर, एक्स० फेस−5, | x 0 0 0 |
| | | नई दिल्ली110047 । | |
| 61. | डी ऽएल ०/20084 | मै० थिष्णु एक्सिम ओक्ररसीज प्रा० लि०, | 1-1-98 |
| | 1 1 1 | एम-533, ग्रेटर कैलाग-ii, | ••••• |
| | | नई दिल्ली-110048 । | |
| 62. | बी लएल ०/20089 | मै० दि कोकन हिल प्रोप्रीएटरी कं० लि०, | 1-12-97 |
| | · | चौथी मंजिल, वर्ल्ड ट्रेंड टावर, बाराखम्बा लेन, | |
| | | कनाट सर्कस, | |
| | | नई विल्ली-110001 । | |
| 63. | डी ०एल ०/ 20102 | मे० जी०ई०सी० एल्सथोम पावर जनरेेेेेगन इंडिया लि०, | 1-11-97 |
| | | 2, पालम मार्ग, वसन्त विहार, | |
| | | नई दिल्ली-110057 । | |
| 64. | जी०एल०/ 20125 | मै० लाहमेयर इंटरनेशनल (इंडिया) प्र.० लि०, | 1-1-98 |
| | • • | 305, डोहिल चैम्बर्स, नेहरु प्लेस, | • • |
| | | नई दिल्ली-110019 । | |
| 65. | डी० एल०/20140 | मै० राय इंडेस्ट्रीयल पावर प्रा० लि <i>े,</i> | 1-1-97 |
| | | 302, 303, काम्पीटेंट हाऊस, | |
| | | एफ – 14, मिडल सर्कल, कनाट प्लेस, | |
| | | नई दिल्ली-110001 । | |
| 66. | डी०एल०/20146 | मै० कम्पैक्ट सिस्टम्स प्रा० लि०, | 1-2-98 |
| | | सी⊷61/2, अर्जुन नगर, सफदरजंग एन्क्लेच एक्सटेंणन, | |
| | | नई दिल्ली–110029 । | |
| | | | |

अतः केम्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्स अधिनियम की धारा 1 की उपकारा (4) द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्स स्थापनाओं पर उस या उसी प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागु करते है जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने वर्शावी गई हैं।

> के० सी० पाण्डेय क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

| कर्मचारी राज्य बीग | | 11. | श्री एम० सी |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------|-----------------------------|
| ''पंभदीप'' भवन, कोटरु | | | महाप्रबंधक |
| · नई दिल्ली, दिनांक 14 म | | | हिन्दुस्तान |
| सं० बी−33(13)−4/91 - स्थ | | | नई दिल्ली- |
| बीमा साधारण विनियम 1950 के बि | | 1 2. | श्री आर० |
| कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 19 | | | अध्यक्ष तथा |
| की धारा 25 के अनुसरण और निगम | | | हिन्दुस्तान |
| बी-33(13)-4/91-दिनांक 25- | | | इंडस्ट्रीज लि |
| में अध्यक्ष कर्मचारी राज्य बीमा निग के लिए क्षेत्रीय बोर्ड का पुनर्गठन कररे | | 1 | पंधा टावर- |
| सदस्य होंगे अर्थात् | ા હૃાળલમ્ય ાગમ્વાલા બાલ | | 22, राजेन्द्र |
| ाः अम् मंत्री, | अध्यक्ष | | नई दिल्ली- |
| विल्ली सरकार । | 21 24 61 | 13. | श्री माइकल |
| 2. श्रम आयुक्त, | उपाध्यक्ष | | महासचिव, |
| दिल्ली सरकार । | ७५ <i>१०</i> ५५ | | नियोक्ता सं |
| _ | | | 13/16 उक |
| ं 3. संयुक्त श्रम आयुक्त, दिल्ली सरकार । | सदस्य | | नई दिल्ली |
| | | 14. | श्री एम० |
| 4. निदेशक (चिकित्सा) विल्ली कर्मचारी राज्य बीमा योजना, | सदस्य | | 66-ची, प |
| विल्ली । | | | गंगोत्री एन्व |
| उप चिकिस्सा आयुक्त, | 37 ज राज | | अलकनन्दा |
| कर्मचारी राज्य बीमा निगम, | संवस्य | | कालकाजी, नई दिल्ली- |
| उत्तरी जोन, दिल्ली । | | | |
| 6. श्री मेवा सिंह अरोड़ा, | नियोजक`के प्रतिनिधि | 1 5. | श्री पी० के |
| जनरल सैक्रेटरी, | ויניין אוויזיא אוניוויזן איז איניין אראיז | | मुख्य महाप्र नेशनल टेक्स |
| मैन्युफेक्चर्स एसोसिएशन, | | | नशनल दवर स्कोप काम |
| जी० टी० करनाल रोड़, | | | रनगव कार्ण 7-लोबी रो |
| विल्ली । | | | नई विल्ली- |
| 7. श्री हीरा लाल शर्मा, | कर्मचारियों के प्रतिनिधि | 1.6 | श्री राम <mark>प्र</mark> व |
| प्रेजीडेंट इंडियन नेशनल | | 10. | ्या रामन रामनरेश भ |
| ट्रेंड यूनियन कांग्रेस, | | | तिलक गली |
| (दिल्ली राज्य शाखा), | | | विल्ली । |
| आर० जेड-29, रोशन गार्डन | | 17 | क्षेत्रीय निदे |
| नजफगढ़, नई दिल्ली-43. | | 17. | कर्म वारी रा |
| श्री राजेन्द्र सिंह चौहान, | कर्मचारिमों के अतिरिक्त | | विल्ली । |
| भारतीय मजदूर संघ | प्रतिनिधि | | |
| (दिल्ली प्रदेश), | | | |
| निवासी– 194, विवेकानस्व पुरी आजाद मार्ग, दिल्ली– 7. | , | | |
| | | | |
| श्री योगेश कुमार गर्मा, | वही | | सं∘ वी33 |
| . ७६ ८, काबु ल नगर, | | | (साधारण) |
| शाहतरा, दिल्ली⊷32. | _ | | ाकर्म चा री उ |
| 10. श्री विनीन विरमानी, | पदेन सवस्य | | की धारा 2 क्ष गुजरात क |
| प्रबंध निदेशक, एम० पी० विरमानी एंड संस | | | का गुजरात ग ालिखित सब |
| एम० पा० विरमाना एड सम प्रा० लि०, | | | माननीय म |
| त्राच लिए, नई दिल्ली–110002. | | 1. | भागगात्र म (श्रम एवं र |
| | | | 1 |

an an Salara ी० गनी, पर्वन मदस्य क (का० एवं प्र०), प्रैफेब लि० जंगपूरा, -110014. कें सोमानी, -बही---ग प्रबंध निदेणक, सैनीटरी वेअर एंड . ने०, 601-603, -ii, द्र प्लेस. -110008. ल डॉयस, ----चही----र्मघ, क्यू०ई० ए० करोल बाग, 1 केज गर्ग, -बही----पाकेट⊸मी. कनेव, (एस० एफ० एस०) τ-110019. के० ए० नारायणन, नही प्रबंधक (कामिक), सटाईल कारपोरेणन लि०, म्पलीक्स, कोर–4 ोड़, -110003. कांश मिश्रा, भवंन, ी, पहाड्गज, सदस्य-सचिम रेशक, राज्य बीमा निगम, डी०सी० गुप्ता महानिवेशक

मं० वी---33(13)--5/95-स्था०-4.---कर्मचारी राज्य नीमा (साधारण) विनियम 1950 के विनियम 10 के माव पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा 25 के अनुसरण में कर्मचारी राज्य नीमा निगम के अध्यक्ष गुजरात राज्य के क्षेत्रीय नोई का गठन करने हैं जिसमें निम्नलिखित सदस्य णामिल होंगे ---

माननीय मंत्री अध्य**क्ष** (श्रम एवं रोजगार) .

| 2. सचिव, श्रम एवं रोजगार विभाग, जनवार प्रकार | संवस्य | শ্য | क्षीय निदेष र्मचारी राज हमदाबाय । | य बीमा निगम. | स द स्य–सचिव |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| गुजरात सरकार, सचिवालय गांधी नगर । | | ., | | | दिनेश गुप्सा |
| मुख्य सचिव, म्यास्थ्य एवं परियार कल्याण विभाग, | संदम्य | | | | <u> </u> |
| ग्जरात सरकार, | | 44 <u>-</u> - 404 | and an all shares the second | , ββε πουσταματέλει θειών μ. Τβέτει τις Γαλλάσι κ.−. | |
| सचिवालय, गांधी नगर । | | | | (चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स) | |
| د ۱۹۳۵ erin کې د | भ द रुय | | चेन्नई- | -34, दिनांक 17 मई | 1000 |
| 4. श्रम आयुक्त, गुजरात राज्य, अहमवाबाद । | | की अधि | धराचना नं ० | सी० ए० (5)/5/97- 3-एम० सी० ए० (4)/ | /3/97–98 दिनौ |
| 5. उप चिकित्सा आयुक्त, क० रा० बी० निगम, अहमदाबाद । | स द स्य | 313 1988 किया उ | 1998 के के विनियम जाता है कि | सन्दर्भ में चार्टर्ड प्राप्त 1 20 के अनुसरण में एतद जन्त विनियमों के विनिध | लेखाकार विनियः इंढारा यह सूचि सम् 1.9 द्वारा प्रदन् |
| श्री मणिलाल जी० परमार, सचिव, | सषस्य | संस्था | न परिषद | ग करते हुए भारतीय चा ने अपने सदस्यता रजिस न. 8 विसम्बर 1997 र | २र म निम्नालाख |
| राष्ट्रीय श्रम संगठन, गांधी मजूर सेवालय, भदा, अहमदाबाद— 380020 | | है । | | | |
| 7. श्रीमती गीताबेन ठाकुर, | सुद्दस्य | क∘ सं० | सदस्यता संख्या | नाम एवं पता | |
| उपा व्यक्ष, भारतीय मजद्रू र संघ, 27, राजरत्न सोसायटी, एन० आर० पावापुरी बस स्टाप, | | | 2 | 3 | |
| एनड आरड पावायुरा यस एटान, जनता नगर रोड़, घाटलोडिया, करुणावती—380061. | | 1. | 6253 | श्री राव एम० वी०, ए 190 रहिमी विल्ला, | |
| 8. श्री बीपकभाई पंडया <i>,</i> भारतीय मजदूर संघ <i>,</i> अहमदाबाद । | सदस्य | | | सी० जे० वेंकटेशदास बी० एस० के० 2 स्टेज पदमानाभा नगर, बंगलोर–560070 | |
| 9. श्री महेन्द्रभाई ए० णाह, गुजरात चैम्बर ऑफ कामर्स एंड इन्डस्ट्री, पो० बा० न० 4045, आश्रम रोड़, अहमदाबाद–380009. | स दस्य | 2. | 11929 | श्री विजयाराघवन पी 22 बक्थावाचलम स्ट्री नियर डोन बोस स्कूल पांडिचेरी–605008. | र, |
| 10. श्री जयंती लाल एच० पारिख, महासचिव, आल गुजरात इन्डस्ट्रियल एंड कर्माणयल, एस्टेबलिशमेंट्स ओनर एसोसिएगन, | सदस्य | 3. | 13219 | श्री सुद्रोमनियम एन० नं० 5 न्यू टैक स्ट्रीट, चेन्नई600034 । | , एफ०सी० ^ए ०, न नाम् जदक्षम, |
| न्यू णारदा मंदिर, अहमदाबाद–7. | | 4. | 18004 | श्री मती ण कुमार ए स 56 3 मैन रोड़, राजा | , ए ० सी० ए० अन्नामलाईपुरम, |
| 11. श्री दीषक कुमार आ २० देव, सचिव, | मदस्य | | | चेन्नई-600028. | |
| गुजरात इंडस्ट्रियल एम्पलायर्स एसोसिएणन, 10/बी, सुरेगवाड़ी सोमायटी नारनपुरा गांव, वस स्टाप के पीछे, | | 5. | 18218 | श्री डैनियल पी० टी०, जनरल मैनेजर/चीफ निको कोरपोरेट फाईनै पो० आ० बाक्स 139 | एग्जीक्यूटिय न्स लि०उ |
| अहमवाबाद380013. 499GI/99 | | | | ∙लानटायर, मलावी । | |

-

| 1 | 2 | 3 | 1 2 | 3 |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6, | 18880 | श्री रामा मूर्थी एस० एल०, एफ० सी०ए, 10, 3 फ्लोर, कुरुबरासंघी, सिल्वर जुबली बिल्डिंग, गांधी नगर, बगलौर560009। | 15. 218 | एफ० सी ० ए०, मैंनेजर (फाइनेन्स), सेलम स्टील प्लांट, सेलम–636013 । |
| 7 | . 18905 | धी कृष्णा ए ० जी ०, एफ ० सी ० ए, फ्लैंट नं ० 8, 61 क्रिसैंट पार्करोड, गांधी नगर, अद्यार, | 16. 2 18 | 878 श्री र्षांज कुमार, सी०पी, एफ०सी०ए, टी०सी० 24/274 संस्थान कोविल स्ट्रीट, थाइकोष्ठ, थिरूवानन्थापुरम–695014। |
| 8, | 190 92 | ए० सी० ए०, चीफ सैनेजर, आन्ध्रा बैंक, | 17. 22 0 | 85 श्री ललित नायक, एफ ० सी ० ए, 5-बी 10 क्रोस, राज महल विलास, बंगलौर–560080। |
| 9. | 20159 | 5 कनियाम्मान कोइल स्ट्रीट, णिनोय नगर, चेन्नई~6000 3 0। श्री कृष्णा प्रसाद एस०, | 18. 22 8 | 843 श्री रमेण बी०, एफ० सी०ए, फाइनैनशियल कन्ट्रोलर, प्लाजा रोस टां० आर० डी एल एल सी |
| | | एफ०ँसी०ए, 2287, 9 मैन 'डी'' ब्लाक, 2 स्टेज, राजाजी नगर, बंगलौर–560010 । | 19. 23 1 | डुवर्ड, यू० एफ० ई० |
| 10. | 20603 | श्री रषु बीरन टी० जे०, एफ० सी० ए, 20, भारयिवसन नगर, रामानाथापुरम, कोयम्बटूर641045। | 20. 237 | कोयम्बटूर641001 । |
| 11. | 20727 | श्री जयाकुमार, एस ०, एफ० सी० ए, किरलोस्कर बैट्रीज लि०, पी० बी० नॅ० 2231, यग्नबन्तपृर, बंगलौर– 560022 । | 21. 2475 | 55 मोनटियथ रोड, इगमोर, चैन्नई– 600008 । |
| 12. | 21463 | श्री रामबाबू ए०, एफ० सी० ए०, फ्लैंट नं० 202, प्रिया अपार्टमेंटस, ए० ब्लाक, 38/39 मधुरा नगर, हैदराबाद ~500038 | 22. 2498 | मद्रुराई-625018। |
| 13. | 21489 | श्री पदमानाभन सी०के०, एफ० सी० ए, के० वी० आर० (के० एस०) कम्पलैक्स (अपस्टेयर्स), बॉय पास रोड, | 23. 2563 | • |
| 14. | 21565 | धर्मापुरी636701। श्री रेड्डी बी०एम, एफ०सी०ए, 178, उपस्टेयर्स, 10 कोस सेमपिज रोड, मालेम्बरम बंगलौर56003। | 24. 25944 | ध श्री वालाकृष्णा शक्षाराया, के, एफ० सी० ए, 87 श्री नन्जुमदेक्ष्वरा बिस्डिंग, 2 फ्लार, 11 क्रोस, माल्लेस्वरम, बंगलौर–560003। |

=

.....

| | | 3 | | | میں جنوب کا میں میں میں میں میں میں بھی ہیں ہیں ہیں ہیں جو دی رامان کی بعث میں ہیں ہیں ہیں ہیں اور ایک ان ان ا |
|-------------|------------|---------------------------------------------|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 25. | 2 26020 | अी प्रसादा राघ जी० बी ० जी० , | 1 | 2 | 3 |
| 40. | 4004V | ्या प्रयोग प्रियमान्य २००७ एफ ० सी ० ए०, | | | an land die Verders her and and an and an and an art in 1945 die die die andere bester her her die die syn die |
| | | परमानोबा जाम्बिया लि <i>०,</i> | 34. | 28598 | श्री मनोगरन आर०, |
| | | 3282, मुशिली रो ड , | | 1 | एफ० सी०ए०, |
| | | नडोला पोस्ट बाक्स 71555 | | | 13, 2 फ्लोर, मलेश का म्पलेक्स, |
| | | जाम्बिया | | | गांधी काजार, बसावानगुडी, |
| 2 6, | 26270 | श्री गुनासेकरन, पी _० , | | | बंगली र– 560004 । |
| 20, | 20210 | ए० सी० ए०, | 35. | 28802 | श्री अरूण कुमार जी० वी० आ र०, |
| | | साइट नं ० 9 <i>7,</i> | | | एफ ० सी० ए०, |
| | | पी०एम०आर० लेआउट | | | पलैट ए० 203 हिमावथी अपार्टमैटस, |
| | | अपोजिट गोल्ड विनस्ट, | | | स्ट्रीट नं० 8, हब्सीगुडी, |
| | | सिबिल एयरो पोस्ट, | | | है व राबाद- 5 00 007 । |
| | | कोयम्बट्र-641014। | 36. | 28834 | श्री सत्या सुर्याश्रीनिषास वी०, |
| 27. | 26548 | श्री प्रसाद जी०वी० एल, | C . | | एफ० सी० ए०, |
| 41, | 20010 | एफ० सी० ए०, | | | 33 ब्लाक ए०, सनटस सिखरा अपाटमेंटस, |
| | | 105 1 ब्लाक, 1 फ्लोर, | | | राज भवन रोड, सोमाजीगुडा, |
| | | दिव्याशक्ति काम्पर्लेक्स, | | | हैदरावाट-500082 । |
| | | अमीरपेट, हैदराबाद–500016 । | 37 | 29280 | |
| 28. | 26899 | श्री रामाचन्द्रा मूथी सी० वी०, | 57. | 20200 | प्०सी०ए०, |
| 40. | 20201 | एफ०सी०ए०, | | | पुने सार २०) फ्लैंट नं० 214, आश्रया अपार्टभ्रेंटस, |
| | | फ्लैट न ० 1, श्रीनिवासा अपार्टमें टेस, | | | मद्द्युगुडाँ, सिकन्दराबोद–500017 |
| | | बिहाइन्ड सोमाजीगुडा पी० ओ०, | | 00401 | श्री वालेवेकर गजानन महादेवसा, |
| | | राजभवन रोड, | 38 | 29491 | त्रा पालपकर गणाग महारपत्र, एफ० सी० ए०, |
| | | है यरावा व– 500082 । | | | ्फण् साण्ड्र, 2 क्लोर, गुडी काम्पलैक्स, द्वाजीबान पथ |
| 29. | 27127 | श्री चेन्धु मोहन ए०, | | | धारवाङ् डिस्ट०, |
| | | ए० सी० ए०, | | | हुबली–580028 । |
| | | प्लाट नं० 14, सलारजंग कालोनी, | | | - |
| | | हैषराबाद500008 । | 39 | . 29825 | श्री कानुमुरी वेंकटा कृष्णन राजू, प्राप्त - जीव्या |
| 30. | 27937 | औ गनापथी कृष्णन एस०, | | | एफ० सी०ए०, ०.४.००० व्यस सात जगर |
| | | ए० सी० ए०, | | | 61-290,पदमा राव नगर, सिकन्दरावाद-500025 । |
| | | क्लैट नं० 12, इण्डियन बेके हाउस, | | | |
| | | डा॰ आर॰ पी॰ रोड,मुलन्ड (वैस्ट), | 40 | . 29855 | |
| | | मुम्बई-400080 । | | | ए० सी०ए०, — ्रं क्रिटर्ग्योज |
| 31. | 28199 | श्री रामालिंगा कुमार डी॰, | | | रूम नं ० 4, ईस्टर्न सोज, |
| | | एफ॰ सी॰ ए॰, | | | 19 कामा राज रोड, :गैन १०००४२ । |
| | | 13 कुप्पुसामी पिल्लई स्ट्रीट, | | | बंगलौ र560042 । |
| | | सियाक⊺णी 626123 । | 41 | . 30027 | श्री बालारामदास राधाकृष्णन, |
| 32. | 28269 | श्री सथीसन पी॰, | | | ए० सी० ए०, |
| | | ए० सी॰ ए०, | | | चीफ जनरल मेने जर, |
| | | बजट एण्ध कोस्ट एका उन्टेन्ट, | | | स्माल इण्डस्ट्रीज डवलपभेट बैंक आफ |
| | | क म्प्यूटर नेटवर्क सिस्टम्स, | | | इण्डिया, टेम्पल टावर, 5 पलोर, |
| | | पी० औ० बाक्स नं० 46144, | | | 480 अन्ना सलाई, |
| | | आबू धाबी । | | | चेन्नई600035। |
| 33. | 28449 | श्री श्रीनिधासन राव के, | 42 | 30050 | श्री सूजीर र⊺धाकृष्णा गोबिन्द नायक, |
| | | एफ० सी० ए०, | | | ਜਾਨ ਸੀਂਪ ਉਹ |
| | | फ्लैट नं० 12, साई कृपा अपार्टमेंटम, | | | 406, महेन्द्राफा आरकेड, करंगालपाडी, |
| | | रेड हिल्स, लकड़ी का पुल, | | | मैंगलोर–575003। |
| | | हैदरा था व - 500 004 । | | | |
| | | | | | |

| 1 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | श्वी बिमल चन्द जैन, ए० सी० ए०, एसिसटेंट मनेजर, दि न्यू इण्डिया एंग्रोरेंस कं० लि०, रीजनल आफिस, 5 फ्लोर, सुर्या टावर्स, | 5 2. | 202531 | श्री जोहन पीटर ए०, ए० सी० ए०, 29 जी०/2, न्यू कारकाना स्ट्रीट, तिरूवान्नामलाई डिस्ट०, तिरूवान्नामलाई–606602। |
| 44. 52641 | एस० पी० रोड, सिकन्वराबाद– 5 00 003 । मिस सुधा रामास्वामी, ए० सी० ए०, | 53. | 202993 | श्री रवि कुमार चिल्लारा , ए० सी० ए०, 5–25–105 थर्ड लाइन, क्रोडिपेट, गुन्टूर–522002 । |
| 45 200201 | वाइस प्रजीडेंट, बैंक आफ अमेरिका, 748 अफ्रा सलाई, चेफ्रई600002। श्री मधु सुधन पी, | 54. | | मिस निराईमथी के०, ए० सी० ए०, नं० 26 पारी पूर्ना, विनायकर कोइल स्ट्रीट, |
| 40 . 200 40 - | एफ० सी० ए०, 18/12 पस्तोर, वी० जी० गोपास बिस्डिंग, लालकाग, फोर्ट रोड, बंगलीर–560004 | 55. | 203503 | माइलापोर, चेन्नई~600004 । श्री लक्ष्मीनारायणनन टो० आर०, ए० सी० ए०, नं० 32_3 क्रोस स्ट्रीट, नागप्पा ब्लोक, |
| | 3 श्रो जोहन जीर(रुड निक्सन मनडेक्स, एफ० सी० ए०, 41/695 कचसूर रोड, कोची~682018 8 श्री मृयुनजया अनन्त हेगड़े, | 56. | 203671 | श्रीरामपुरम , बंगलौर–560021 । श्री मनोहर वी०, ए० सी० ए०, 42 नायडु, स्ट्रीट,कोत्तुरपुरम , चेन्नई–600085 । |
| | ए० सी० ए०, न० 42 स्टेगन रोड, थाने वेस्ट, म्म्बई 400601 ० श्री श्रीनिवासन एच ए० सी० ए०, आधिाबाव अपार्टमेंट्स, 11/2 लोक स्ट्रीट, | 57. | 203955 | 5 श्री प्रभाकर वीरावल्ली ए० सी० ए०, केयर आफ पट्टाभी रामैय्या के०, फ्लैंट नं० 102 बी, सिद्धार्था व्याशाली अपार्टमेंटस, 7–1396 बी० के० गुडा संजीयारेड्डी नगर, हैदराबाद-500038। |
| 49. 2017 - | कोट्टुरपुरम, चेन्नई 600085. 13 श्री विष्ण, वरधन रेड्डी के, एफ० सी० ए०, 31-4-1897/ए०/एफ० सुष्मा अपार्टमेट्स वरकतपुरा, हैवराबाद 600027 । | 58. | 20418(| 6 श्री हनुमन्था राव के०, ए० सी० ए०, नं० 230 2 क्रोस 3 ब्लाक, 3 स्टेज 8 मैं बसावेण्वर नगर, बंगलौर–560079 । |
| | 3 श्री वेंकटास्वामी आ र० जे०, ए० सी० ए०, 4-714-2 उपस्टेर्क्य आफ इंडियन रैस एजैसी, अपोजिट टाउन पुझिस स्टेशन, नादिपाझी – 515411. | 59. | 20424 | 8 श्री गोगालाकृष्णन ई०, ए० सी० ए०, 122/2 एन० टी० आर० स्ट्रीट, रंगाराजापुरम, कोदमबक्ष्कम, चेन्नई–600024 । |
| 51. 20188 | ।5 श्री बेंजामिन पी० टी०, ए० सी० ए०, फाइनैनेशियस कन्द्रोसर, रामाद। होछल, पी० झी० बाक्स– 1768 दोह्रा, कत्तार । | 60. | 204282 | 2 मिस मंजुला जी०, ए० सी० ए०, 2079-डी० हजेलवुड, कोर्ट, उ रवाना इ.ल61801, यु०एस० ए, |

| | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | 1 | | 3 |
|-----|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | | 205211 | श्री फनिन्द्रा प्रकाण इलापाकुर्ती, |
| 61. | | मिस जयाश्री एन० वी०, ए० सी० ए, 308 गार्डन अपार्टमेंटस, यिट्टल माल्या रोड, बंगलौर–560001 । श्री बेलागुर एच० एच०, | 67. | 205387 | ए० सी० ए, 16202 इल कैमिनो रीयल अपार्टमेंट, नं० 1726, होस्टन, टैक्सास 77062 । श्री शैंक अब्दुल फरीद एम०, ए० सी० ए०, इन्टरनल ओडिटर, |
| 024 | 201007 | ए० सी० ए, एकाउन्टस एक्जीक्यूटिव, ट्रेडेक्स एल० एल० सी पी० ओ० बोक्स 8508, दुबई, यू० ए० ई० । | 68. | 205878 | वजट रैंट ए कार पी० ओ० बाक्स, 18106, जेड्डाह - 21415, साउदी अरेबिया । क्षी मोहन बालाकृष्णन, |
| 63. | 205045 | श्री बालाजी आर॰, ए० सी० ए, एकाउन्ट्स आफिसर, हिन्दुस्तान मोर्टस लि॰, व्हील लोडर प्लांट सेदरापेट, पाण्डिचेरी–605111 । | ៤ មូ. | 206090 | ए० सी० ए, 66 1 मैन रोड, लोवर पैलेस आचार्डस, बंगलौर–560003। 9 श्री प्रसादा राव के० बी० डी०, ए० सी० ए, |
| 64. | 205172 | भी नागा किशोर जी०, ए० सी० ए०, 6–3–347/13 द्वारकापुरी कालोनी, पंजागुट्टा, हैदराबाद–500082 । | 70. | 206148 | 5–8311, चिराग अली लेन, हैदराबाद–500001 । 8 श्री वासुदेवा राव कान्डीमस्ला, ए० सी० ए, |
| 65. | 205181 | मिस माधवी लथा आर, ए० सी० ए०, अपार्टमेंट, 206 5228 नोर्थ सेरीदन रोड, | | | डी० नं० 6-10-7/1, 10/2 अफ्रूनडेलपेट, गुन्टूर-522002। अशोक हल्दिया, |
| | | अपोटमट, 206 5228 नाथ सरादन राष्ठ, चिकागो इल 60640, यू० एस० ए । | | | अशोक हत्दिया सचिव |

(चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स)

चेन्नई-600034, दिनांक 17 मई 1999

सं० 3-एस॰सी॰ए॰ (5)/1/98/99:---इस संस्थान की अधिमूचना न॰ 3-एस॰ सी॰ ए॰ (4)/7/85--86 दिनांक 30 सितम्बर, 1985, 3-एस॰सी॰ए॰ (4)/13/85-86 दिनांक 31 मार्च, 1986, 3-एस॰ सी॰ ए॰ (4)/10/88-89 दिनांक 27 जनवरी, 1989, 3-एस॰ सी॰ ए॰ (4)/8/90-91 दिनांक 1 दिसम्बर, 1990, 3-एस॰ सी॰ ए॰ (4)/9/91-92 दिनांक 1 जनवरी 1992, 3-एस॰ सी॰ ए॰ (4)/3/92-93 दिनांक 27 नवम्बर, 1992, 3-एस॰सी॰ ए॰ (4)/3/93-94 दिनांक 11 जनवरी 1992, 3-एस॰ सी॰ ए॰ (4)/3/92-93 दिनांक 27 नवम्बर, 1992, 3-एस॰सी॰ ए॰ (4)/3/93-94 दिनांक 11 जनवरी, 1994, 3-एस॰ सी॰ ए॰ (4)/9/94-95 दिनांक 22 फरवरी, 1995, 3-डब्ल्यू॰सी॰ ए॰ (4)/3/93-94 दिनांक 11 जनवरी, 1994, 3-एस॰ सी॰ ए॰ (4)/4/95-96 दिनांक 22 फरवरी, 1996, 3-एस॰ सी॰ ए॰ (4)/3/96-97 दिनांक 30 जनवरी, 1995, 3-एस॰ सी॰ ए॰ (4)/5/96-97 दिनांक 7 अप्रैल, 1997, 3-एस॰ सी॰ ए॰ (4)/3/96-97 दिनांक 31 मार्च, 1996, 3-एस॰ सी॰ ए॰ (4)/3/97-98 दिनांक 31 मार्च, 1998 और 3-ई॰ सी॰ ए॰ (4)/3/97-98 दिनांक 31 मार्च, 1998 और 3-ई॰ सी॰ ए॰ (4)/3/97-98 दिनांक 31 मार्च, 1998 के सन्दर्भ में चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनयम 1988 के विनियम 20 के अनुसरण, में एतद्दारा यह सूचित किया जाता है कि उक्त बिनियमों के बिनियम 19 ढारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद ने अपने सदस्यता रजिस्टर में निम्नलिखित सदस्थों का नाम उनः उनके आगे दी गई तिषियों से स्थापित कर दिया है।

| ऋ० संख्या | सदस्यता संख्या | नाम एवं पत। | विनांक |
|-----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. | | रीमारायनन गी ०, ए० सी० ए०, ह० क्लोफ−1 मैन रोड़, अन्ना नगर ईस्ट, | 10-6-1998 |
| | चेन्मई- | -600102. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 2. | 7657 | | 15-7-1998 |
| 3. | 7773 | श्री मोहन आर० एस०, ए० सी० ए०, 15, चित्राकुलम नोर्थ, स्ट्रोट, माइलापोर, चेन्नई–600004 | 14-7-1998 |
| 4. | 10028 | श्री नायर पी० आर०, एफ० सी० ए०, फाइनैन्स मैनेजर, यूनाइटेड इलैक्ट्रीकल्स इंडस्ट्री लि०, पाल्लीमुवेक्षु, कोल्लम~691010 | 6-7-1998 |
| 5. | 11005 | श्री रंगाराजन आर०, ए० सी० ए०, 1009, टी० वी० एस० कोलोनी, अन्ना नगर, वेस्टर्न एक्सटेंशन, चेन्नई∽600101 | 3-8-1998 |
| 6. | 13766 | श्री सौन्दराराघवन आर०, ए० सी० ए०, वाइस प्रैजीडेंट (फाइनेन्स), जुआरी इंडस्ट्रीज लि०, जुआरी नगर, गोवा–403726 | 9 →4 - 1998 |
| 7. | 15063 | श्री गोर्जकुट्टी कुंचेरिया ए० सी० ए०, वाडाकारा हाऊस, पलारीवट्टम, कोची–682025. | 12-6-1998 |
| 8. | 18822 | श्री गोपालाक्वष्णनन एस०, ए० सी० ए०, 37, हिलबोरो रोड़, द्यी किंन्स, औकलैंड 1004, न्यू जीलैंड | 1351998 |
| 9. | 1 92 15 | श्री हजा मैदीन के० ए०, ए० सी० ए०, ब्लोक−22, 13−3009, यूनोस क्रिसेंट, सिंगापोर−1440. | 3-4-1998 |
| 10. | 19255 | श्री यनीगाराजू एस०, ए० सी० ए०, नं० 6/5 क्रोस स्ट्रीट (ग्राउंड फ्लोर), बृन्दावन, पांडिवेरी605013 | 17-7-1998 |
| 11. | 19437 | श्री गंकरानारायनन एस०, ए० सी० ए०, फ्लैट नं० 7, मजेस्टिक गार्डन्स, नं० 48, आरकोट रोड, सालीग्रामम, चेन्नई~600093 | 5-5-1998 |
| 12. | 19490 | श्री पन्नीर सेलवम सी०, ए० सी० ए०, मैनेजर–फाइनेन्स, इंडियन आयल कोरपोरेणन लि०, पानमपिल्ली नगर-पोस्ट, कॅरला स्टेट ओफिस, कोचीन−682036 | 30-4-1998 |
| 13. | 19884 | श्री सुन्दरा रामन आर०, एफ० सी० ए०, 15/1 सुब्बैयारेङ्डी, रोड़, उलसूर, बंगलौर–560008- | 18-5-1998 |
| 14. | 20176 | श्री०हरीणा भट ए०, ए० सी०ए०, 28/4, मैन शंकर नगर, महालक्ष्मी लेआउट, बंगलोर–560096. | 20-4-1998 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 15. | 20178 | श्री रामाक्वष्णन वी०, ए० सी० ए०, इंडियन आयल कोरपोरेजन लि०, 139 महात्या गांधी रोड़, नन्गस्त्रविधम, चेन्नई—600034. | 28-5-1998 |
| 16. | 20381 | श्री वरादाराजन एस०, एफ० सी० ए०, टी०सी० 15/1847, फोरेस्ट श्रोफिंस लेन, वाझुथाकोड, थिरुवानतथापुरम–695014 | 22-6-1998 |
| 17. | 20431 | श्री अरुमुगम सी०, एफ सी० ए०, 5/999, मराई सलाई आदिगल स्ट्रीट, सदाणिव नगर, मदुराई– 62 5 0 2 0. | 15-5-1998 |
| 18. | 20941 | श्री रमानी एस०, ए० सी० ए०, फाइनेन्स एण्ड एधमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर, विडेलिटी गील्ड इंग्र्योरेंस कं० लि०, पो० आ० बोक्स 47435, नैरोबी, कीन्या । | 16-4-1998 |
| 19. | :1072 | श्री अशोक एच०, एफ० सी० ए०, सेक्शन हैंड, करतार एयरवेज, पी० ओ० बोक्स–22550, दोहा कत्तार । | 3-8-1998 |
| 20. | 21256 | श्री महेग अयर एन०, ए० सी० ए०, इन्फोरमेशन टैक्नोलोजी मैंनेजर, दमैक इवेस्टमेंट कं० एल०एल० सी० पो0 ओ० बोक्स 2195, दुबई, यू० ए० ई० । | 20-4-1998 |
| 21. | 21306 | श्री जोर्ज प्रेम थरयन, ए०सी०ए०, 8 आनन्द अपार्टमेंट्स, पोस्ट नं० 2425, अजीज नगर 2 स्ट्रीट, कोदम्बक्कम, चेन्नई600024 | 15-6-1998 |
| 2 2. | 21501 | श्री फासीनाधूनी वेंकटेग्वरा राव, एफ० सी०ए०, 3~6–459/ए, 5 स्ट्रीट, हिमायक्ष नगर, हैदराबाद~500029. | 27-8-1997 |
| 23. | 21866 | श्री राजना क्रुष्णा राव, ए० सी० ए०, एच० नं० 2-219, प्रताप नगर, काकीनाडा— 5 3 3 0 0 4 | 22-6-1998 |
| 24. | 21907 | श्री श्रीनिवासन एस, ए०सी०ए० डी० नं० 4 फ्लैंट नं० 6 अरिहंत अपार्टमेंट्रा सुक्रामनियन स्ट्रीट आफ आर्या गोवडा रोड वैस्ट मम्बालम चैन्नई–600033 । | 1 1–6–1998 |
| 25. | 22215 | श्री श्रीराम एस, ए०सी०ए० ब्लाक 424 नं० 62430 ऐवेन्यू 3 आंग मो कियो सिंगापोर560424 । | 28-5-1998 |
| 26. | 22266 | श्री वेंकटेक्ष्वरखु के०, एफ०सी०ए० सी–जी–2 भानुश्री अपार्टमेंटेस 3–5–873 हैदरगूड़ा हैदराबाद–500029 । | 9-6-1998 |

भारत का रामगर्भ, जूम 5, 1009 (चंडर 15, 1921) [भाग III---काण्ड 4

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 27. | 22562 | श्री रमेश रंगानाथन, ए०सी०ए०, 203, अरुनोदया अपार्टमेंट्र्म बिहाइड मिनवी कोफी जोग. हिमायतनगर, है्दराबाध-500029 । | 2-7-1998 |
| 28. | 23251 | श्री रविचन्द्रन आरः, एफ०सी०ए०, केयर आफ श्री० सी० के० हरीहरन, नं० 4, वीनादयालु स्ट्रीट, टी० नगर, चैन्नई–600017 । | 30-7-1998 |
| 29. | 23414 | श्री डेन्डुकुरी सरायुराम, एफ॰सी०ए०, एच नं॰ 6–3–1186/ए/6 (न्यू नं० 325), 2 फ्लोर, चिन्ना बालारेड्षी बिल्डिंग, एडजासेंट लेन टू ग्रान्ध काकतिया होटल है्दराबाद–500016 । | 12-5-1998 |
| 30. | 24052 | श्री अब्बुल्ला मोहिदीन एम, ए०सी०ए०, 10870 न⊺र्थ स्टेलिंग रोड, अपार्टमेंट 20-ई, कुपरटिनो कैलीफोर्निया, यू० एस० ए० । | 20-8-1998 |
| 31. | 24113 | श्री गनापति राव पी०, एफ०सी०ए०; नं० 87, नगर्जुना, रोड नं० 3, गगनमहल कोलोगी, हैदराबाद–500029 । | 15-4-1998 |
| 32. | 24190 | श्री प्रकाश के० एस०, एफ०सी०ए०, श्रीवालसम, ढंदिरानगर, कलूर, कोची∽682017 । | 24-4-1998 |
| 33. | 24450 | श्री नागाराजन वी, एफ०सी०ए०, फ्लैट 6,1 फ्लोर, 2–ए वेवाराजन स्ट्रीट, वेस्ट नाम्बरम, चैन्नई–600045 । | 10-6-1998 |
| 34. | 24528 | श्री साजू पीटर, एफव्सी०ए०, सीनियर एप्लीकेशन कंसलटैन्ट, एनर्जी कंसर्लाटेंग ओराकल सिस्टमस लि०, पोस्ट बोक्स 30330, आबू धाबी, यू० ए० ई० । | 30-6-1998 |
| 35. | 24655 | श्री मद्यु कृष्णा रेड्डी, एफ०सी०ए०, फ्लैट नं० डी–12, स्टील एण्ड माइंस कोम्प्लैक्स, श्रीनगर कोलोनी, हैदराबाद–500073 । | 1-7-1998 |
| 36. | 25248 | श्री मस्ती सोमेक्वरा राव, ए०सी०ए०, फाइनेनणियल कंट्रोलर, ट्रांस कोन्टीनेंटल टोबोको इंडिया प्रा० लि०, 4-4-141/ए1, 7/2 चन्द्रामोली नगर, गुन्टूरू–522007 । | 4-6-1998 |

-tra

| | | भारत का राजपत्र, जुन 5, 1099 (ज्येरेंठ 15, 1921) |) 1803 |
|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | ;; | 4 |
| 37, | 25536 | श्री राजेन्दिरन आर०, एफ०सी०ए० ब्लोक 361 बुकिट बटोक स्ट्रीट 31 08-451 निगापोर650361 । | 30-7-1998 |
| 38. | 25610 | श्री गोल्लापुडी विक्वेसवरा राष, एफ०सी०ए० अम्बल बिल्डिंग 2 फ्लोर 727 माउंट रोड पौन्नई–600006 । | 25-5-1998 |
| 39. | 25674 | श्री जोम एतोयसिस मैथ्यू, ए०सी०ए० 35/2805 काधिकाडाबु रोड पलारीबट्टम पी० ओ० कोची−682025 । | 2 4- 4-1998 |
| 4 0, | 25704 | श्री गतेेेेेेंग एम० एस०इ एफ०सी०ए० 3बी फस्ट फ्लोर 16 मालविया एवेेन्यू थिरुषानमियूर भेन्नई⊸600041 । | 17-7-1998 |
| 41. | 25775 | श्री गिरिधरन जी, ए०सी०ए० नं० 17 णर्मा स्ट्रीट गनापणि पुरम ताम्बरम चेम्नई~-600059 । | 14-5-199 \$ |
| 42. | 25865 | श्री सत्यानारायना सूर्थी आर, ए०सी०ए० मैनेजर (फाइनैन्स) मिधानी कंचन बाग हैदराबाद500058 । | 13-4-1998 |
| 43. | 25902 | श्री गोपीनाथ रेड्डी वाई, एफ०मी०ए० 13–38–1 एस० एस० कोम्पलैक्स बी०सी०एम०एस० रोड कमला नगर, अनन्तापुरम–515001 । | 2 9- 7-198 5 |
| 44 10 | 25915 | श्री आतुल सू द, ए०सी०ए० ईबी–184, माया एंक्लेब नई दिल्ली – 110064 । | 9— 6— 1 .9 38 |
| 4 5. | 25944 | श्री बालाकृष्णा शवाराया के, एफ०मी०ए० 87 श्री ननजुनवेक्वरा बिल्डिंग 2 फ्लोर, ।। कास, मालेक्वरम बंगलोर–560003 । | 8- 1 2 1 9 .9 .7 |
| 46. | 25961 | श्री रविन्द्रन पी०, एफ०सी०ए० सिस्टम ओ-ओरडिनेटर आहेर ग्रुप आफ कम्पनीज पी० बी० 1178 जेड्डाह–21431, साठदी अरेबिया । | 4~8-1998 |
| 47. | 26 289 | श्री बद्रीनारायणामूर्थी एच० वी०, ए०सी०ए० 10–212 वसंथापुरी कल्काजगिरी हैदराबाद–500047 । | 1 6~ 6 ~ 1 998 |

| 1 | • 2 | 3 | 4 |
|-------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| . 48. | 26292 | श्री नरासिम्हामूर्ती ए० , ए०सीं०ए०, 1–10–243 अशोक नगर हैदराबाद–500020 । | 17-6-1998 |
| 49 . | 26470 | श्री कृष्णा मनिक्ष्यम बी०, ए०सी०ए० डिप्टी मैनेजर फाइनैन्स इंडियन आयल कारपोरेशन लि० 139, महात्मा गांधी रोड, नन्गमक्कम चेग्मई– 600034 । | 20 51998 |
| 50. | 26633 | श्री अनन्थाचारीयार पी० बी०, एफ०सी०ए०, नं० 13 सन्निधि स्ट्रीट कांचीपुरम–631503 । | 24-6-1998 |
| 51. | 26639 | श्री नारायनलाल व्यास एस०, एफ०सी०ए० 24–100 इंदिरा नगर कोलोनी लोथ्कुन्टा सिकन्दराबाद–500015 । | 8-5-1998 |
| 52. | 26725 | श्री रेगेण के०, ए०सी०ए० बी⊶16 री क्लासिक अपार्टमेंट्स बरोदा स्ट्रीट, वैस्ट मम्बालम चेन्नई~600033 । | 20-4-1998 |
| 53. | 26985 | श्री काह्मन्ना पी०, ए०सी०ए० 301 साई किरण अपार्टमेंट्स 3–6–375 हिमायतनगर हैदराबाद–500029। | 2 9- 6-1998 |
| 54. | 27134 | श्री श्रीकान्थ पी० एस०, ए०सी०ए० फाइमैनशियल एनालिस्ट एम० बी० पैट्रोलियम सविसिज एलएलसी, पी० ओ० बाम्स 695,पी० सी० 114, बत्तायाह, मल्तनत ओफ ओमान । | 4— 5— 1998 |
| 55. | 27665 | श्री विक्वानाथ कृष्णन एन० ए०, एफ०सी०ए०, 7, कृष्णाम्वामी स्ट्रीट, अभिरामापुरम चेन्नई–600018 । | ,27-7-19 <u>98</u> |
| 56 | 28114 | श्री श्रीकान्थ एन, ए०सी०ए० 5/1 दमदारापुरम् 3 स्ट्रीट, अद्यार चेन्नई–600020 । | 27-7-1998 |
| 57. | 28161 | श्री मैथ्यू वरधीज, ए०सी०ए० मैनेजिंग डायरेक्टर आई/ई/एन माइको सिस्टम्स थि० कन्नानकुलंगारा बिपुनीथुरा682301 । | 2 7-1998 |
| 58 [.] . | 28600 | श्री चन्द्रासेकरन के०, ए०सी०ए० 25 वैद्या रामन स्ट्रीट, टी नग? चेन्नई–600017 । | 1 9 - 5 - 1998 |

| 1 2 | 3 | 4 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| .59 . 28637 | श्री सेलबम के०, एफ०सी०ए० 6/11 लाल बहादुर गास्त्री स्ट्रीट, नाटारासन कोट्टई–630556 । | 3-4-1998 |
| .60. 28704 | श्री श्रीघ्ररन थी० जी०, ए०सी०ए० एसिसटेंट प्रोफेसर, इंडियम इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट बंगलोर बन्नेरघट्टा रोड़, बंगलोर–560076 । | 3-6-1998 |
| 61. 287,71 | श्री विश्वानाथ उमाशंकर तिव ेवी, ए०सी ०ए० एम०जी०डी० 324 मैकमास्टर यूनिवर्सिटी 1280 मेन स्ट्रीट डब्ल्यू हैमिल्टन ओन्टारियो एल 8एस 4एम 4 कनाडा । | 2-7- 1998 |
| 62. <u>2</u> 8798 | श्री पार्थसारथी आर०, ए०सी०ए० मैनेजर फाइनैन्स लीफिन इंडिया लि०, 7 / 17 एवेम्यू हैरिंगटन रोड़, चेटपेट चेन्नई⊸600031 । | 28-4-1998 |
| 33. 29268 | श्री सुनील कुमार बी, एफ०सी०ए० एच नं० 83-903/6, नागर्जुना नगर अमीरपेट, हैदराबाद-500073 । | 18-5-1998 |
| 34. 29341 | श्री जमालामाइदीन एम० ए०, ए०सी०ए० बजेट एकाउन्टेंस्ट, मैकसफे र्सावसिज लि०, पी० ओ० बॉक्स 69428, रियाध 11547 साऊदी अरेबिया । | 6 4-1998 |
| 35. 29406 | श्री श्रीनगेश रामाभौतला, ए०सी०ए० प्लाट नं० 1, के० के० टावर्स ग्राऊंड फ्लोर, यौसुफ गुडा, हैवराबाद–500045 । | 22-4-199 8 |
| 96. 29707 | श्वी वेंकटा केसरी के०, ए०सी०ए० जी 1, सान्धी निलायाम अपार्टमेंट्स, लेन ओपोजिट स्वराज होटल, 1–1–192/2 चिक्काडपल्ली, हैदराबाद–500020 । | 27 -5- 1998 |
| 7. 29776 | श्री गिरीधर मामिदी, ए०सी०ए० एच नं० 4⊶1–81/3 रामानीयम भवानी नगर नाचाराम हैवराबाद–501507 । | 12-5-1998 |
| 8. 38851 | श्री संकर कुप्पुस्वामी, ए०सी०ए० मैनेजर एफ० एण्ड ए० एण्ड कम्पनी सेक्रेटरी विपटो असेर लि०, नं० ८४ एम०जी० रो ड , बंगलोर-560094 । | 2 9- 6-1998 |
| 9. 39185 | श्री नरेन्द्रा सर्वोत्तम तेलंग, ए०सी०ए० डायरेक्टर फाइनैन्स जीटीएम इंडिया आईएनमी इंडिया लैमन ऑफिस उलसूर बंगलोर–560042 । | 11-6-1998 |

| 1 | 2 | - 3 | ····· |
|-------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 70. | 48815 | श्री जय प्रकाग एम० डी०, ए० सी० ए० मोद्यीयिल पठानमथिट्टा डिस्ट०, थुमपमोन–689502 । | *4-8-1984 |
| 71. | 56057 | श्री इंद्राजीत बसु, ए० सी०ए० फाइनैंन्स मैनेजर, श्री बजरंग जूट मिल्म लि०, जी० टी० रोड, एसु फ- 534002. | 3 - 8- 19#(|
| 72. | 80143 | श्री रघुनायन के०, ए० सी० ए० फ्लैट नं० 10 7 श्रीराम अपार्टमेंट्स, 3–4 –5 31, नारायनागुडा, हैदराबाद–500027. | 24-11-1997 |
| 73. | 89148 | श्री रामा कृष्णा बी०, ए० सी० ए० एच० नं० 8, 2 फ्लोर बारदा कॉम्प्लैक्स, कल्याण नगर कॉस रोड्स, कल्याण नगर, हैवराबाद–500038 । | 15-7-1906 |
| 74 | 200340 | श्री रामन पी० के०, ए० सी० ए० सीनियर ऑडिटर, स्टैण्डर्फ चार्टर्ड बैंक डी० बी० एस० बिस्डिंग, ७ फ्लोर, 108 डा० राधाक्रुष्णन सलाई, चेन्नई600004 । | 15-6-1988 |
| 75. · | 200 48 1 | श्री श्रीकान्थ एस०, ए० सी० ए० मैनेजिंग कंसलटैंन्ट, कूपर्स एण्ड लीक्रान्ड प्रा० लि०, 508 बस्टोन सैन्टर, 84 एम०जी० रोड, बंगलोर560001 । | 20-7-1998 |
| 76. | 201264 | मिस लथा रामन, ए० सी० ए० 190 लोंग मीडो ड्राइव होलनुक, एमए02343 यू० एस० ए० । | 22-4-1998 |
| 77. | 201391 | श्री अनिल रामाचन्द्रन, एफ० सी० ए० 13–जी अल्सा बिन्डसोर 4 कोठारी रोड़, नसगम्बक्कम, बेन्नई⊷600034 । | 1 5 -7-1998 |
| 7 <u>8</u> . | 201401 | श्री महादेवन एन०, ए० सी० ए० हायपेरियन सोफ्टवेयर एशिया पी० टी०∵ई० लि०, 80 अंसल रो ड़, 24–01 आई वीएम टॉव र्स, सिंगापोर79907 । | 3-4-1998 |
| 7. 0 . | 201628 | श्री नरसी रेड्डी पी०, ए० सी० ए० एकाउन्ट्स ऑफिसर, इलेक्ट्रोनिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया लि०, ई० सी० आई० एल० पोस्ट, कैंक्ट्राचर्स 500042 - | 26-6-1998 |
| ð0. | 201913 | 8ैंदराबाद⊷500062 । श्री वेंक्टेग्वर रेड्डी पी०, ए० सी०ृए० एच० नं० 26/ए, संजीव रेड्डी ॄनगर, 8ैद्दराबाद–500038 । | 12-8-1998 |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 81. | 202240 | श्री विजया कुमार ए०, ए० सी० ए० फाइनैनशियल कन्ट्रोलर, पोलीकोर लि०, पो० आ० बोक्स 34903, सुमाका–10101 जाम्बिया । | 05-05-1998 |
| 8 2, | 202611 | श्री आनन्द के०, ए० सी० ए० नैशनवाइड फाइनैन्स लि०, ।सी० चैतन्या सैन्टर, 12 खेदर नगाज खान रोड़, भेन्नई600006 । | 1 6 - 0 4- 1 99 8 |
| 83, | 202891 | श्री वेंकटेंग के०, ए० सी० ए० केयर आफ के० पी० एम० सी० फाथरो, पी० बी० 710 मनामा, बैहरेन । | 04-08-1998 |
| 84. | 203104 | मिस मन्जुला सुब्रामनियन, ए० सी० ए० मैनेजर फाइनैन्स एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन, मैसर्स देसमेट चैमफूंद इंजीनियरिंग प्रा० लि०, 14 देसमेट हाऊस लैंगफोर्ड रोड़, शाम्ति नगर, बंगलोर560025 । | 21-07-1998 |
| 85. | 203179 | श्री आनन्दा कुमार वी०, ए० सी० ए० एम०–17 डी० क्रपांकालोनी 1 एवन्यु, 44 स्ट्रीट अणोक नगर, चेन्नई–560083। | 02-07-1998 |
| 86. | 203665 | मिस किरन दमोदर लढ़ा, ए० सी०ए० मैसर्स लोगिक्स माइको ं सिस्टम्स लि० 493/3 ब्राहमालिंगेखरा कोम्पलैक्स, एयर पोर्ट रोड़ क्वंगलोर–560008 । | 22-05-1998 |
| 87. | 203705 | श्री सतीग एन०, ए० सी० ए० एकाउस्ट्स ओफिसर मैसर्स जिन्दा ट्रेक्टेबेल पावर कं० लि० पो० ओ० नोक्स 9 बेलरी डिस्ट०, टोरानागल्लु~583123 । | 15-04-1998 |
| 88. | 203837 | श्री नागा भावननारायना स्वामी ए०, सी० ए० डी० नं० 83677/24/3 नवोदया कालोनी हैदराबाद500073 | 28-07-1998 |
| 89. | 204211 | मिस राधा मोहन, ए० सी० ए० 27/1/10/1 क्रुपा कोम्पलैक्स साफिलगुडा नरेडमेट सिकन्दराबाद500053 । | 08-05-1988 |
| 90 ₉ | 204266 | श्री नायुंखु नागेण्वरा राय, ए० सी० ए० डी० नै० <i>6 3 668/17 प</i> लैट नं० 10 <i>2,</i> क्लासिक एंक्लेव, पंजागुटटा हैदराबाद 500082 । | 18-06-1998 |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 91. | 204550 | श्री श्रीनाधुद्दू एम०, ए० सी० ए० 30–265, सुधानगर कोलोनी, ओल्ड साफिलगुडा वी० वी० एच० एस० कलकाजगिरी, हैदराबाद–500056 । | 24-07-1998 |
| 9 2. | 204,684 | मिसेज कल्पना जयाशंकर, ए० सी० ए०, 1 ए० ''रीवीरा'' प्लाट नं० ७, 4 सी० वॉर्ड, रोड, वालमिकी नगर, थि रुवानमियूर चेन्नई600041 । | 23-06-1998 |
| 9 3. | 204731 | मिस सुक्बालक्ष्मी, वी० ए० सी० ए०; 9 मनी जिल्ला, 101 वन्नीयर स्ट्रीट, धूलईमेढू, वेन्नई–600094 । | 28-04-1998 |
| 94. | 205285 | श्री लालातेन्दु मिश्रा, ए० सी० ए०, 107/ एच०, आचार्या विहार, भु बनेप्रगर 751013। | 07-04-1998 |
| | | | अमोक हस्विया सचिव |

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 18 मई 1999

सं० थी०--33(13)-14/94-स्था०-4--क० र(० बी० (साधारण) विनियम, 1950के विनियम 10 के साथ पठित स० रा० बी० अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 25 के अनुउरण में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अध्यक्ष भारत के राजपत के भाग 3 खड-4 में दिनांक 27-12-97 को त्रहारोग कर्नचारो राज्य जीता निगम की प्रधिसूरना सं० वी-33 (13)-14/ 94---र्स्वॉर्ड ये; दिनांक 30-11-97 में निम्नलिखित संशोधन करते है।

विनेश गुप्ता महागिदेशकः

मई विल्ली, विनांक 23 अप्रल 1999

संब यूब्ब 16/53/1/97-चिकित्सा-2 (तमिसनाडू):---कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विमियम, 1950 के विनियम 105 के तहन महानिवेशक को लिगम की गक्तियां प्रवान करने के सम्बन्ध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के दिनौक 25 अप्रैंस, 1951 को हुई बैठक के अनुसरण में तथा महानिदेशक के अदिश संख्या 10?4(जी) दिनांक ?3-5-1983 द्वारा ये शक्तियां आगे मुक्ते सौंपी जाने पर मैं इसके द्वारा निम्नलिखित डाक्टरों की मानकों के अनुमार देय पारिश्वमिक पर निम्नलिखित सिथि तक एक वर्ष के लिए ये पूर्ण शालक चिकित्सां निर्देशकि कार्यग्रहण करने तक, जो भी पूर्व हो, को उप चिकित्सा आँगुकत (दक्षिण क्षेत्र) द्वारा निर्धारित निम्न- लिखित क्षेत्र के लेके सेम ग्रुन वादितयों की कारण्य परीक्षा करने तथा मूत प्रमाण पत्र की मत्यता मंदित्ध होदे पर उन्हें आगे प्रमाण पत्र जारी किये जामे के प्रयोजन के लिये चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती हूँ।

| क्रम सं∘ डाक्टर का नाम | | अव धि | केन्द्र का नाम |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1. डा० सी० प्रेमावथी | | 1-4-99 से 31-3-2000 तम | <u>с</u> |
| · | | | ॰ (श्रीमती) एत॰ तिह चिकित्सा आयुक्त |
| ारा यह सुचित किया जाता हैकि बत्त अधिकारों का प्रयोग करते ह कारण निम्तलिखित सबस्यों का | यिनॉफ 28 जनवरी 199 (4)2/98-99:वार्टर्ड प्राप्त लेखाकार (वार्टर्ड प्राप्त लेखाकार अधिनियम 1949 इए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्था नाम उनके आगे वी गई तिथि से हटा दि | विनियम 1988 के विनियम की धारा 20 की उपधारा परिषद ने अपने सदस्यना रहि या है। | (1) के खण्ड (अ) द्वार नस्टर में से मृत्यू हो जाने |
| क्रम संख्या सबस्यता संख्या | नमि एव पता | ···· | fewie: |
| 1 2 | 3 | | 4 |
| 1. 000967 | श्री जोगपुर कृष्णा भीमाराव, के० बी० जोगपुर एण्ड कं०, कमिशनरट बिल्डिंग, 3ग मजला, डी० मुम्बई~400001 । | | 16-05-9 |
| 2. 001153 | भ्धी गिडवानी नार्मीक मोट्रेमल, गिडवानी एण्ड क०, 2 ए, पुष्प विहार ब्लाक–2, कोल्लॉबा, मुम्बई–400005 । | | 2 8-06-9 |
| 3. 001789 | श्री फ़बके रामचम्द्र स्कर, आर० एम० फबके, एण्ड कं०, बम्बई मुख्युल चैम्बर्स, 5 वो मजल(, 1 9/21, अम्बालाल दोषी मार्ग, हुतारखा चौक, मुम्बई–400023। | | 24~05~9 |
| 4. 002037 | श्री ख¦खवाला बिनु मंगलदास, वी० एम० खांडवाला एण्ड कं०, सोहराव बिल्डिंग, 1ला मजला, एडवर्ड थियेटेर के सामने, 505, कालवादेवी, रोड, मुम्बई-4000 | 02 1 | 1 4-04-0 |
| 5. 002216 | श्री टिटीना नौशिर रूस्तमजी, अर्थोंक अपार्टमें टेस 'अे' पलेट नं० ३, स्ट्रण्ड सिनेमा के पासः 6 वां मजला, आर्थर बन्दर रोड,कोलाबा, | | 15-05-9 |

æ.

| 4 2 | З | 4 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 6· 002501 | श्री कटॉपटीआ इरेक धनजीणा, ई० डी० कटपिटीया एण्ड कं०, यूनियन कोआपरटिव इन्सूरन्स बिल्डिंग, रूम नं० 6, 1ला मजला, सर पी० एम० रोड, मुम्बई~400001 । | 17-08-98 |
| 7. 002346 | श्वी माहि कुष्णा लाल रणछोड़लाल, वकील साह एण्ड कं०, 25, उदयपार्क, जेसलपुर रोड, बडोवरा–390005 । | 2 0 029 € |
| 8.002621 | श्री खांडेकर परवचन्द्र शंकर, एम० एम० खांडेकर एण्ड कॅ०, मोनालिक्ता काम्पलेक्स, सजापेट पोलीस स्टशन के सामने, बड़नरा रोड, अमरावती–444601 | 12 -0 2-98 |
| 0, 003284 | श्री षुई डबलयूजी कमांडर घरद मोरेध्वर, 19/165/2, सीनिवास नगर, पिपरी, पुणे~41 1018 । | 02-08-97 |
| 10 003382 | श्री नेरूरकर विजय बसंत, यूनिवर्सल इन्सुरन्स बिरिंडग, फिरोजबाह मेहता रोड, मम्बई–400001 । | 30-01-98 |
| 11- 003402 | श्री दोशी चम्पकलाल डासीचम्छ, एलॉट नं० 2141 डी, वाछावाड़ी बेक रोड, भावनगर364002 । | 2 1-07-96 |
| 12. 004713 | श्री यनकावला रजनीकान्त लल्लूभाई, रजनी एल० वनकावला एण्ड कं०, अजन्ता ब्लॉक 34, उरा मजला, उरा रास्ता, खार रोड (पश्चिम) मुम्बई~400052। | 13-10-98 |
| 13. 011305 | श्री णाह किलीं बाबू रमनलाल, किलीं शाह एण्ड कं०, 17 गोपाल विजय को-ऑप० सोसायटी, 4 बा मजला, एम० जी० कॉस रोड नं० 3, कांदिबली (प) मुम्बई400067। | 28-07-98 |
| 14. 012369 | श्री मजूमदार अरुण विख्वानाथ, 50~51, अली चैम्बर्स, तामरींद लेन, फोर्ट, सुम्बई-400001 । | 04-02-91 |
| 15. 012492 | श्री सुभिल मुल्कराज अगरवाल, मित्र क्रुंज, जसलोक हॉस्पीटल के सामने, 16, पेंडर रोंड, सुम्बई400026 । | 03-12-9 |

भाग 111-- खण्ड 4]

a. The

- - --

| 1 2 | 3 | 4 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 16 012635 | श्री खासीआ कृष्णा कुमार अर्जून, 210, प्रेम कुटीर, बम्बई पुणा रोष्ट, कल वा-प ., ठाणे–400605 | 01-04-9 |
| 17. 016292 | श्री पटेल अघिवन हरीलाल, 51, जुठीका, 22 नोशिर भरुचा रोख, मुम्बई400007 । | 2 5 - 1 1- 9 |
| 18. 017961 | श्री शाह चन्द्रकान्त कॉतीलाल छाग पाहवा एण्ड शाह, 164, शिवशक्ति इण्डस्ट्रीयल इस्टेट, मित्तल इस्टेट के सामने, मरोल नाका अन्धेरी (पू०) मुम्बई~4000059। | 15-11-9 |
| 19. 038517 | श्री के० बालासुक्रामनीअन, 1/5 चन्द्रलोक अपार्टमेंट्स, गोखले नगर रोड, पुणे–411016। | 24-04-8 |
| 20. 048150 | श्री णाह हेटल नवनीतलाल, ए 11, नीरव फ्लेट्स, णांतीवन बस स्टाप के पास, नारायण नगर रोड, पालदी, अहमदाबाद–380007 । | 0 9 - 0 4- 9 |
| 21. 070429 | श्री तनवानी कन्हैयालाल, 305, गोविंदा टावर, वांद्रा-पू०, मुम्बई–400051 । | 05-08-9 |
| 22. 101671 | श्री गदा राकेेश कुशालचन्द, 2/54, हबीव मेन्शन, 828, बी० जे० मार्ग, मुम्बई–400011 । | 0 2-0 9-9 |

अगोक हल्**वया**,

सचिव

RESERVE BANK OF INDIA CENTRAL OFFICE

1.0.1.1.1.000

DEPARTMENT OF BANKING OPFRATIONS AND DEVELOPMENT

WORLD TRADE CENTRE, CENTRE I CUFFE PARADE, COLABA

Mumbai-400 005, the 22nd May 1999

No. DBOD. IBS. 2823/23.13.089/98-99.—In pursuance of clause (b) of sub-section (6) of Section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Reserve Bank of India hereby directs the exclusion from the Second Schedule to the said Act of the following :

"The Commercial Bank of Korea Ltd.".

KHIZER AHMED Executive Director No. DBOD, IBS. 2824/23.13.089/98-99.—In pursuance of sub-section '(2) of Section 36 A of the Banking Regulation Act, 1949, the Reserve Bank of India hereby notifies that The Commercial Bank of Korea Ltd. has ceased to be a banking company within the meaning of the said Act.

KHIZER AHMED Executive Director

STATE BANK OF INDIA CENTRAL OFFICE

Mumbai, the 21st May 1999

SBD No. 5/1999.—It is hereby notified for general information that in pursuance of clause (d) of sub-section (1) of Section 25 of State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, the State Bank of India has in consultation with Reserve Bank of India nominated Dr. J. D.

6—99GI/99

Agarwal, B 3/83, Ashok Vihar II, Delhi, as a director on the Board of Directors of State Bank of Patiala for a period of three years with effect from 1st June 1999 to 31st May 2002 (both days inclusive) in place of Prof. Karam Singh.

G. G. VAIDYA, Chairman

STATE BANK OF TRAVANCORE

(Associate of the State Bank of India)

HEAD OFFICE : THIRUVANANTHAPURAM

Thiruvananthapuram, the 31st May 1999

The Thirtyninth Annual General Meeting of the Shareholders of the State Bank of Travancore will be held in the A. K. G. Memorial Hall, Gas House Junction, Palayam, Thiruvananthapuram-695 034, on Wednesday the 7th July 1999 at 11.30 a.m. (Standard Time) to transact the following business :

"To receive the Report of the Board of Directors, the Balance Sheet and Profit and Loss Account of the Bunk made upto the 31st March, 1999 and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts."

> VEPA KAMESAM Managing Director

BANK OF INDIA GENERAL REGULATIONS, 1999 In exercise of the powers conferred by Section 19 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 the Board of Directors of Bank of India atter consultation with the Reserve Bank of India and with the

consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following Regulations, namely :

CHAPTER-1

INTRODUCTORY

1. Short title and commencement -

ارد. مربع المربع (1999) (1999) المربعين المربع (1999) (1999) (المربعية (1999) (المربعية (1999) (المربع

(i) These Regulations may be called Bank of India

General Regulations, 1999.

(ii) These Regulations shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions ---

1812

In these Regulations, unless there is anything repugnant to the subject or context or meaning thereof -

- (a) 'Act" means the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970);
- (b) "Bank" means Bank of India constituted under Sec. 3 of the Act;
- (c) "Board" means the Board of Directors constituted under Section 9 of the Act;
- (d) "Chairman" means the Chairman of the Board;
- (e) "Committee" means a Committee as constituted by the Board;
- (f) "Executive Director" means the wholetime Director, not being the Managing Director;
- (g) "General Manager" means General Manager of the Bank;
- (h) "Management Committee" means a Committee constituted under Clause 13 of the Scheme;
- (i) "Managing Director" means Managing Director of the Bank;
- (j) "Register" means the register of Shareholders kept in one or more books of the Bank and includes the register of Shareholders kept in Computer floppies or diskettes under Sub-Sec. (2G) of Sec. 3 of the Act;

- (k) "Registrar" means the person appointed by the Bank for ---
 - (i) collecting application from investors in respect of a issue;
 - (ii) keeping a proper record of application and monies received from investors or paid to the seller of the securities; and
 - (iii) assisting the Bank in --
 - (a) determining the basis of allotment of securities in consulation with the stock exchange;
 - (b) finalising the list of persons entitled to allotment of securities;
 - (c) processing and despatching allotment letters, refund orders or certificates and other related documents in respect of the issue, and
 - (iv) such other function as assigned from time to time by the Bank.
- (1) "Scheme" mean the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970;
- (m) "Share" means share in the Share Capital of the Bank.
- (n) "Share transfer agent" includes ----
 - (i) any person, who on behalf of the Bank maintains the records of holders of securities issued by the Bank and deals with all matters connected with the transfer and redemption of its securities, or
 - (ii) a department or division (by whatever name called) of the Bank performing the activities referred in sub-clause(i).
- (0) Words and expressions used in Chapter III and not defined in these Regulations but defined in the Depositories Act, 1996 (Act 22 of 1996), shall have the meaning respectively assigned to them in the said Act.
- (p) Other expressions used and not defined in these Regulations but used in the Act or the Scheme shall have the meanings respectively assigned to them in the Act or the Scheme;

CHAPTER IJ

SHARES AND SHARE REGISTER

3. Nature of shares ----

The shares of the Bank shall be movable property, transferabel in the manner provided under these Regulations.

4. Kinds of share capital

(i) Preference Share Capital means that part of share capital of the Bank which fulfills both the following conditions :---

- (A) as respects dividends, it carries a preferential right to be paid a fixed amount or an amount calculated at fixed rate, which may be either free of or subject to income tax and
- (B) as respect capital, it carries or will carry, on winding up or repayment of capital, a preferential right to be repaid the amount of the capital paid-up or deemed to have been paid-up, whether or not there is preferential right to the payment of either or both of the following amounts, namely :---

- (a) any money remaining unpaid, in respect of the amounts specified in clause (A), upto the date of winding up or repayment of capital, and
- (b) any fixed premium or premium on any fixed scale, specified by the Board with the previous consent of the Central Government.

(ii) "Equity Share Capital" means all share capital, which is not preference share capital.

(iii) The expressions "Preference Share" and "Equity Share" shall be constructed accordingly.

5. Particulars to be entered in the register

(i) A share register shall be kept, maintained and updated in accordance with sub-section 2(F) of section 3 of the Act.

(ii) In addition to the particulars specified in sub-section 2(F) of Section 3 of the Act, such other particulars as the Board may specify shall be entered in the register.

(iii) In the case of joint holders of any share, their names and other particulars required by sub-regulation (i) shall be grouped under the name of the first of such joint holders.

(iv) Subject to the Proviso of sub-section 2(D) of Sec. 3 of the Act, a shareholder resident outside India may furnish to the Bank an address in India, and any such address shall be entered in the register and be deemed to be his registered address for the purposes of the Act and these Regulations.

(v) No Notice of any trust, express, implied or constructive, shall be entered on the register or be receivable by the Bank.

6. Control over shares and registers.

Subject to the provisions of the Act and these Regulations, and such directions as the Board may issue from time to time, the register shall be kept and maintained at the Head Office of the Bank and be under the control of the Board and the decision of the Board as to whether or not a person is entitled to be registered as a shareholder in respect of any share shall be final.

7. Parties who may not be registered as shareholders.

(i) Except as otherwise provided by these Regulations, all persons who are not competent to contract shall not entitled to be registered as shareholder and the decision he of the Board in this regard shall be conclusive and final.

(ii) In case of firms, shares may be registered in the names of the individual partners and no firm, as such, shall be entitled to be registered as a shareholder.

8. Maintenance of share register in computer system, etc.

(i) The particulars required to be entered in the share register under sub-section, 2(F) of section 3 of the Act, acad with those mentioned in regulation 5, shall be maintained under sub-section 2(G) of section 3 of the Act, in the form of data stored in magnetic/optical/magneto-optical media by way of diskettes, floppies, cartridges or otherwise (hereinafter referred to as the "media") in computers to be maintained at the Head Office and the back up at such location as may be decided from time to time by the Chairman and Managing Director or any other official not below the rank of a General Manager designated in this behalf by the Chairman and Manag-ing Director (hereinafter referred to as "the designated offi-cial"). cial").

(ii) Particulars required to be entered in the share register under Sec. 3 (B) of the Act read with Section 11 of the Depositories Act, 1996 shall be maintained in the Electronic form in the manner and in the form as prescribed therein.

9. Safeguards for protection of computer system.

(i) The access to the system set out in Regulation 8 (i) in which data is stored shall be restricted to such persons including Registrars to an issue and/or share transfer agenty as may be authorised in this behalf by the Chairman and Managing Director or the designated official and the passwords if any, and/or the electronic security control systems shall be kept confidential under the custody of the seld nearents. said persons.

(ii) The access by the authorised persons shall be recorded in logs by the computer system and such logs shall be pres-erved with the officials/persons designated in this behalf by the Chairman and Managing Director or the designated official.

(iii) Copies of the back-ups shall be taken on removable media at intervals as may be specified from time to time by the Chairman and Managing Director or the designated official, incorporating the changes made in the register of the taken are ta official, incorporating the changes made in the register of shareholders. At least one of these copies shall be stored in a location other than the premises in which processing is being done. This copy shall be stored in a fire-proof environment with locking arrangement and at the requisite temperature. The access to the back-ups in both the locations shall be restricted to persons authorised in this behalf by the Chairman and Managing Director or the designated official Chairman and Managing Director or the designated official. The persons so authorised shall record the access in a manual register kept at the location.

(iv) It shall be the duty of the authorised persons to compare the data on the back-ups with that on the computer system by using appropriate software to ensure correctness of the back-up. The result of this operation shall be recorded in the register maintained for the purpose.

(v) It shall be competent for the Chairman and Managing Director, by special or general order to add or modify the instructions, stipulations in regard to the safeguards to be observed in maintaining the register of the shareholders in the computer system with due regard to the advancement of technology, and/or in the exigencies of situation or for any other relevant consideration.

10. Exercise of rights of joint holders.

If any share stands in the names of two or more per-sons, the person first named in the register shall, as regards voting, receipt of dividends, service of notices and all or any other matters connected with Bank except the transfer of shares, be deemed to be the sole holder thereof.

11. Inspection of register.

(i) The register shall, except when closed under Regulation 12, be open to inspection of any shareholder, free of charge, at the place where it is maintained during business hours subject to such reasonable restrictions at the Board may impose, but so that not less than two hours in each working day shall be allowed for inspection.

(ii) Any shareholder may make extracts of any entry in the register or computer prints free of charge or if he requi-res a copy or computer prints of the register or of any part thereof, the same will be supplied to him on pre-payment at the rate of Rs. 5/- for every 100 words or fractional part thereof required to be copied.

(iii) Notwithstanding anythin contained in sub-regulation (ii), any duly authorised officer of the Government shall have the right to make a copy of any entry in the register or be furnished a copy of the register or any part thereof.

12. Closing of the register.

The Bank may, after giving not less than seven days previous notice by advertisement in at least two newspapers circulating in India, close the register of shareholders for any period or periods not exceeding in the aggregate forty-five days in each year, but not exceeding thirty days at any one time as shall, in its opinion, be necessary.

13. Share Certificates.

(i) Each share certificate shall bear share certificate number, a distinctive number, the number of shares in respect of which it is issued and the name of the shareholder to whom it is issued and it shall be in such form as may be specified by the Board.

(ii) Every share certificate shall be issued under the com-mon seal of the Bank in pursuance of a resolution of the Board and shall be signed by two directors and some other officer appointed by the Board for the purpose.

Provided that the signature of the directors may be printed, engraved, lithographed or impressed by such other mechanical process as the Board may direct.

(iii) A signature so printed, engraved, lithographed or otherwise impressed shall be as valid as a signature in the proper handwriting of the signatory himself.

(iv) No share certificate shall be valid unless and until it is so signed. Share Certificates so signed shall be valid and binding notwithstanding that, before the issue thereof, any person whose signature appears thereon may have ceased to be a person authorised to sign share certificates on behalf of the Bank.

(v) Should the share certificate so prepared contain the signature of an authorised person, as stated in sub-clause (ii) above, who however is dead at the time of issue of the certificate, the Bank may, by a method considered by it as most suitable, canel the signature of such a person appearing on the certificate and have the signature of any other authorised person affixed to it. The share certificate so issued shall be valid.

14. Issue of share certificates.

(i) While issuing share certificates to any shareholder, it shall be competent for the Board to issue the certificates on the basis of one certificate for every hundred shares or multiples thereof registered in his name on any one occasion and one additional share certificate for the number of shares in excess thereof but which are less than hundred.

(ii) If the number of shares to be registered is less than hundred, one certificate shall be issued for all the shares.

(iii) In respect of any share or shares held jointly by several persons, the Bank shall not be bound to issue more than one certificate, and delivery of a certificate for a share to one of several joint holders shall be sufficient delivery to all such holders.

15. Renowal of share certificates

(i) If any share cortificate is worn out or defaced, the Board of Committee designated by it on pro juction of such certificate may order the same to be cancelled and have a new certificate issued in lieu thereof.

(ii) If any share certificate is alleged to be lost or destroyed, the Board or the Committee designated by it on such indemnity with or without surety as the Board or the Committee think fit, and on publication in two newspapers and on payment to the Bank of its costs, charges and expenses a duplicate in lieu thereof may be given to the person entitled to such lost or destroyed certificate.

16. Consolidation and sub-division of shares

On a written application made by the shateholder(s), the Board or the committee designated by it may consolidate or sub-divide the shares submitted to it for consolidation/ sub-division as the case may be and issue a new cortificate(s) in lieu thereof on payment to the Bank of its costs, charges and expenses of and incidental to the matter.

17. Transfer of shares

(i) Every transfer of the shares of the Bank shall be by an instrument of transfer in form 'A' annexed hereto or in such other form as may be approved by the Bank from time to time and shall be duly stamped, dated and executed by or on behalf of the transferor and the transferce alongwith the relative share certificate.

(ii) The instrument of transfer alongwith the share certificate shall be submitted to the Bank at its Head Office and the transferor be deemed to remain the holder of such shares until the name of the transferce is entered in the share resister in respect thereof.

- (iii) Upon receipt by the Bank of an instrument of transfer alongwith a share certificate with a request to register the transfer, the Board or the committee designated by the Board shall forward the said instrument of transfer alongwith share certificate to the Registrar and/or Share Transfer Agents for the purposes of verification that the technical requirements are complied with in their entirety. The Registrar and/or Share Transfer Agent shall return the instrument of transfer alongwith the share certificate if any to the Transferee for resubmission unless :
 - (a) The instrument of transfer is presented to the Bank, duly stamped and properly executed for registration and is accompanied by the certificate of the shares to which it relates and such other evidence as the Board may require to show the title of the transferor to make such transfer.
 - (b) The Registrar is satisfied that the transferec is qualified to be registered as a shareholder of the Bank in respect of the shares covered by the instrument of transfer.
- (iv) The Board or the Committee designated by the Board shall unless it declines to register the transfer under Regulation No. 19 hereinafter cause the transfer to be registered.
- 18 Power to suspend transfers

The Board or the committee deisgnated by the Board shall not register any transfer during any period in which the register is closed.

19. Board's right to refuse registration of transfer of share :---

- (i) The Board may refuse transfer of any shares in the name of the transferee on any one or more of the following grounds, and on no other ground: --
 - (a) the transfer of shares is in contravention of the Act or Regulation made thereunder or any other law or that any other requirement under the law relating to registration of such transfer has not been complied with;
 - (b) the transfer of shares, in the opion of the Board, is prejudical to the interests of the Bank or to public interest,
 - (c) the transfer of shares is prohibited by an order of court. Tribunal or any other authority under any law for the time being in force.
 - (d) an individual or company resident outside India or any company incorporated under, any law not in force in India or any branch of such company whether resident outside India or not will on the transfer being allowed hold or acquire as a result thereof, shares of the Bank and such investment in the aggregate will exceed the percentage, being more than 20% (twenty) of the paid up capital or as may be specified by the Central Government by notification in the Official Gazette.

Provided however, that the powers of nefusal mentioned in sub-regulation (i)(c) above may be exercised by the committee designated by the Board in this behalf.

- (ii) The Board shall, after the instrument of transfer of shares of the Bank is lodged with it for the purpose of registration of such transfer form it opinion as to whether such registration ought or ought not to be refused on any of the grounds referred to in sub-regulation(i)-
 - (a) If it has formed the opinion that such registration ought not to be so refused, effect registration; and
 - (b) If it has formed the opinion that such registration ought to be refused on any of the grounds. mentioned in sub-regulation (i) intimate the Transferor and the Transferee by notice in writing within 60 days from the receipt of the Transfor Form.
- 20. Transmission of share in the event of death, insolvency, etc.
 - (i) The executors or administrators of a deceased shareholder in respect of a share, or the holder of letter of probate or letters of administration with or with out the will annexed or a succession certificate issued under Part X of the Indian Succession Act, 1925, or the holder of any legal representation or a person in whose favour a valid instrument of transfer was executed by the deceased sole holder during the latters' lifetime shall be the only person who may be recognised by the Bank as having any title to such share
 - (ii) In the case of shares registered in the name of two or more shareholders, the survive or survivors and on the death of the last survivor, his executors or administrators or any person who is the holder of probate or letters of administration with or without will annexed of a succession certificate or any other legal representation in respect of suchsurvivor's interest in the share or a person in whose favour a valid instrument of transfer of share was executed by such person and such last survivor during the latter's lifetime, shall be the only person who may be recognised by the Bank as having an title to such share.

(iii) The Bank shall not be bound to recognize such executors or administrators unless they shall have obtained probate or letters of administration or succession certificate, as the case may be, from a court of competent jurisdiction.

Provided, however, that in a case where the Board in its discretion thinks fit, it shall be lawful for the Board to dispense with the production of probate or letters of administration or succession certificate or such other legal representation, upon such terms as to indemnity or other wise as it may think fit.

(iv) Any such person becoming entitled to a share in consequence of death of a shareholder and any person becoming entitled to a share in consequence of the insolvency, bankruptcy or liquidation of a shareholder shall upon production of such evidence, as the Board may require, have the right-

- (a) to be registered as a shareholder in respect of such share.
- (b) to make such transfer of such share as the person from whom he derives title could have made.

21. Shareholder ceasing to be qualified for registration-

It shall be the duty of any person registered as a shareholder, whether solely or jointly with another or others forthwith upon ceasing to be qualified to be so registered in respect of any share to give intimation thereof to the Board of Directors in this regard.

22. Calls on shares-

The Board may, from time to time, make such calls as it thinks fit upon the shareholders in respect of all moneys remaining unpaid on the shares held by them, which are by the contions of allotment not made payable at fixed times, and each shareholder shall pay the amount of every call so made on him to the person and at the time and place appointed by the Board A call may be payable by instalments.

23 Calls to date from resolution—

A call shall be deemed to have been made at the time when the resolution of the Board authorising such call was passed and may be made payable by the shareholders on the register on such date or at the discretion of the Board on such supsequent date as may be fixed by the Board.

24 Notice of call-

A notice of not less than thirty days of every call shall be given specifying the time of payment provided that before the time for payment of such call the Board may by notice in writing to the shareholders revoke the same.

25 Extension of time for payment of call-

The Board may, from time to time and at its discretion, extend the time fixed for the payment of any call to all or any of the shareholder having regard to distance of their residence or some other sufficient cause, but no shareholder shall be entitled to such extension as a matter of right.

The joint holders of a share shall be jointly and severally liable to pay all calls in respect thereof.

27. Amount payable at fixed time or by instalments as calls;

If by the terms of issue of any share or otherwise any amount is payable at any fixed time or by instalments at fixed times, every such amount or instalment shall be payable as if it were a call duly made by the Board and of which due notice had been given and all the provisions herein contained in respect of the calls shall relate to such. amount or instalment accordingly.

28 When interest on call or instalment payable:

If the sum payable in respect of any call or instalment is not paid on or before the day appointed for payment thereof, the holder for the time being or allottee of the share in respect of which a call shall have been made, or the instalment shall be due, shall pay interest on such sum at such rate as the Board may fix from time to time, from the day appointed for the payment thereof to the time of acuatl payment, but the Board may at its discretion waive payment of such interest wholly or in part.

29. Non-payment of calls by shareholder:

No shareholder shall be entitled to receive any dividend or to exercise any right of a shareholder until he shall have paid all calls for the time being due and payable on every share held by him, whether singly or jointly with any person, together with interest and expenses, as may be levied or charged.

30. Notice on non-payment of call or instalment

If any shareholder fails to pay the whole or any part of any call or instalment or any money due in respect of any shares either by way of principal or interest on or before the day appointed for the payment of the same, the Bank may at any time thereafter during such time as the call or instalment or any part thereof or other moneys remain unpaid or a judgement or decree in respect thereof remains unsatisfied in whole or in part, serve a notice on such shareholder or on the person (if any) entitled to the share by transmission, requiring him to pay such call or instalment or such part thereof or other moneys as remain unpaid together with any interest that may have accrued and all expenses (legal or otherwise) that may have been paid or incurred by the Bank by reason of such non-payment.

31. Notice of Forfeiture

The notice of forfeiture shall name a day not being less than fourteen days from the date of the notice and the place or places on and at which such call or instalment or such part or other moneys and such interest and expenses as aforesaid are to be paid. The notice shall also state that in the event of non-payment on or before the time and at the place appointed, the share in respect of which the call was made or instalment is payable will be liable to be forfeited.

32. Shares to be forfeited on default

If the requirements of any such notice as aforesaid are not complied with, any of the shares in respect of which such notice has been given may at any time thereafter for nonpayment of all calls or instalments, interest and expenses or the money due in respect thereof, be forfeited by a resolution of the Board to that effect. Such forfeiture shall include all dividends declared in respect of the forfeited shares and not actually paid before the forfeiture.

33. Entry of forfeiture in the register

When any share has been forfeited under regulation 32, an entry of the forfeiture with the date thereof shall be made in the register.

34. Forfeited shares to be property of the Bank and may be sold

Any share so forfeited shall be deemed to be the property of the Bank and may be sold, reallotted or otherwise disposed of to any person upon such terms and in such manner as the Board may decide.

35. Power to annual forfeiture

The Board may, at any time, before any share so forfeited under Regulation 32 shall have been sold, reallotted or otherwise disposed of, annul the forfeiture thereof up on such conditions as it may think fit.

36. Shareholder liable to pay money owing at the time of forfeiture and interests

Any shareholder whose shares have been forfeited shall, notwithstanding the forfeiture, be liable to pay and shall forthwith pay to the Bank all calls, instalments, interest, expenses and other moneys owing upon or in respect of such shares at the time of forfeiture with interest thereon from the time of forfeiture untill payment at such rate as may be specified by the Board and the Board may enforce the payment of the whole or a portion thereof.

37. Partial payment not to preclude forfeiture

Neither a judgement nor a decree in favour of the Bank for calls or other moneys due in respect of any shares nor any payment or satisfaction thereunder nor the receipt by the Bank of a portion of any money which shall be due from any shareholder from time to time in respect of any shares either by way of principal or interest nor any indulgence granted by the Bank in respect of payment of any money shall preclude the forfeiture of such soares under these Regulations.

38. Forfeiture of share extinguishes all claims against bank

The forfeiture of a share shall involve extinction, at the time of the forfeiture, of all interest in and all claims and demands against the Bank, in respect of the share and all other rights incidental to the share, except only such of those rights as by these presents expressly waived.

39. Original shares null and void on sale, re-issue, reallotment or disposal on being forfeited.

Upon any sale, re-issue, re-allotment or other disposal under the provisions of the preceding Regulations, the originally issued in respect of the relative shares shall (unless the same shall on demand by the Bank have been previously surrendered to it by the defaulting member) stand cancelled and become null & void and of no effect, the Board shall be entitled to issue a new certificate or certificates in respect of the said shares to the person or persons entitled thereto.

40. Application of forfeiture provisions

The provisions of these Regulations as to the forfeiture shall apply in the case of non-payment of any sum which by terms of issue of a share become payable at a fixed time, whether on account of nominal value of the shares or by way of premium as if the same had been payable by virtue of a call duly made.

41. Lien on shares

- (i) The Bank shall have a first and paramount lien :---
- (a) on every share (not being a fully-paid share), for all moneys (whether presently payable or not) called, or payable at a fixed time, in respect of that share;
- (b) on all shares (not being fully-paid shares) standing registered in the name of a single person, for all moneys presently payable by him or his estate to the Bank
- (c) upon all the shares registered in the name of each person (whether solely or jointly with others and upon the proceeds of sale thereof for his debts, liabilities, and engagements, solely or jointly with any other person to or with the Bank, whether the period for the payment, fulfilment, or discharge thereof shall have actually arrived or not and no equitable interest in any share shall be recognised by the Bank over its lien.

Provided that the Board of Directors may at any time declare any share to be wholly or in part exempt from the provision of this clause.

(i) The Bank's lien, if any, on a share extend to all dividends payable thereon. _

42 Enforcing Lien by Sale of Shares :

- (i) The Bank may sell, in such manner as the Board thinks fit, any shares on which the Company has a lien
 - (a) if a sum in respect of which the lien exists is presently payable, and
 - (b) after the expiration of fourteen days after notice in writing stating and demanding payment of such part of the amount in respect of which the lien exists as is presently payable, has been given to the registered holder for the time being of the share or the person entitled thereto by reason of his death or insolvency.

(ii) To give effect to any such sale, the Board may authorise some officer to transfer the shares sold to the purchaser thereof.

43. Application of proceeds of sale of shares :

The net proceeds of any sale of shares under regulation 42 after deduction of costs of such sale, shall be applied in or towards the satisfaction of the debt or liability in respect whereof the lien exists so far as the same is presently payable and the residue if any, be paid to the shareholders or the person, if any, entitled by transmission to the shares so sold.

44. Certificate of forfeiture :

A certificate in writing under the hands of any director, or any other officer of the Bank duly authorised in this behalf, that the call in respect of a share was made and that the forfeiture of the share was made by a resolution of the Board to that effect, shall be conclusive evidence of the fact stated therein as against all persons entitled to such shares.

45. Title of purchaser and allottee of forfeited share :

The Bank may receive the consideration, if any given for the share on any sale, reallotment or other disposition thereof and the person to whom such share is sold, realloted or disposed of may be registered as the holder of the share and shall not be bound to see to the application of the consideration, if any, nor shall his title to the share be affected by any irregularity or invalidity in the proceedings in reference to the forfeiture, sale, reallotment or other disposal of the share and the remedy of any person aggrieved by the sale shall be in damages only and against the Bank exclusively.

46. Service of a notice or document to shareholders :

(i) The Bank may serve a notice or a document on any shareholder either personally, or by ordinary post at his registered address or if he has no registered address in India, at the address, if any, within India supplied by him to the Bank for giving of notice to him.

(ii) Where a document or a notice is sent by post, the service of such document or notice shall be deemed to be effected by properly addressing, prepaying and posting a letter containing the document or notice.

Provided that where a shareholder has intimated to the Bank in advance that documents should be sent to him under a certificate of posting or by registered post with or without acknowledgment due and has deposited with the Bank a sum sufficient to defray the expenses of doing so, service of the document or notice shall not be deemed to be effected unless it is sent in the manner intimated by the shareholder. And such service shall be deemed to have been effected in the case of a notice of a meeting at the expiration of forty eight hours afttheer letter containing the same is posted, and in anyother case, at the time at which the letter would have been delivered in the ordinary course of post.

(iii) A notice or a document advertised in a newspaper widely circulated in India shall be deemed to be duly served on the day on which the advertisement appears on every shareholder of the Bank who has no registered address in India and has not supplied to the Bank an address within India for giving of notice to him.

(iv) A notice or document may be served by the Bank on the joint holder of a share by effecting service on the joint-holder named first in the register in respect of the share and notice so given shall be sufficient notice to all the holders of the said shares

(v) A notice or a document may be served by the Bank on the persons entitled to a share upon death or in consequence of the insolvency of a shareholder by sending it through post in a prepaid letter addressed to them by name, or by the title of representatives of the deceased, or assignees of the insolvent, or by any like description, at the address, if any, in India supplied for the purpose by the persons, claiming to be so entitled, or until such an address has been so supplied, by serving the document in any manner in which it might have been served if the death or insolvency had not occurred.

(vi) The signature to any notice to be given by the Bank may be written or printed.

CHAPTER III

SECURITIES OF THE BANK HELD IN A DEPOSITORY

47. Agreement between a depositor and the Bank;

The Bank may enter into an agreement with one or more depository to avail of its services in respect of securities issued by the Bank.

48. Agreement between a Participant and the depository

(i) Any participant may enter into an agreement with the depository to act as its agent. The depository with whom the agreement will be entered into will be one whose services the Bank has agreed to avail of under Regulation 47.

(ii) Any shareholder of the Bank may through the participant enter into an agreement with the depository in the form specified by such depository for availing its services in respect of secutritics issued by the Bank.

49. Surrender of certificate of security :

(i) Any shareholder or holder of any security of the Bank who has entered into an agreement under Regulation 48 above, shall surrender the certificate of security in respect of which he seeks to avail the service of a depository to the Bank.

A CONTRACTOR OF A CONTRACTOR O

PART ILL-SEC. 4

(ii) The Bank on receipt of the certificate of security - a certificate of security to the beneficial owner or the under sub-regulation (i) above, shall cancel the certificate: of security and substitute in its record the name of the depository as a registered owner in respect of that security; and inform the depository accordingly.

(iii) A depository shall, on receipt of information under sub-regulation (ii) above, enter the name of the -person referred to in sub-regulation (i) above, in its records as the beneficial owner.

50. Registration of transfer of securities with depository :

Every depository shall on receipt of intimation to effect transfer from the Bank register the transfer of securities in the name of the transferee.

51. Option to receive security certificate or to hold the security held with a depository :

(i) Every person subscribing to securities offered by the Bank shall have option either to receive security certificate or hold the security with the depository.

(ii) When a person opts to hold security with the depository the Bank shall intimate such depository details of allotment of securities and on receipt of such information, the depository shall enter in its register, name of the allottee as the beneficial owner of that security.

52. Securities in depository to be in a fungible form :

All securities held by the depository shall be dematerialised and shall be in a fungible form.

53. Rights of beneficial owner :

The beneficial owner shall be entitled to all the rights and benefits and be subjected to all the liabilities in respect of his securities held by the depository.

54. Register of Beneficial Owner :

(1) Every depository shall maintain a register and an index of beneficial owners in such form as may be prescribed under the Depositories Act, 1996 or by SEBI in respect of securities of the Bank held by the Depositorv.

(ii) The depository shall furnish to the Bank at such intervals as may be prescribed by the Bank, an updated copy of the register and index of the beneficial owners maintained by it.

55. Option to opt out in respect of any securities

(i) If the bneficial owner seeks to opt out from the depository in respect of any security, he shall inform the depository accordingly.

(ii) The depository shall on receipt of such intimation sub-regulation (i) above make under appropriate entries in its records and shall inform the Bank.

(iii) The Bank shall within 30 (thirty) days of the receipt of intimation from the depository and on fulfilment of such conditions and on payments of such fees as may be specified in the SEBI Depositories & Participants Ralugetions 1996 and/or the Depositories Act, 1996 issue transferce as the case may be,

CHAPTER IV

MEETINGS OF SHAREHOLDERS

56. Notice convening an Annual General Meeting :

(i) A Notice convening an Annual General Meeting of the shareholders signed by the Chairman and Managing Director or Executive. Director or any authorised official of the Bank shall be published, at least twenty one clear days before the meeting and in not less than two daily newspapers having wide circulation in India.

(ii) Every such notice shall state the time, date and place of such meeting, and also the business that shall be transacted at that meeting.

(iii) The time and date of such meeting shall be as specified by the Board. The meeting shall be held at place of Head Office of the Bank.

57. Extraordinary General Meeting ;

(i) The Chairman & Managing Director or in his absonce the Executive Director of the Bank or in his absonce any one of the Directors of the Bank may convene an Extra Ordinary General Meeting of shareholders if so directed by the Board, orona requisition for such a meeting having been received either from the Central Government or from other shareholders holding shares, carrying, in the aggregate, not less than ten percent of the total voting rights of all to shareholders.

(ii) The requisition referred in sub-regulation (i) shall state the purpose for which the Extra Ordinary General Meeting is requirep to be convened, but may consist of several documents in like form each signed by one or more the requisitionists.

(iii) Where two or more persons hold any shares jointly the requisition or a notice calling a meeting, signed by one or some of them shall, for the purpose of this regulation have the same force and effect as if it had been signed by all of them.

(iv) The time, date and place of the Extra Ordinary General Meeting shall be decided by the Board.

Provided that the Extra Ordinary General Meeting convened on the requisition by the Central Government or other shareholder shall be convened not less than 45 days of the receipt of the requisition.

(v) If the Chairman and Managing Director or in his absence the Excentive Director, as the case may be, does not convene a meeting as required by sub-regulation (i), within the period stipulated in the proviso to sub-regulation (iv) the meeting may be called by the requisitionists themselves within three months from the date of the requisition.

Provided that nothing in this sub-regulation shall be deemed to prevent a meeting duly convened before the expiry of the period of three months aforesaid, from being adjourned to some day after the expiry of that period.

(vi) A meeting called under sub-Regulation (v) by the requisitionist shall be called in the same manner, as nearly as possible as that in which the other seneral meetings are called by the Board.

58. Quorum of general meeting-

(i) No business shall be transacted at any meeting of the shareholders unless a quorum of at least five shareholders entitled to vote at such meeting in person are present at the commencement of such business.

(ii) If within half an hour after the time appointed for the holding of a meeting, a quorum is not present, in the case of a meeting called by a requisition of shareholders other than the Central Government, the meeting shall stand dissolved.

(ill) In any other case if within half an hour after the time appointed for the holding of a meeting, a quorum is not present, the meeting shall stand adjourned to the same day in the next week, at the same time and place or to such other day and such other time and place as the Chairman may determine. If at the adjourned meeting a quorum is not present within half an hour from the time appointed for holding the meeting, the shareholders who are present in person or by proxy or by duly authorised representative at such adjourned meeting shall be quorum and may transact the business for which the meeting was called.

Provided that no Annual General Meeting shall be adjourned to a date later than the date within which such Annual General Meeting shall be held in terms of section 10A (1) of the Act and if adjournment of the meeting to the same day in the following week would have this effect, the Annual General Meeting shall not be adjourned but the business of the meeting shall be commenced within one hour from the time appointed for the meeting if the quorum is present or immediately after the expiry of one hour from that time and those shareholders who are present in person or by proxy or by duly authorised representative at such time shall form the quorum.

59. Chairman at general meeting-

(i) The Chairman and Maragiry Director or in his absence, the Executive Director or in his absence such one of the directors as may be generally or in relation to a particular meeting be authorised by the Chairman and Managing Director or in his absence, the Executive Director in this behalf, shall be the Chairman of the meeting and if the Chairman and Managing Director or the Executive Director or any other director authorised in this behalf is not present, the meeting may elect any other Director present to be the Chairman of the meeting.

(ii) The chairman of the general meeting shall regulate the procedure at general meetings and in particular shall have power to decide the order in which the shareholders may address the meeting to fix a time limit for speeches, to apply the closure, when in his opinion, any matter has been sufficiently discussed and to adjourn the meeting.

60. Persons entitled to attend general meetings -

(i) All directors and all shareholders of the Bank shall, subject to the provisions of sub-regulation (ii), be entitled to attend a general meeting.

 (ii) A shareholder (not being the Central Government) or a Director, attending a general meeting shall for the pur 7-99 GI /99 pose of identification and to determine his voting rights, be required to sign and deliver to the Bank a form to be specified by the Chaiman containing particulars relating to ---

(a) his full name and registered address;

(b) the distinctive numbers of his shares;

(c) whether he is entitled to vote and the number of votes to which he is entitled in person or by proxy or as a duly authorised representative,

61. Voting at general meetings

(i) At any general meeting, a resolution put to the vote of the meeting shall, unless a poll is demanded he decided on a show of hands.

(ii) Save as otherwise provided in the Act every matter submitted to a general meeting shall be decided by a majority of votes.

(iii) Unless a poll is demanded under sub-regulation (i), a declaration by the Chairman of the meeting that a resolution on show of hands has or has not been carried either unanimously or by a particular majority and an entry to that effect in the books containing the minutes of the proceedings, shall be conclusive evidence of the fact, without proof of the number or proportion of the votes cast in favour of, or against, such resolution.

(iv) Before or on the declaration of the result of the voting on any resolution on a show of hands, a poll may be ordered to be taken by the Chairman of the meeting of his own motion, and shall be ordered to be taken by him on a demand made in that behalf by any shoreholder or shareholders present in person or by proxy and holding shares in the Bank which confer a power to vote on the resolution not being less than one fifth of the total voting power in respect of the resolution.

(v) The demand for a poll may be withdrawn at any time by the person or persons who made the demand.

(vi) A poll demanded on a question of adjournment or election of Chairman of the meeting shall be taken forthwith.

(vi) A poll demanded on a question of adjournment or at such time not being later than forty eight hours from the time when the demand was made, as the Chairman of the meeting may direct.

(viii) The decision of the chairman of the meeting as to the qualification of any person to vote, and also in the case of poll, as to the number of votes any person is competent to exercise shall be final.

62. Minutes of general meetings----

(i) The Bank shall cause the minutes of all proceedings to be maintained in the books kept for the purpose.

(ii) Any such minutes, if purporting to be signed by the Chairman of the meeting at which the proceedings were held, or by the Chairman of the next succeeding meeting, shall be evidence of the proceedings.

(iii) Until the contrary is proved, every general meeting in respect of the proceedings hereof minutes have bee so made shall be deemed to have been duly called and held, and all proceedings held thereat to have been duly held.

CHAPTER V

ELECTION OF DIRECTORS

63. Directors to be elected at general meeting

(i) A director under clause (i) of sub-section (3) or Section 9 of the Act shall be erected by the sharchelders on the register, other than the Central Government, from amongst themselves in the General Meeting of the Bank.

(ii) Where an election of a Director is to be held at any general meeting, the notice thereof shall be included in the notice convening the meeting. Every such notice shall specify the number of directors to be elected and the particulars of vacancies in respect of which the election is to be held.

64. List of shareholders

(i) For the purpose of election of a director under subregulation (1) of Regulation 55 of these Regulations, a list shall be prepared of shareholders on the register by whom the director is to be elected.

(ii) The list shall contain the names of the shareholders, their registered addresses, the number and denoting distinctive numbers of shares held by them with the dates on which the shares were registered and the number of votes to which they will be entitled on the date fixed for the meeting at which the election will take place and copies of the list shall be available for purchase at least three weeks before the date fixed for the meeting at a price to be fixed by the Board or the Management Committee, on application at the Head Office.

65. Nomination of candidates for election

(i) No nomination of a candidate for election as a director shall be valid unless,

- (a) he is a shareholder holding 100 shares in the Bank.
- (b) he is on the last date for receipt of nomination, not disqualified to be a director under the Act or under the Scheme,
- (c) he has paid all calls in respect of the shares of the Bank held by him, whether alone or jointly with others, on or before the last date fixed for the payment of the call;
- (d) the nomination is in writing, signed by at least one hundred shareholders entitled to elect directors under the Act or by their duly constituted attorney, provided that a nomination by a shareholder who is a Company may be made by a resolution of the directors of the said Company and where it is so made, a copy of the resolution certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall be despatched to the Head Office of the Bank and such copy shall be deemed to be a nomination on behalf of such company;
- (e) the nomination accompanies or contains a declaration signed by the candidate before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-registrar of Assurances or other Gazetted officer or an officer of the Reserve Bank of India or any nationalised bank, that he accepts the nomination and is willing to stand for election, and that he is not disqualified either under the Act or the Scheme or these Regulations from being a director.

(ii) No nomination shall be valid unless it is received with all the connected documents complete in all respects and received, at the Head Office of the Bank on a working day not less than fourteen days before the date fixed for the meeting.

66. Scrutiny of nominations

(i) Nominations shall be scrutinised on the first working day following the date fixed for the receipt of nominations, and in case any nomination is not found to be valid, the same shall be rejected after recording the reason therefor. If there is only one valid nomination for any particular vacancy to be filled by election, the candidate so nominated shall be deemed to be elected forthwith and his name and address shall be published as so elected. In such an event there shall not be any election at the meeting convened for the purpose and if the meeting had been called solely for the purpose of the aforesaid election, it shall stand cancelled.

(ii) In the event of an election being held, if valid nominations are more than the number of directors to be elected, the candidate polling the majority of votes shall be deemed to have been elected.

(iii) A director elected to fill an existing vacancy shall be deemed to have assumed office from the date following that on which he is, or is deemed to be elected,

67. Election disputes

(i) If any doubt or dispute shall arise as to the qualification or disqualification of a person deemed, or declared to be elected, or as to the validity of the election of a director, any person interested, being a candidate or shareholder entitled to vote at such election, may, within seven days of the date of the declaration of the result of such election, give intimation in writing thereof to the Chairman and Managing Director of the Bank and shall in the said intimation give full particulars of the grounds upon which he doubts or disputes the validity of the election

(ii) On receipt of an intimation under sub-regulation (i), the Chairman and Managing Director or in his absence, the Executive Director of the Bank shall forthwith refer such doubt or dispute for the decision of a committee consisting of the Chairman and Managingg Director or in his absence, the Executive Director and any two of the directors nominated under clauses (b) and (c) of sub-section (3) of section 9 of the Act.

(iii) The committee referred to in sub-regulation (ii) shall make such enquiry as it deems necessary and if it finds that the election was a valid election, it shall confirm the declared result of the election or, if it finds that the election was not a valid election, it shall, within 30 days of the commencement of the enquiry, make such order and give such directions including the holding of a fresh election as shall in the circumstances appear just to the committee.

(iv) An order and direction of such committee in pursuance of this regulation shall be conclusive.

CHAPTER VI

VOTING RIGHTS OF SHAREHOI DERS

68. Determination of voting rights-

(i) Subject to the provisions contained in section 3(2E) of the Act, each shareholder who has been registered as a shareholder on the date of closure of the register prior to the date of a general meeting shall, at such meeting, have one vote on show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him.

(ii) Subject to the provisions contained in Section 3(2E) of the Act, every shareholder entitled to vote as aforesaid who, not being a company, is present in person or by proxy or who being a company is present by a duly authorised representative, or by proxy shall have one vote on a show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him as stated hereinabove in sub-regulation (i)

Explanation-For this Chapter, "Company" means any body corporate.

(iii) Sharcholders of the Bank enfitted to attend and vote at a general meeting shall be entitled to appoint another person (whether a shareholder or not) as his proxy to attend and vote instead of himself, but a proxy so appointed shall not have any right to speak at the meeting.

69. Voting by duly authorised representative ---

(i) A shareholder, being the Central Government or a Company, may by a resolution, as the case may be authorise any of its officials or any other person to act as its representative at any general meeting of the shareholders and the person so authorised (referred to as a "duly authorised representative" in these Regulations) shall be entitled to exercise the same powers on behalf of the Central Government or company which he represents, as if he were an individual shareholder of the Bank. The authorisation to given may be in favour of two persons in the alternative ind in such a case any one of such persons may act as the duly authorised representative of the Central Government/company.

(ii) No person shall attend or vote at any meeting of the shareholders of the Bank as the duly authorised representative of a company unless a copy of the resolution appointing him as a duly authorised representative cartified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall have been deposited at the Head Office of the Bank not less than four days before the date fixel for the meeting.

70. Proxies-

(i) No instrument of proxy shall be valid unless, in the case of an individual shareholder, it is signed by him or by his attorney duly authorised in writing, or in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his attorney duly authorised in writing or in the case of the body corporate signed by its officer or an attorney duly authorised in writing.

Provided that an instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his name, if his mark is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar of Sub-Registrar of Assurances or other Government gazetted officer of an Officer of the Bank.

No proxy shall be valid unless it is duly stamped and a copy thereof deposited at the Head Office of the Bank not less than four days before the date fixed for the meeting. together with the Power of Attorney or other authority (if any) under which it is signed or a copy of that Power of Attorney or other authority certified as a true copy by a Notary Public or a Magistrate unless such a power of attorney or the other authority is previously deposited and registered with the bank.

(iii) No instrument of proxy shall be valid unless it is in I orm "B".

(iv) An instrument of proxy deposited with the bank shall be irrevocable and final.

(v) In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.

(vi) The grantor of an instrument of proxy under this regulation shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.

(vii) No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of the Bank.

> For BANK OF INDIA Sil/- ILLEGIBLE General Manager (Law)

BANK OF INDIA Form 'A'

SHARE TRANSFER FORM (See sub-regulation (i) of regulation 17)

FOR THE CONSIDERATION stated below the "Transferor(s)" named do hereby transfer the "Transferee(s)" named the shares specified below subject to the conditions on which the said shares are now held by the Transferor(s) and the Transferee(s) do hereby agree to accept and hold the said shares subject to the condition aforesaid.

| Full Name of | f Company | | Name of the recognised : Stock Exchange, where dealt in if any : |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Description of Equity share | | | |
| No. in figures | Number in words | Consideration (in figures) | n Consideration (in words) |
| Distinctive numbers | From To | | |
| Corresponding Certificate Nos. Transferor(s) [Seller(s)] Particulars Name in full | | Regd. Folio No. 1 2 3 4 | 2 |
| ATTESTATION I hereby attest the signatur of the Transferor(s) herein mentioned Signature Name Adrress/Seal | | | Signature of Witness Name and address of witness PIN |
| Transferce(s) Name(s) in full | | [Buyer(s)] Particulars 1 2 | 2 |
| Occupation | A | ddress | Father's/Husband's Name |
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |

| ansferee(s) existing blio if any, in same | Value of |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| der of names | - S'amps affixed Rs |
| ted this day of | One Thousand Nine Hundred |
| Place | |
| or office use only | |
| hecked by | Folio ompany Code |
| gnatures tallied by | Specimen 1, |
| | Signature(s) 2. |
| ntered in Register of ransfer No | of Transfe- 3 |
| pproval Dale | 100(0) |
| struction for attestation ; | |
| | and the second second second second states and the second second structure second structure second structure s |
| ublic or Special Executive Magistra | notasions, mitta, a gautuse becomes etc.) should be done by a Magistrate, Notary te or a similar authority holding a Public Office and authorised to use the seal of his office or a through whom the shares are introduced or a manager of the Transferor's Bank. |
| | a beforably in a steaghtline. Chronological order should be maintained. Broker' n delivery is given by a clearing Member Bank. POWER OF ATTORNEY/PROBATE/DEATH CERTIFICATE |
| Member | LETTERS OF ADMINISTRATION |
| | Registered with the Company |
| | No Date |
| | (Signature (not initials) of broker, Bank, Company or Stock Exchange Clearing House) |
| | LODGED BY : |
| | FULL ADDRESS : |
| | |
| , | |
| | SHARE CERTIFICATE TO BE RETURNED TO : |
| | (Fill in the name and address to which the certificates are |
| | required to be returned) Name & Address : |
| | |
| | Share Transfer Stamps |
| | BANK OF INDIA |
| | FORM 'B' |
| | FORM OF PROXY |
| | (See sub-regulation (iii) of Regulation 70) |
| | Folio No. |
| | (r) position by the shareholder) |
| 1/We, resident of | in the district of |
| in the State of | lent of in the District of |
| in th | is State of or failing him, Shri |
| resident of | in the State of or failing him, Shri |
| TOUR OF OF | on my/our behalf at the meeting of the shareholders of Bank of India to be held on the |
| as my/our proxy to vote for me/us and | , and at any adjournment thereof. |
| as my/our proxy to vote for me/us and day of 19 | |
| as my/our proxy to vote for me/us and day of 19 Signed this day of | , and at any adjournment thereof. |
| as my/our proxy to vote for me/us and day of 19 Signed this day of Name : | , and at any adjournment thereof. |

VIJAYA BANK

HEAD OFFICE, 41/2, M. G. ROAD,

Bangalore-1, the 4th May 1999

No. PER /EST/2282/99.—In exercise of the powers conferred by Section 19 read with sub-section (2) of Section 12 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1980 (40 of 1980) the Board of Directors of Vijaya Bank in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following Regulations namely :—

1. SHORT TITLE AND COMMENCEMENT

THE INSTITUTE OF COST & WORKS ACCOUNTANTS OF INDIA

12. SUDDER STREET

Calcutta-700 016, the 1st June 1999

In exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 39, read with sub-section (3) of that Section of the Cost and Works Accountants Act, 1959 (23 of 1959), the Council with the approval from the Central Government,

makes the following amendment to the Cost and

Accountants Regulations, 1959, namely :

1. These Regulations may be called Vijaya Bank (Officers') Service (Amendment) Regulations, 1998

2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

11. In the Vijaya Bank (Officers') Service Regulations, 1982 for Regulation 38, the following regulation shall be substituted, namely :---

"38-Save as provided below, all leave to the credit of an officer shall lapse on resignation, retirement, death, discharge, dismissal or termination for any reason whatsoever;

Provided that where an officer retires from the bank's service in terms of Reg. 19 of these Regulations OR seeks voluntary retirement on or after 1st Nov. 1993 in terms of Vijya Bank (Employees) Pension Regulations, 1995 he shall be eligible to be paid a sum equivalent to the employments of any period not exceeding 240 days of privilege leave that he had accumulated;

Provided further that where an officer dies while in service, there shall be payable to his legal representative and which would have been payable for the period not exceeding 240 days of privilego leave to his credit as on the late of his leave have been payable for the period not exceeding 240 days of privilego leave to his credit as on the late of his leave have been payable for the period not exceeding 240 days of privilego leave to his credit as on the late of his leave have been payable for the period not exceeding 240 days of privilego leave to his credit as on the late of his leave have been payable for the period not exceeding 240 days of privilego leave to his credit as on the late of his leave have been payable for the period not exceeding 240 days of privilego leave to his credit as on the late of his leave have been payable for the period not exceeding 240 days of privilego leave to his credit as on the late of his leave have been payable for the period not exceeding 240 days of privilego leave to his credit as on the late of his leave have been payable for the period not exceeding 240 days of privilego leave to his credit as on the late of his leave have been payable for the period not exceeding 240 days of privilego leave to his credit as on the late of his leave have been payable for the period not exceeding 240 days of privilego leave to his credit as on the late of his leave have been period not exceeding 240 days of period leave have been period not exceeding 240 days of period leave have been period not exceeding 240 days of period leave have been period not exceeding 240 days of period leave have been period leave have been period leave have been period not exceeding 240 days of period leave have been period leave have

Sd/- ILLEGIBLE GENERAL MAN BR (PER.)

In the Cost and Works Accountants Regulations, 1959, Regulation 21 shall be read as follows :

21. Registration Fee-Every person applying for registration shall pay the student registration fee of Rs. 300/--.

[The above Regulation shall come into force on and from 1st June, 1999].

UDAYAN RAY Secretary

يم العرجية والعالم

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION (CENTRAL OFFICE)

BHAVISHYA NIDHI BHAWAN, 14, BHIKAJI CAMA PLACE, New Delhi-110066, the 10th May 1999

WERE AND LODGE AND ADDRESS

No. CPFC-1(4)/DL(1699)/99/720—Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments namely:—

Works

and the second secon

| SI. No. | Code No. | Name & address of the establishment | Date of Coverage |
|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | DL/16804 | M/s. Indo Mobil Ltd., Suite No.405, 408, 4th Floor, Paharpur Business Centre, 21-22, Nehru Place, New Delh-110019. | 01-01-1995 |
| 2. | DL/17726 | M/s. Li & Fung India Pvt. Ltd., 8, Balaji Estato, Guru Ravidas Marg, Kalkaji, New Dolhi-110019. | 01-04-1996 |
| 3. | DL/18963 | M/s. Shiva Builders, 23/3, Industrial Arca, Anand Parbat, New Delhi-110005. | 01-01- 199 7 |
| 4, | DL/18988 | M/s Sacred Constructions Pvt. Ltd., AC-1 141-B, Shallmar Bagh, Delhi-110052. | 01-01-1997 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 5, | DL/19015 | M/s. Vidyamandir Classes Pvt. Ltd., 12/37, Lower Ground, Punjabi Bagh (W), New Delhi-110026. | 01-07-1997 |
| 6. | DL/19032 | M/s. Kadimi International Pvt. Ltd., Kashi House, 7-A, Connaught Place, New Delhi-110001, | 01-06-1997 |
| 7. | DL/19051 | M/s. Northern Institute for Integrated Learning in Management, B-11/66, Sher Shah Suri Marg, Mathura Road, Badarpur, New Delhi-110044. | 01-04-1997 |
| 8. | DL/19056 | M/s. Prabha Constructions, 81, Priya Enclave, Delhi-110092. | 01-04-199 |
| 9. | DL/19065 | M/s. Elbee Engineering Services, 1/5289-A, Gali No. 10, Balbir Nagar, Shahdara, Delhi-110032. | 01-01-199 |
| 10, | DL/19066 | M/s. Supertech Constructions Pvt. Ltd., 525/2, Wazirabad Road, Meet Nagar, (Near Rly. Crossing), Delhi-110094. | 01 =01 =1 , 99 |
| 11, | DL/19067 | M/s. Power Point, A-60/10, Shop No. 44, Sarpanch Market, New Ashok Nagar, Delhi-110096. | 01-04-1993 |
| 12, | DL/19070 | M/s. Nimbe Security Services Pvt. Ltd., C-1/77, Krjshan Vihar, Dethj-110041. | 01-05-199 |
| 13. | DL/19090 | M/s. S.K. Security Services, C-54, M.B. Road, Khanpur, New Delhi-110062. | 01-04-199 |
| 14. | DL/19098 | M/s. The Sugar Technologist Association of India, 21, Community Centre, East of Kailsah, New Delhi-110065. | 01-07-199 |
| 15. | DL/19099 | M/s. Personnel Aid, A-11/3, Vasant Vihar, New Delhi-110057. | 01-08-1990 |
| 16. | DL/19106 | M/s. Innovative Textiles Pvt. Ltd., 807, Rohit House, 3, Tolstoy Marg, New Delhi-110001. | 01-07-199 |
| 17. | DL/19119 | M/s. Menarini Raunag Pharma Ltd., Allahabad Bank Building, 17, Parliament Street, New Delhi-110001. | 01-03-199 |
| 18, | DL/19124 | M/s. Japan Travel Services, N-42, Connaught Circus, Connaught Piace, New Delhi-110001. | 01-07-1990 |
| 19. | DL/19148 | M/s. Bagai Construction Pvt. Ltd., 16-A, Room No. 105, Udai Park, Masjid Moth, New Delhi-110049. | 05-04-199 |
| 20. | DL/19188 | M/s. Pioneer Corporation, 3344, Pusa Gate, South Patel Nagar, New Delhi-110008. | 01-11-199 |
| 21. | DL/19191 | M/s. Indian School of Finance and Managment Pvt. Ltd., Hamdard Convention Centre, Hamdard Nagar, (Near G.K. 11), New Delhi-110062. | 24-06-199 |
| 22. | DL/192 06 | M/s. Butter Worths India, C-71-A, Malviya Nagar, New Delhi-110017. | 01-06-199 |
| 23. | DL/19207 | M/s. Ganga Ram & Sons B-2nd/282 Sector-3, Dr. Ambedkar Nagar, New Deihi-110062. | 01-01-199 |
| 24. | DL/19208 | M/s. S&S Ecotech Engineers Pvt. Ltd., 304, Dohil Chambers, 46, Nehru Place, New Delhi-110019. | 01-09-199 |

| ا سەجەمە | 2 | 3 | 4 |
|-------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 25. | DL/19215 | M/s. Multiply, 54, Arjun Nagar, Kotla Mubarikpur, New Delhi-110003. | 01-10-1997 |
| 26. | DL/19218 | M/s. Northern Telecom Ltd., A-8, Qutab, Institutional Area, U.S.O. Road, New Delhi-110067. | 0[-03-1996 |
| 27. | DL/19261 | M/s. Suvidha Sign Studios Pvt. Ltd., 92/3, Block-2, Kirti Nagar, New Delhi-110015. | 01-04-1997 |
| 28. | DL/19264 | M/s. Humataj International, 485/6, Zeenat Bari, Hamilton Road, Kashmiri Oate. Delhi-110006. | 01-08-1997 |
| .9 . | D1./19265 | M/s Aadhunic Technology Pvt Ltd; 102-B, M. C. Bhawan, 11/56, D.B. Gupta Road, Karol Bagb, New Delhi-110005. | 1-10-1997 |
| 30. | DL/1926 7 | M/s WKH India Pvt Ltđ; D-55, East of Kallash, New Delhi-110065 | 1-6-1997 |
| 1. | DL/19282 | M/s Winrock International, 7. Poorvi Marg, Vasant Vihar, New Delhi-110037 | 1-4-1997 |
| 12. | DL/19322 | M/s Ghanshyam Lal Goama, 270, Janta Flat, Nand Nagri, Delhi-110093 | 22-5-1995 |
| 3. | DL/19328 | M/s Khubsoorat Beauty Parlours, C-26, Greater Kailash, Part-I, New Delhi-110065 | 1-10-1997 |
| 4. | DL/1933 ² | M/s Anapurna Cargo Movers Pvt Ltd; G-151, Kalkaji, New Delhi-110019 | 1-4-1997 |
| 5. | DL/19365 | M/s UP Airways Ltd; A-2, Defence Colony, New Delhi-110024 - | 1-10-1997 |
| 6. | DL/19366 | M/s Bhardwaj Automobiles (Regd). 83/2, Adhchini, Sri Aurobindo Marg. New Delhl-110017 | 13-10-1997 |
| 7. | DL/19368 | M/s Chennal Power Generation Ltd; J-66, Ist Floor, South Extension Part-I, New Delhi-110049 | l-3-1997 |
| 8. | DL/19393 | M/s ED Galgotia & Sons, 17-B, Connaught Place, New Delhi-110001 | 1 -6-199 7 |
| 9. | DL/19400 | M/s Sri Sringeri Sharada Institute of Management, Shankara Vidya Kendra, Paschimi Marg, Vasant Vihar, New Delhi-110057 | (-1-1997 |
| 0 | DL/19411 | M/s A P J R Consultancy Services Pvt. Ltd; C-4/5, Safdarjang Development Area, New Delhi-110016 | 1-10-1996 |
| 1. | DL/19413 | M/s Kedia Power Ltd; J-66, 2nd Floor, South Extension Part-I, New Delhi-110049 | 1-3-1997 |
| 12. | DL/19459 | M/s Secur World, F-3/631, Beer Bazar, Devli High School Road, Sangam Vihar, New Delhi-110062 | 1-4-1996 |
| 3. | DL/19463 | M/s Super Housekeeping & Security Services, 122-A/21, Gautam Nagar, New Delhi-110049 | 1-10-1996 |

| 44 - | DL/19464 | - M/s Ram Niwas, Building Contractor 6/318, Dakshin Puri Extension, New Delhi-110062 | 1-5-1995 |
|------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 43. | DL/19504 | M/s Investigation & Security Systems, 221, Defence Colony Flyover, Jungpura Side, New Delhi-110024 | 1-1-1996 |
| 46. | DL/19513 | M/s Kúshwah Security Services. A-118, Panchsheel Vihar, Behind Malviya Nagar PS, New Delhi-110017 | 1-2-1997 |
| 47. | DL/19517 | M/s Emkay Trading Co; A-46, Bapu Park, Kotla Mubarakpur, New Delhi-110003 | 1-8-1997 |
| 48. | DL/19782 | M/s Mayar Securities Pvt Ltd; Mayar House, 2/16, Ansari Road, Darya Ganj, New Delhi-110002 | 1-4-1997 |
| 49. | DL/19813 | M/s Delhi Wakf Board, 5028, Darya Ganj, New Delhi-110002 | 1-11-1997 |
| 50. | DL/19886 | M/s K G Technical Services, 120, L I G Flats Complex, Suraj Kund Road, Pul Prahladpur, Badarpur, New Delhi-110044 | 1-1 0-19 97 |
| 51. | DL/19895 | M/s Synergy Softwars Ltd; C-99, IInd Floor, Lajpat Nagar-II, New Delhi-110024 | 1-4-1997 |
| 52. | DL/19901 | M/s Magic Gifts & Stationery Pvt Ltd; 9/54, Kirti Nagar, Industrial Area, New Delhi-110015 | 1-7-1997 |
| 53. | DL/19921 | M/s Snowy Mountains Engineering Corporation Ltd; 205, Golf Links, New Delhi-110003 | 1-12-1997 |
| 54. | DL/19926 | M/s BS Electrical & Refrigeration, R-302/19, Swantantar Nagar, Narcla, Delhi-110040 | 1-7 -1997 |
| 55. | DL/19950 | M/s Art India, 121-A, Shanker Nagar, Delhi-110051 | 1-11-1997 |
| 56. | DL/19972 | M/s AT Kearney Ltd; Taj Mahal Hotel, Suite No. 1001, 1, Man Singh Road, New Delhi-110011 | 1-6 -199 7 |
| 57. | DL/20006 | M/s State Bank of India Employees Association Co-operative Thrift & Credit Society Ltd; Gali No 19, Ranjit Nagar, New Delhi-110008 | 1-4-1997 |
| 58. | DL/20024 | M/s V K Cargo Agency, UG-22, Som Dutt Chambers-II, 9, Bhikaji Cama Place, New Delhi-110066 | 1-12-1997 |
| 59. | DL/20027 | M/s Pharmachem Exports, 524, Ansal Chambers-II, 6, Bhikaji Cama Place, New Delhi-110066 | 1-12-1997 |
| 50. | DL/20068 | M/s Polhora Construction Co; A-62, Aya Nagar, Ext Phase-V New Dclhi-110047 | 1-5-1995 |

| 1 | - | 2 3 | 4 | 5 |
|-----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| 61. | DL/20084 | M/s Vishnu Exim Overseas Pvt Ltd S-533, Greater Kailash-II, New Delhi-110048 | | 1-1-1998 |
| 62. | DL/20089 | M/s The Broken Hill Proprietary Co Lto 4th Floor, World Trade Tower, Barakhamba Lane, Connaught Circus, New Delhi-110001 | d; | 1-12 -1997 |
| 63. | DL/20102 | M/s GEC Alsthom Power Generation. 2, Palam Marg, Vasant Vihar, New Delhi-110057 | India Ltd; | <u>1</u> -11-1997 |
| 64. | DL/20125 | M/s Lahmeyer International (India) Pvt 305, Dohil Chambers, 46, Nehru Place, New Delhi-110019 | Ltd; | 1- 1-1998 |
| 65. | DL/20140 | M/s Rai Industrial Power Pvt Ltd; 302-303, Competent House, F-14, Middle Circle, Connaught Place, New Delhi-H0001 | | 1-9-1997 |
| 66. | DL/2014 6 | M/s Compact Systems Pvt Ltd; C-61/2, Arjun Nagar, Safdarjung Enclave Ext; New Delhi-110029 | | 1 -2-1998 |

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

9734 1987 I

New Delhi, the 14th May 1999

No. V-33(13)-4/91-Estt.IV—In pursuance of Section -25 of the ESI Act, 1948 (34 of 1948) read with Regulation 10 of the ESI (General) Regulation, 1950 the Chairman, ESI Corporation hereby constitutes the Regional Board for Delhi State which shall consist of the following members, namely :--

| 1. Minister for Labour, Govt. of Delhi. | Chairman |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Labour Commissioner, Govt. of Delhi. | Vice-Chairman |
| 3. Jt. Labour Commissioner, Govt. of Delhi. | Member |
| Director (Medical) Delhi, ESI Scheme, Delhi. | Member |
| Regional Dy. Medical Commissioner, ESI Corporation, North Zone, Delhi. | Member |
| 6. Shri Seva Singh Atora General Secretary, Manufacturers' Association O. T. Karnal Road, Delhi. 8–99 jGI/99 | Employers' Representative |

K. C. PANDEY Regional Provident Fund Commissioner (Hq)

| Shri Heera Lal Sharma, President, INTUC (Delhi), RZ-29, Rashan Garden, Nazafgarh, New Delhi-110043. | Employees Representative |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Shri Rajendra Singh Chauhan BMS (Delhi State), 194, Vivekanand Puri, Azad Marg, Delhi 7. | Employees' Addi. Representative |
| Shri Yogesh Kumar Sharma, 668, Kabul Nagar, Shahdara, Delhi-32. | Do. |
| Shri Vincet Virmani, Managing Director, S. P. Virmani & Sons, P. Ltd., New Delhi. | Ex-Officio- Mombor |
| Shri S. C. Gani, Chief Manager (P&A), Hindustan Prefeb Ltd., Jangpura, New Delhi. | EX-officio-Member |
| Shri R. K. Somany, Chairman & Mg. Director, Hindustan Sanitary Ware & Industrics Ltd., 601-603, Padma Tower-II 22, Rajendra Place, New Delhi-8, | 본v-officio -Member |

PART III-SEC. 4]

ייים אינטעריין אינטעריין איינטעריין איינעריינעריין איינעריין איינעריין איינעריין איינעריין איינעריין איינעריין

| | ······································ | | * |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|
| 17. | Regional Director, E.S.I., Corporation, Delhi. | Momber/Secretary | 12. |
| | Tilak Gali Pahargan) Delhi. | | |
| 16. | Shri Ram Prakash Mishra, Ram Naresh Bhavan, | Ex-officio- Member | |
| 16 | National Textile Corpn. Ltd. Scope Complex Core-IV 7-Lodhi Road, New Delhi-3. | T) _00-'_ | 11. |
| | Chief General Manager(Pers.), | Member | |
| 15. | New Delhi-19. Shri P. K A. Narayanan, | Ex-officio- | |
| | Alaknanda (SFS) Kalkaji | | |
| | 66-B, Pocket 'C' Gangotri Enclave, | Member | |
| 14. | New Delhi. Shri M. K. Garg, | Ex-officio- | 10. |
| | Secretary General, The Employers Association, 13/16, W. E. A. Karol Bagh, | | |
| 13, | Shrì Michael Dias, | Ec-officio-Momb 8 | 9. |
| | | | |

D. C. GUPTA Director General

No. V-33(13)-5/95-Estt.IV-In pursuance of Section-25 of the ESI Act 1948 (34 of 1948) read with Regulation 10 of the ESI (General) Regulation, 1950 the Chairman, ESI Corporation hereby constitutes the Regional Board Gujarat State which shall consist of the following members namely :

| l, Hon. Minister (Labour & Employment) | Chairman |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Secretary, Labour & Employment Deptt., Govt. of Gujarat, Sachivalaya, Gandhinagar. | Meember |
| The Principal Secretary, Health & Family Welfare Deptt., Govt. of Gujarat Sachivalaya,, Gandhinagar. | Member |
| Labour Commissioner, Gujarat State, Ahmedabad. | Member |
| Dy. Medical Commissioner, E.S.I.C, Ahmedabad. | Member |
| Shri Manilal G. Parmar, Secretary, National Labour Organisation Gandhi Majur Sevalaya, Bhadra, Ahmedabad-380020. | Member |
| Smt. Geetaben Thakur, Vice-President of B.M.S., 27, Raj Ratna Soc., Near Pavapuri Bus Stop, Janta Nagar Road, Ghatlodia, Kannavati-380061. | Member |
| Shri Deepakbhai Pandya Bhartiya Majdoor Sangh., Ahmedabad. | Member |

| 9. | Shri Magaanferbing A. 5140, Gujarat Chamber of Commerce and Industry, P. B. No. 4045, Ashram Road, Ahmedabad-380009. | <i>ላ</i> : |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 10. | Shri Jayantilal H. Parich, General Secretary, All Gujarat Industrial & Commercial Establishments, Owner's Association, New Sarda Mandir, Ahmedabad-7. | M 2 n 2 2: |
| 11. | Shri Deepak Kumar R. Dave, Secretary, Gujarat, Industrial Employers Association, 10/B, Sureshwari Society, Naranpura Village, Behind Bus Stop, Ahmedabad-380013. | אנים ב'א |
| 12. | Regional Director, E.S.I.C., Ahmedabad. | Momber- Secretary |

D. C. GUPTA, Director General

"The Institute of of Chartered Accountants of India

(Chartered Accountant)

No. 3SCA (5)/ 5/97-98.-With reference to this Institute's Notification No. 3 SCA (4) /3/97-98 dated 31-03-1998, it is hereby notified in pursuance of Regulation 20 of the Chartored Accountants Regulations, 1988 that in exercise of the powers conferred by Regulation 19 of the said Regulations, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has restored to the Register off Members with effect from 8th December 1997, the names of the following persons :

| SI. No. | M. No. | Member Name & Address |
|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| i | 2 | 3 |
| ι. | 066253 | Mr. Rao M.V., ACA 190 Rashmi Villa, C.J. Venkatesh- das Road, BSK II Stage, Padmanabha Nagar Bangalore-560070 |
| 2. | 011929 | Mr. Vijayaraghavan P., FCA 22, Bakthavatchalam Street, Near Dou Boss School, Pondicherry-605008 |
| 3. | 013219 | Mr. Subramanian N., FCA No. 5 New Tank Street, Nungambakkam, Chennai-600034 |
| 4. | 018004 | Mr. Satish Kumar S, ACA 56, 3 rd Main Road Annamalaipuram, Chennai-600028 |
| 5. | 018218 | Mr. Daniel P.T., FCA General Manager/Chief Executive, Nico Corporate Finance Ltd., P.O. Box 1396 Blantyre, Malawi |

| | 2 | 3 | | | |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6, | 018880 | 0 Mr. Rama Murthy S.L., FCA 10, IArd Floor, Kurubarasangha, | 1 | 2 | 3 |
| | | Silver Jublee Building, Gandhi Nagar, Bangalore-560009. | | 024758 | Mr. Venkateswaran V., ACA 1/45 Nehru Nagar, Mađurai-625018 |
| 7. | 018905 | Mr. Krishna A.G., FCA Flat No. 8, 6 I Croscent Park Road, Gandhi Nagar, Adyar, | | 024986 | Mr. Nagaraja B.N., ACA Post Box No. 20613 Nairobi, Kenya |
| 8. | 019092 | Chennai-600020. Mr. Satyanarayana Ch., ACA Chief Manager, Andhra Bank, 5, Kanniammao Koil Street | | 025635 | Mr. Jayaram Gopal Bhatta, ACA 652/B II Floor 80 Feet Road, 2nd Stage Rajajinagar, Bangalore-560010 |
| 9. | 020159 | Shenny Nagar, Chennai-600030 Mr. Krishna Prasad S, FCA | 24, | 025944 | Mr. Balakrishna Shabaraya K, FCA 87 Srl Nanjundeshwara Building s, 11 Floor, 11th Cross, Malleshwaram, Banasiara 560003 |
| | | 2287, 9th Main, 10° Block. Il Stage Rajajinagar, Bangalore-360010 | 25. | 026020 | Bangalore-560003 Mr. Prasada Rao G.B.G. ACA Pharmanoya Zambia Limited, |
| 10, | 020603 | Mr. Raghu Veeran T.J., FCA 20 Bharathidasan Nagar, Ramanathapuram, | | | 3283, Mushili Road, Ndola, Post Box 71555 Zambia |
| 14, | 020727 | Coimbatore-641045 Mr Jayakumar S., ACA Kirloskar Batteries Ltd., | 26. | 026270 | Mr. Gunssekaran P., ACA Site No. 97 P'M.R. Layout, Coimbatore-641014 |
| 12. | 021463 | P.B. No. 2231, Yeshwantpur, Bangalore-560022 Mr. Rambabu A., FCA | 27 | 026548 | Mr. Prasad G.V.L., PCA 105 Ist Block, I Floor Dlvyasakti Complex, Ameerpet, |
| | | Flat No. 202 Priya Apartments 'A' Block, 38/39, Madhura Nagar, Hyderabad-500038 | 28, | 026899 | Hyderabad-500016 Mr. Ramachandra Murthy C.V., FCA |
| 13 | 021489 | Mr. Padmanabhan C.K., FCA K.V.R. (K.S.) Complex (Upstairs), Bye Pass Road, Dharmapuri- 636701 | | | Flat 6No. 1, Srinivasa Apartments, Behind.Somajiguda P.O. Rajbhavan Road, Hyderabad-500008. |
| 14. | 021656 | Mr. Roddy B.M., FCA 178 Upstairs, 10th Cross Sampige Road, Malleswaram, | 29, | 027127 | Mr. Chenchu Mohan, A, ACA Plot No. 14, Salarjung Colony, Hyderabad-500008 |
| 15, | 021824 | Bangalore-550003 Mr. Manoharan P., ACA Manager (Finance) | 30. | 027937 | Mr. Ganapathi Krishnan S., ACA Flat No. 12 Indian Bank House, Dr. R.P. Road, Mulund (West), Mumbai-400080 |
| 16 | 021878 | Salom Steel Plant Salem-636013 Mr. Sasikumar C.P., FCA | 31. | 028199 | Mr. Ramalinga Kumar D., FCA 13, Kuppusamy Pillal Street, Sjvakasj-626123 |
| | | T.C. 24/274 Sasthan Kovil Street, Thycaud, Thiruvananthapuram-695014 | 2, | 028269 | Mr Satheesan P., ACA Budget & Cost Accountant Computer Network Systems |
| 17. | 022085 | Mr. Lalit Nayak, FCA 5-B 10 th Cross' Raj Mahal Vilas, Bangalore-560080 | 22 | 02 8449 | P.O. Box No. 461144 Abu Dhabi Mr. Srinivas Rao K., FCA |
| 18. | Q22343 | Mr. Ramesh B, FCA Financial Controller, Plaza Ross, TRD LLC, Dubai, U.A.E. | 33. | 020999 | Flat No. 12, Sai Krupa Apartments, Red Hills, Lakdikapul, Hyderabad-500004 |
| 19. | 023174 | Mr. Sheshagiri K.V., FCA 735 Oppanakara Street, III Ploor, Coimbatore-641001 | 34. | 028598 | Mr. Manogaran R., FCA 13, II Filor Mallesh Complex Gandhi Bazar, Basavangudi, Bangalore-360004 |
| 20. | 823700 | Mr, Ganesh N., FCA Flat No. 2, II Floor Embassy Towers, 50 Montieth Road, Egmore, Obennal-600908 | 35. | 028802 | Mr. Arun Kumar G.V.R., FCA Flat A 203 Hymavathi Apartments, Strret No. 8, Habsiguda, Hyderabad-500007 |
| *-1 | - | مى بىن يې بىرى بې مېرى بىرى بې يې | | | المهيب المراجعهوسيا المرد مهينان المتموجين والماسين المستقرمينين المرار المراد والمتار الالي المتيا |

| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
|---------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 36. | 028834 | Mr. Satya Surya Srinivas V., FCA 33, Block 'A', Sanats Sikhara Apartments, Raj Bhavan Road, Somajiguda, Hyderabad-500082 | 49. | 201743 | Mr. Vishnu Vardhan Reddy K., FCA 3-4-897/A, F1 Sushma Apartments, Barkatpura, Hyderabad-500027 |
| 37. | 0 29 280 | Mr. Vinod, ACA Flat No. 214, Ashraya Apartments, Mettuguda, Secunderabad-500017 | 50. | 201863 | Mr. Venkataswamy R.J., ACA 4-714-2, Upstairs of Indian Gas Agency, Opp. Town Police Station, Tadipatri-515411 |
| 38, | . 0 2949 1 | Mr. Walvekar Gajanan Mahadevasa FCA 2nd Floor Gudi Complex, Dajiban, Peth, Dharwad Dist., Hubli-580028 | | 201885 | Mr. Benjamin P.T., ACA Financial Controller, Ramada Hotel, P.O. Box No. 1768, Doha, Qatar, |
| 39. | 029825 | Mr. Kanumuri Venkata Krishnam Raju, FCA 6-1-290, Padma Rao Nagar, Secunderabad-500025 | | 202531 | Mr. John Peter A., ACA 29, G/2, New Carcana Street, Tiruvannamalai Dist. Tiruvannamalai-606602 |
| 40. | 029855 | Mr. Hari Hara Rao S., ACA Room No. 4, Eastern Lodge, 19, Kamaraj Road, | | 202993 203351 | Mr. Ravi Kumar Chillara ACA 5-25-105 Third Line, Brodipet, Guntur-522002 |
| 4 1 <i>.</i> | 030027 | Bangalore-560042 Mr. Balaramdas Radhakrishnan, ACA Chief General Manager, | J4, | £0333 <u>1</u> | Ms. Niraimathi K., ACA No. 26 Parl Poorna Vinayakar Kojl, Street, Mylapor, Chennai-600004 |
| | | Small Industries Development Bank of India, Temple Tower 5th Floor, 480, Anna Salai, Chennai-600035 | \$5, | 203503 | Mr. Lakshminarayanan T.R., ACA No. 32 3rd Cross Steet, Nagappa Block, Srirampuram, Banglore-560021 |
| 42. | 030050 | Mr. Sujir Radhakrishna Govin I Nayak, FCA 406, Mahendra Arcade, Karangalpady, | 56. | 203 671 | Mr. Manohar V., ACA 42, Naidu Steeet, Kotturpuram, Chennai-600085 |
| 43. | 036561 | Mangalore-575003 Mr. Vimal Chand Jain, ACA Asstt. Manager The New India Assurance Co. Ltd., Regional Office 'V' Floor, Surya Towers, S.P. Road, | 57. | 203955 | Mr. Prabhakar Veeraval ¹ , ACA C/o. Pattabhi Ramayya K. Flat No. 102 B Siddhartha Vyshali Apts., 7-1396 B.K. Guda, Sanjivareddy Nagar, Hyderabad-300078 |
| 44. | 052641 | Secunderabad-500003 Ms. Sudha Ramaswamy, ACA Vice President, Bank of America, 748 Anna Salai, Chennai-600002 | 58. | 204186 | Mr. Hanumantha Rao. K., ACA No. 230 2D Cross 3rd Block, 3rd Stage 8th Main, Basaveshwarnagar, Bangalore-560079 |
| 45. | 200 201 | Mr. Madhu Sudhan P., FCA 18/1, II Floor, V. G. Gopal Building, Lalbagh Fort Road, Bangalore-560004 | 59, | 204248 | Mr. Gopalakrishnan E., ACA 122/2, NTR Street, Rangarajapuram. Kodambakkam, Chennai-600024 |
| 16, | 200378 | Mr. John Jirald Nixon Mendex. FCA 41/695 Chittoor Road, Kochi-682018 | 60, | 204282 | Ms. Manjula G., ACA. 2079-D, Hazelwood Court. Urbana, IL-61801 U.S.A. |
| 17. | 200628 | Mr. Mrityunjaya Anant Hegde, ACA No. 42 Station Road, Thane West, Mumbai-400601 | 61. | 204415 | Ms. Jayasree. NV., ACA 308, Garden Apartments, Vittal Mallya Road, |
| 18. | 201500 | Mr. Srinivasan H., ACA Ashirwadh Apartments, 11/2 Lock Street, Kotturpuram, Chennai-600085 | 62. | 204597 | Rangalore-560001 Mr. Belagur H.H., ACA Accounts Executive, Tradex LLC, P.O. Box 8508 Dubal, U.A.E. |

PART III-SEC, 4] THE GAZETTE OF INDIA, JUNE 5, 1999 (JYAISTHA 15, 1921)

| 1 | 2 | 3 | | | MRN | Name & Address | Restore Dt. |
|------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 63. | . 205045 | Mr. Balajee R., ACA Accounts Officer, Hindustan Motors Limited, Wheel Loader Plant Sedarapet, Pondicherry-605111 | 1 .1 | |] | 3 Mr. Lakshminarayanan V., ACA 50 F Block I, Main Road, Annanagar Bast, | 4 |
| 64. | 205172 | Mr. Naga Kishore G., ACA 6-3-347/13 Dwarakapuri Colony, Panfagutta, Hyderabad-500082 | 2. | 0076 | 557 | Chennai-600102. Mr. Kalyana Raman V., ACA No. 100/101-B1 Raghavan Colony First Cross. | 15-7-98 |
| 55. | 205181 | Ms. Madhavi Latha R., ACA Apt. 206, 5228 North Sheridan Rd., Chicago IL 60640' | 3. | 0077 | C | Ashok Nagar, Chennai-600083 Mr. Mohan R. S., ACA | 14 -7-9 8 |
| 56. | 20 52 11 | U.S.A. Mr. Phanindra Prakash Ilapakurty, ACA | | | 1 | 5, Chitrakulam North Street, Mylapore, Chennal-600004, | |
| | | 16202 EL Camino Real Apt. No. 1726, Houston, Texas-77062 | 4. | 0100 | F | Ir. Nayar P. R., FCA Inanco Managor, Jnited Electrical Indus. Ltd., | 6-7-98 |
| 7 | 205387 | Mr. Sheik Abdul Fareed S., ACA Internal Auditor, Budget Rent 'A' Car, P.O. Box 18106, | | | · F | allimukku, Soljam-691010. | |
| 3. | 205878 | Jeddah-21415 Saudi Arabia Mr. Mohan Balakrishnan ACA | 5. | 0110 | 1 | Mr. Rangarajan R., ACA 1009, T. V. S. Colony, Anna Nagar Western Extn. | 3-8-98 |
| | | 66, Ist Main Road, Lower Palace Orchards, Bangalore-560003 | 6. | 0137 | 166 | Chennai-600101. Mr. Soundararaghavan R., ACA Vice President (Finance) | 9-4-98 |
|) . | 20 6 090 | Mr. Prasada Rao K.V.D., ACA 5-8-311 Chirag Ali Lane, Hyderabad-500001 | | | | Zuari Indutsries Ltd., Zuari Nagar. Goa-103726. | , |
|). | 206148 | Mr. Vasudeva Rao Kandimalla, ACA D.No. 6-10-7/1, 10/2, Arundelpet, Guntur-522002 | 7. | 0150 | , I | Mr. Georgekutty Kuncheria ACA Vadakara House, Palarivattom, Kochi-682025. | 12-6-98 |
| <u>.</u> | <u></u> | ASHOK HALDIA, Secy | 8. | 0188 | 3 1 4 | Mr. Gopalakrishnan S., ACA 37, Hillsborouhg Road, Fhree Kings, Auckland 1004, New Zealand. | 13-5-98 |
| | 25(C'A (E) | (Chartered Accountants) /1/98-99—With reference to this Institute's | 9. | 01 92 | F F | Mr. Haja Maideen K. A. K. A., 'Ad BLK 22 H 13-3009., Bunos Crescent, Singapore-1440 | CA 3-4-98 |
| 983 0/8 | ification 1 5, 3SCA (88-89 date | (1/96-99) with reference to this institute's Nos. 3SCA (4)/7/85-86 dated 30 th September (4)/13/85/86 dated 31st March 1986, 3SCA (4)/ ed 27th January 1989, 3SCA (4)/8/90-91 dated 1990, 3SCA (4)1991-92 dated 1st January 1992, | 10. | 0192 | 1 (| Mr. Thanigaraju S., ACA No. 6, 5th Cross Street, Ground Floor) Brindavan, | 17-7-98 |

 019437 Mr. Sankaranarayanan S., ACA 5-5-98 Flat No. 7, Majestic Gardens No. 48, Arcof Road, Saligraman Chennai-600093.

Pondicherry-605013

12. 019490 Mr. Panneer Selvam C., ACA 30-4-98 Manager-Financo, Indian Oil Corporation Ltd., Panampilli Nagar Post, Kerala State Office, Kochi-682036.

Notification Nos. 3SCA (4)/7/85-86 dated 30 th September 1985, 3SCA (4)/13/85/86 dated 31st March 1986, 3SCA (4)/10/88-89 dated 27th January 1989, 3SCA (4)/8/90-91 dated 1st December 1990, 3SCA (4)1991-92 dated 1st January 1992, 3SCA (4)/3/92-93 dated 27th November 1992, 3SCA (4)/8/90-91 dated 22nd Feburary 1995, 3WCA (4)/9/94-95 dated 30th January 1995, 3SCA (4)/4/95-96 dated 12th March 1996, 3SCA (4)/3/96-97 dated 11th December 1996, 3SCA(4), 5/96-97 dated 7th April 1997, 3SCA (4)/3/97-98 dated 31st March 1998 and 3ECA (4)/3/97-98 dated 31st March 1998, it is hereby notified in pursuance of Regulation 20 of the Chartered Accountants Regulation, 1988 that in exercise of the powers conferred by Regulation 19 of the said Regulations, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has restored to the Register of Members with effect from the dates mentioned against their names, the names of the following person s:—

| محكد ميشؤنو | | and a second | فيتريهم وجاريهم المراجع | | | | مستقديهم وسيت |
|---------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | | 2 3 | 4 |
| 13. | 01 9884 | Mr. Sundara Raman R, FCA, 15/1, Subbaian Reddy Road, Ulsoor, Bangalore-560008. | 18- 3-98 | 25. | 022215 | Mr. Sriram S., ACA, Block 424, No. 6-2430 Avenue 3, Ang Mo Kio, Singapore-560424. | 2845-98 |
| 14. | 020176 | Mr. Harisha Bhat A., ACA. 28, 4th Main, Shankar Nagar, Mahalaxmi Layout, Bangalore-560096. | 20-4-98 | 26. | 0 12 265 | Mr. Venkateshwarlu K., FCA, C-G2, Matrusree Apartments, 3-5-873, Hyderguda, Hyderabad-500029. | 9-6-98 |
| 15. | 020178 | Mr. Ramakrishnan V., ACA, Indian Oil Corporation Ltd., 139, Mahatma Gandhi Road, Nungambakkam, Chennai-600034. | 25-5-98 | 27. | 022562 | Mr. Ramesh Ranganathan, ACA, 203, Arunodaya Apartments, Behind : Minerva Office Coffee Shop, Himayatnagar, Hyderabad-500029. | 5 2-7-98 |
| - | 020381 | Mr. Varadarajan S., FCA, TC 15/1847, Forest Office Lane, Vazhuthacaud, Thiruvananthapuram-693014. | 22 -6-98 | 28. | 0023251 | Mr. Ravichandran R., FCA, C/o. Mr. C. K. Hariharan, No. 4, Deenadayalu Street, T. Nagar, Chennai-600017. | 30-7 -9 8 |
| 17. | 020431 | Mr. Arumugam C., FCA, 5/999 Maraimalai Adigal Street, Sadasiva Nagar, Madurai-625020. | 15 -5-9 8 | 29, | 023414 | Mr. Dandakuri Sacasuram, FCA, H. No. 6-3-1186/A/6, (New No. (325) II Floor, | 12- 5-98 |
| 18. | 020941 | Mr. Ramani S., ACA, Finance & Admn. Manager, Fidelity Shield Insurance Co. Ltd., | 16 -4-98 | | | Chinna Balareddy Building, Adjacent Lane to Grand Kak tiya He Hyderabad-500016. | tel, |
| tās | 021072 | P. O. Box 47435, Nairobi Kenya Mr, Ashok H., FCA, | 3-8-98 | 30. | 024052 | Mr. Abdulla Mohideen M., ACA, 10870, North Stelling Road, Apt 20E, Cupertino California 95014, | 20 -8-9 8 |
| 19. | V21072 | Section Head Qatar Airways, P. O., Box 22550 Doha Qatar. | | 31. | 024113 | USA. Mr. Ganapati Roa P., FCA, No. 87, Nagarjuna; Road No. 3, Gaganmahal Colony, Hyderabad-500029. | 1 <i>5-4-98</i> |
| 2 9. - | 021256 | Mr. Mahesh Iyer N., ACA, Information Technology Manager, Damac Investment Co. LLC P. O. Box 2195, Dubai U. A. E. | 20-4-98 | 32. | 024190 | Mr. Prakash K. S. FCA, Sree valsam Indiranagar, Kaloor, Kochi-682017. | 24-6-98 |
| 21. | 021396 | Mr. George Prem Thanyan, ACA, 8, Anand Apartments, Plot No. 24-25, Aziz Nagar, II Str Kodambakkam, Chennai-600024. | 15-6-98 ce t, | 33. | 024450 | Mr. Nagarajan V., FCA, Flat No. 6 I Floor, 2-A, Devarajan Streel, West Tambaram, Chennai-600045. | 10-6-98 |
| 22. | 021501 | Mr. Kasinadhuni Venkateswara Rao, FCA, 3-6-459/A, 5th Sreet, Himayat Nagar, Hyderabad-500029. | 2 7-8-9 7 | 34. | 024528 | | 30-6 -94 |
| 23. | 021866 | Mr. Rajana Krishna Rao, ACA, H. No. 2-219, Prarap Nagar, Kakinada-533004. | 2 2-6-9 8 | 35. | 024655 | U.A.E. Mr. Madu Krishna Reidy, FCA. Flat No. D-12, | 1-7 -96 |
| 24. | 021907 | Mr. Srinivasan S., ACA, D No. 4, Flat No. 6, Arihant Apts, | 11-6-98 | | | Steel & Mines Complex, Srinagar Colouy. Hydorabad-500073 | |
| | | Subramanian Street, Off. : Arya Gowda Road, West Mambalam, Chennai-600033; | | 36 | . 025248 | Mr. Musti Someswara Rao, ACA, Financial Controllex, Trans Continental Tobacco India Pvt, Ltd. | 4-6-9 |

| 1 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 37. 025536 | 4-4-141/A1, 7/2 Chandramouli Nagar Gnntur-522007. Mr. Rajendirau R. FCA, Blk, 361, Bukit Batok St. 31 H 08-451, | 30-7-98 | 49, | 026470 | Mr. Krishna Manikyam B, ACA, Dy. Manager-Finance, Indian Oil Corporation Ltd., 139, Mahathma Gandhi Road, Nungambakkam, Chennai-600034. | 20-5-98 |
| 38. 025610 | Singapore-650361 Mr. Gollapudi Viswesswara Rao, FCA., | 25-5-98 | 50, | 026633 | Mr. Ananthachariar P. B., FCA, No. 13 Sannidhi Streot, Kancheepuram-631503. | 24-6-91 |
| | Ambal Building II Floor, 727 Mount Road, Chennai-600006. | | 51. | 026639 | Mr. Narayanlal Vyas S. FCA, 24-100 Indira N ag ar Colony, Lothkunta, | 8-5-98 |
| 39 , 025674 | Mr. Jose Aloysius Mathiew, ACA 35/2805 Kathrikadavu Ro ad, Palarivattom P. O. Kochi-682025 Mr. Ganesh M. S., FCA, | , 24-4-98 17-7-98 | 52, | 026725 | Secunderabad-500015. Mr. Rengesh K. ACA, B-16 R.E. Clasic Apartments, Baroda Street, West Mambalam, | 20-4-91 |
| 40. 025704 | Mr. Gallesh Mr. S., FCA, 3B, First Floor, 16 Malavia Avenue Thiruvanmiyur, Chennal-600041. | 17-7-90 | 53, | 026985 | Chennal-600033. Mr. Brahmanna P., ACA, 301, Sai Kiran Apartments, 3-6-375, Himayat Nagar, Hyderabad-500029. | 29-6-9 |
| 41, 025775 | No. 17, Sarma Street, Ganapathipuram. Tambaram, Chennai-600059. | 14-5-98 1 3-4- 98 | 54. | 027134 | Mr. Srikanth P.S., ACA, Financial Analyst, M. B. Petroleum Services LLC., P. O. Box-695, P. C114 | 4-5-9 |
| 42, 025865 | Mr. Satyanarayana Murthy R., A.C.A., Managor (Finance), Midhani, Kanchan Bagh Hyderabad-500058, | 1 <i>3-4-</i> 98 | 55. | 027665 | Wattayah. 0 Sultanate of Oman. Mr. Vishwanath Krishnan N. A., F.C.A, 7, Krishnaswamy Street, Abhiramapuram, | 27 -7-9 |
| 43. 025902 | Mr. Gopinatha Reddy. Y., FCA, 13-88-1, S. S. Complex, D. C. M. S. Road, Kamalanagar, Anantapur -515001. | 29 -7- 98 | 56. | 028114 | Chennai-600018. Mr. Srikanth N., ACA, 5/1, Damdarapuram, IIIrd Street Adyar, Chennai-600020. | 27-7-9 |
| 44. 025915 | Mr. Atul Sood, ACA., EB-184, Maya Enclave New Delhi-110064. | 09-6-98 | 57, | 028161 | Mr. Mathew Varghese ACA, Managing Director, O/E/N Micro Systems Ltd., Kannankulangara, | 2-7-9 |
| 45. 025944 | Mr. Bala krishna Sha baraya K., F.C.A, 87 Sri Nanjundeshwara Buildings 11 Floor, 11th Cross, Malleswaram, Bangalore-560003 | 8-12-97 | 58. | 028600 | Tripunithura-682301. Mr. Chandrasekaran K., ACA, 25 Vaidyaraman Street. T. Nagar, Chennai-600017. | 19-5-9 |
| 46 . 025961 | Mr. Ravindran P. FCA, System Co-Ordinator, | 4-8-98 | 59, | 028637 | Mr. Selvam K., FCA, 6/11 Lal Bahadur Sastri Street, Natarasan Kuttai-630556. | 3-4-9 |
| | Jaher Group of Companies P. B. 1178, Jeddah-21431 Saudi Arabia | | 60. | 028704 | Mr. Sridharan V. G. ACA, Assistant, Professor, Indian Institute of Management, Bangalore, Bangarghotta B and | 3-6-9 |
| 47. 026289 | Mr. Badrinarayanamurthy H. V., A.C.A, 10-212, Vasanthapuri, Malkajgiri, Hyderabad-500047. | 16-6-98 | 61. | 028771 | Bannerghatta Road, Bangalore-560076, Mr. Viswanath Umashanker Trivedi, AC.A, MGD 324 Mcmaster University 1280 Main St. W | 2-7-9 |
| 48. 026292 | Mr. Narasimhamurty, A., ACA 1-10-243 Ashok Nagar, Hyderabad-500020 | . 17-6-98 | | | 1280 Main St., W, Hamilton, Ontario L8S4M4 Canada. | |

| 1834 |
|------|
| |

| 1 | 2 | 3 | <u> </u> | 1 | Ż | 3 | 4 |
|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 62. | 028798 | Mr. Parthasarathy R., ACA, Manager Finance Leafin India Ltd., 7 17th Avenue, Harrington Road, Chetpet, Chennai-600031. | 28-4-98 | 73. | 089148 | Mr Rama Krishna B., ACA H No 8, Second Floor Sharada Complex Kalyan Nagar Cross Roads Kalyan Nagar Hyderabad 500038 | 15-0 7-98 |
| 63. | 029268 | Mr. Suneel Kumar B., FCA, H. No. 8-3-903/6, Nagarjuna Nagar, Ameerpet, Hyderabad-500073, | 18-5-98 | 74, | 200340 | Mr Raman P.K., ACA Senior Auditor Standard Chartered Bank DBS Building, 7th Floor 108 Dr. Radhakrishnan Salai Chennai-600004 | 15-06-98 |
| 64. | 029341 | Mr. Jamal Mydeen M.A., ACA, Budget Accountant, Makshafe Services Ltd., P. O. Box 69428 Riyadh-11547, Saudi Arabia. | 6-4-98 | 75. | 200481 | Mr Srikanth S, ACA Managing Consultant Coopers & Lybrand Pvt Lid 508, Baston Centre 84 M G Road Bangalore-560001 | 20 -07-9 8 |
| 65. | 029406 | Mr. Srinagesh Ramabhotla, ACA, Plot No. 1, K. K. Towers , Ground Floor, Yousuf Guda, Hyderabad-500045 | 22-4-98 | 76. | 201264 | Ms Latha Raman, ACA 190 Long Meadow Drive Holbrook MA 02343 U.S.A. | 22-04-98 |
| 66. | 029707 | Mr. Venkata Kesari K, ACA, G1, Shanthi Nilayam Apts. Lane, Opp. Swaraj Hotel, 1-1-192/2, Chikkadpally, Hyderabad-500020 | 27-5-98 | 77. | 201391 | Mr Anil Ramachandran, FCA 13G, Alsa Windsor 4 Kothari Road Nungambakkam Chennai-600034 | 15-07-98 |
| 67. | 029776 | Mr. Giridhar Mamidi, ACA., H. No. 4-1-81/3., Ramancoyam, Bhavani Nagar,Nacharam, Hydorabad-501507. | 12-5-98 | 78. | 201401 | Mr. Mahadevan N, ACA Hyperion Software Asia Pto. Ltd 80 Anson Road 24-01 IBM Towers | 03 -04-98 |
| 68. | 0 388 51 | Mr. Shankar Kuppuswamy, ACA, Managor-F&A and Company Secretary, Wipto Acer Ltd., No. 88 M. G. Road, Bangalore-560094. | 29-6-98 | 7 <u>9</u> . | 201628 | Singapore-79907 Mr. Narsi Reddy P., ACA Accounts Officer Electronics Corpn. of India Ltd Ecil Post Hyderabad-500062. | 29 -06-9 8 |
| 59. | 039185 | Mr Narendra Sarvottam Telang ACA Directot-Finance GTS India Inc, | 11-6-98 | 80. | 201913 | Mr. Venkateshwar Reddy P., ACA H No 26/A Sanjeevreddy Nagar Hyderabad-500038 | |
| | | India Liaison Office 1/24 Hanumanthappa Layout Ulsoor Bangalore-560042 | | 81. | 202240 | Mr. Vijaya Kumar A., ACA Financial Controller Polycor Ltd P O Box 34903 | 05-05 -98 |
| 10. | 048815 | Mr. Jayprakash M D, ACA (Modiyil Pathanamthitta District Thumpamon 689502 |)4-08-98 | 82. | 202611 | Lusaka-10101 Zambia Mr. Anand K. ACA | 16 -04-98 |
| 71. | 056057 | | 3-08-98 | _ | | Nationwide Finance Ltd 1 C Chaitanya Contre 12 Khader Nawazkhan Road Chennai 600006 | |
| 72. | 080143 | | 24•11-97 | 83. | 202891 | Mr Venpaleso K, ACA C/o KPMG Fathro PB 710 Manama Bahrain | 04-08 -98 |

| 183 | 5 |
|-----|---|
|-----|---|

| . 2 | 3 | 4 |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 203104 | Ms. Manjula Subramanian, AC/ Manager, Finance & Adminis- tration,'M/s Desmet Chemfood Engg. Pvt. Ltd, 14, Desmet Hous. Langford Road, Shanti Nagar Bangalore-560025. | |
| 203179 | Mr. Anandakumar V, ACA., M 17-D, Krupa Colony, 1st Avenue, 44th Street, Ashok Nagar, Chennai-560083. | 02-0 7-9 8 |
| 203665 | Ms. Kiran Damodar Ladha, AC ¹ M/s Logix Microsystems Ltd. 493/3, Brahma lingeshwara Comp lex.,'Airport Road. Bangalore-560008. | |
| 203705 | Mr. Satish No, ACA, Accounts Officer M/s Jinda Traxtebal Power Co. L P. O. Box 9, Bellary District Toranagallu-583123, | 1 5-04-98 tđ., |
| 203837 | Mr. Naga Bhavannarayana Swamy Ch, ACA, D. No. 8-3-677/24/3. Navodaya Colony. Hyderabad-500073 | / 28-07 -9 8 |
| 204211 | Me. Radha Mohan, ACA. 27/1/10-1, Krupa Complex, Safilguda, Neredmet, Secunderabad-500056. | 08-05-98 |
| 204266 | Mr. Nayudu Nageswara Rao, ACA, D. No. 6-3-668/17. Flat No 102, Classic Enclave, Panjagutta, Hyderabad-500082. | 18-06-98 |
| 204550 | Mr. Srinad ^h udu M. ACA, 30-265, Sudhanagar Colony, Old Safilguda, V.V.H S. Malkajgiri. Hyderabad-500056. | 24-07-98 |
| 2046 84 ∃ | Mrs. Kalpana Jayashankar, ACA, 1A 'Rivlera, Plot No. 7, 4th Seaward Road. Valmiki Nagar, Thiruvanmiyur Chennai-600041. | 23-06-98 |
| 6473 1 1 | Ms. Subbalakshmi V., ACA 9, Mani Villa 101, Vannier Street, Chool almedu, Chennai -600094. | 28-04-98 |
| 205285 | Mr. Lalatendu Mishra, ACA, 107/H Acharya Vihar Orissa. | 07-04-98 |

Mumbai, the 28th January 1999

(Chartered Accountants)

No. 3WCA(4)/2/98-99—In pursuance of Regulvion 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988 it is hereby notified that in exercise of the powers nforred by clause (a) of sub-section (1) of Section 20 of the Chartered Accountants Act, 1949, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has removed from the Register of Members of this Institute on account of Death with effect from date(s) mentioned against the names of the following members:—

| S No | MRN | Member name & Address Removal Dt |
|---------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | 000967 | Mr. Jorapur Krishna Bhimarao 16-5-97 KB Jorapur & Co Commissariat Bldg DN Road 3rd Floor, Mumbai-400001 |
| 2. | 001153 | Mr. Gidwani Nani Motumal 28-6-96 Gidwani & Co 2A Pushpavihar Block-2, Colaba, Mumbai-400005 |
| 3. | 001789 | Mr. Phadke Ramchandra Shankar 24-5-98 R S Phadle & Co VFloor Bombay Mutual Chambers 19/21 Ambala Doshi Marg, Hutatma Chowk, Mumbai-400023 |
| 4. | 002037 | Mr. Khandwala Vinod Mangaldas 14-4-98 V M Khandwala & Co Shorab Bldg 1st Floor, opp Edward Theatre, 505 Kalbadevi Road, Mumbai-400002 |
| 5. | 002216 | Mr. Titina Noshir Rustomji 15-5-98 Ashoke Appts Flat No. 3 6th Floor Near Strand Cinema Off Arthur Bunder Rd. Colaba Mumbai-400005 |
| 6. | 002501 | Mr. Katpitia Erach Dhumishaw 17-8-98 ED Katpitia & Co. Union Co. operative Insurance Bldg. Room No. 61 Floor Sir P Mehta Rd. Mumbai-400001 |
| 7. | 002546 | Mr. Shah Krishnalal Ranchhodlal 20-2-98 Vakil Sbah & Co., 25, Udaypark, Jetalpur Road, Vadodara-380005 |
| 8. | 0 02621 | Mr. Khandekar Sharadchandra 12-2-98 Shankar S S Khandekar & Co. Monalisa Complex. Opp. Rajapeth Police St Bandera Road, Amravati- 4446401 |
| 9. | 003284 | Mr. Ghooi Wg. Cdr Sharad 2-8-97 Moreshwar 19/165/2 Shriniwas Nagar, Pimpri, Pune-411018 |

(PART III-SEC. 4

| 1 | 2 | 3 4 |
|-------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10. | 003382 | Mr. Nerurkar Vijay Vasant 30-1-98 6th Floor, Universal Insurance Bldg. Pherozeshah Mehta Road, Mumbai-400001 |
| 11, | 00340 2 | Mr. Doshi Champaklal Dalichand 21-7-96 Plot No 2141-D wachawadi Back Road, Bhavnagar-364002 |
| 12. | 004713 | Mr. wankawala Rajnikant Lallu- 13-10-98 Bhai, Rajni LWankawala & Co., Ajanta Block 34, 3rd Floor Khar (West) Mumbai-400052 |
| 13;- | - 011305 | Mr. Shah Kiritbabu Ramanlal 28-7-98 Kirit Shah & Co., 17th Gopal Vijay Co-op. IV Floor, MG Cross Rd. No 3, Kandiwali West, Mumbai-400067 |
| 14. | 012359 | Mr. Muzumdar Arun Vishwanath 4-2-98 50-51, Ali Chambers, Tamarind Lane Port, Mumbai-400001 |
| 1 5. | 01 2 4 9 2 | Mr. Shushil Mulkraj Agarwal 3-12-97 Mitra Kunj opp. Jaslok Hospital 16, Pedder Road, Mumbai-400026 |
| 16. | 012635 | Mr. Ravasia Krishna Kumar Arun 210, Prem Kutir 01-04-98 Bombay-Poona Rd. Kalwa-iw Thane-400605 |
| 17. | 016292 | Mr. Patel Ashwin Harilal 25-11-97 51, Joothica. 22 Noshir Bharucha Rd. Mumbai-400007 |
| 18. | 017961 | Mr. Shah Chandrakant Kantilal 15-11-98 Chag Pahwa & Shah, 164, Shivsha KTI Industrial Estate opp. MITT. All Estate Marol Naka Andheri/E Mumbai-400039 |
| 19, | 038517 | Mr. Balasubramanian 21-4-98 1/5 Chandralok Appartments Gokhale Nagar Road, Pune-411016 |
| 20. | 048150 | Mr. Shah Heta Navnitlal 09-4-98 A/11, Nirav Flatss, Near Shantivan Bus Stop, Narayan Nagar Road, Paldi Ahmedabad-380907 |
| 21. | 070429 | Mr. Tanwani Kanhaiyalal, 5-8-98 305, Govinda Tower, Bandra (E), Mumbal-400051 |

| 1 | 2 | 3 4 |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22 | 101671 | Mr. Gada Rakesh Khushalchand 2-9-98 2/54, Habib Mansion 828, B. J. Marg, Mumbai-400011 |
| | | ASHOK HALDIA Secy. |

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 18th May 1999

No. V-33(13)-14/94-E IV—In pursuance of Section-25 the ESIAct, 1948 (34 of 1948) read with Regulation-10 of ESI (Genetal) Regulation: 1950 the Chaltman, ESI Corporation hereby makes the following amendments in the notification of the ESI Corporation No. V-33(13)-14/94 Estt. IV dated 30-11-97, published in the Part-III Sec-IV of Gazette of India, dated 27-12-97. In the said notification for the entries against S.

No. 8, the following entries shall be substituted, namely :

Shri Brij Bihari Sharma, Secretary, Employer Association of the Rajasthan, 599, Acharya Kriplani Marg, Adarsh Nagar, Jaipur (Employers' Addl. Representative)

> D.C. GUPTA, Director General

New Delhi, the 25th April 1999

No. U-16/53/1/97-Med-4 (T.N.)-In pursuance of the Resolution passed by E.S.I. Corporation at its meeting held on 25-4-1951 conferring upon the Director General the powers of the Corporation under regulation 105 of the E.S.I. (General) Regulation 1950 and such powers having further delegated to me vide Director General's Order No. 1024(G) dated 23-5-1983, I hereby authorise the following doctor to function as Medical authority at a monthly remuneration in accordance with the norms w.e.f. the date given below for one year, or till full time Medical Referee Joins, whichever is earlier, for centres as stated below for areas to be allocated by Regional Dy. Medical Commissioner (South Zone) Bangalore for the purpose of medical examination of the insured persons and grant of certificates is in doubt.

| S. No | | of Doctor | Poniod | Name of Centre |
|----------|--------|------------|------------------------|-------------------|
| 1. | Dr. C. | Premavathy | 1-4-99 to 31-3-2000 | Vellore |

Dr (Mrs.) S. SINGH Modical Commissioner

प्रथम्भक, जारत सरकार बुद्दणालय, प्रतीयांकाय द्वारा महित एवं प्रकाशन नियंत्रक, धिल्ली द्वारा प्रकाशित, 1999

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD. AND FUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI 1999